लोक-सभा वाद्-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

PARLIAMENT LIBRARY
No.
Date

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XI Contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 9, बुधवार, 22 मार्च, 1972/2 चैत्र, 1894 (शक)
No. 9 Wednesday, March 22, 1972/Chaitra 2, 1894 **(Saka)**

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		1—20
प्र० संख्या S. Q. Nos.		
122. हैदराबाद में स्कूटर कारखाना स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी किया जाना	Issue of letter of Intent for setting up of Scooter Project in Hyderabad...	1—3
125. घाटे की अर्थ-व्यवस्था का चौथी योजना पर प्रभाव	Effect of Deficit Financing on Fourth Plan ...	3—6
126. सरकारी क्षेत्र के कारखानों में निर्मित एक्सरे फिल्मों की किस्म	Quality of X-Ray Film produced in Public Sector Project ...	6—8
128. औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए वस्तुओं का आयात करने हेतु विदेशी मुद्रा देना	Foreign Exchange for Import of Goods to increase Industrial Production	8—10
129. कछार में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Cachar ...	10
130. डाक तार विभाग में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सम्बन्धी दावे	P & T Department Medical Reimbursement Claims ...	10—12
131. इतवार और छुट्टियों के दिन तार मनीआर्डरों का वितरण	Delivery of T. M. Os. on Sundays and Holidays ...	12—13

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

138. कारों के निर्माण में प्रयोग होने वाले पुर्जों की किस्म	Quality of Parts used in manufacture of Cars ...	13—16
139. विदेशों के साथ सहयोग करार	Foreign Collaboration Agreements ...	16—17
123. कच्चे माल के आयात प्रति-स्थापन का अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report of Study on Import Substitution of Raw Materials ...	17—20

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 20—88

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

121. डाक तथा तार-विभाग के निरीक्षण गृहों में टेलीफोन	Telephone in Inspection Quarters of Posts and Telegarphs Department	20—21
124. सीमा सुरक्षा दल और होम-गार्ड के कर्मचारियों को सुवि-धाएं देना	Facilities extended to the Personnel of Border Security Force and Home Guards ...	21—22
127. मित्सुविशी द्वारा कुछ उद्योगों को भारत में स्थानान्तरित करने की पेशकश	Offer of Transfer of certain Manufacturing Units by Mitsubishi to India ...	22
132. सरकारी क्षेत्र में टायपराइटर उद्योग की स्थापना	Setting up of Typewriter Industry in Public Sector ...	23
133. कम लागत के दूरसंचार उप-करणों का निर्माण	Manufacture of Low Cost Telecommunication Equipment ...	23
134. कागज उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalization of Paper Industry ...	23
135. बांगला देश पर होने वाले व्यय का विकास कार्यक्रमों पर प्रभाव	Effect of Expenditure on Bangla Desh on Programmes of Development...	24
136. राजस्थान में औद्योगिक विकास की धीमी गति	Low Pace of Industrial Development of Rajasthan ...	24—25
137. गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का विस्तार	Expansion of Private Sector Industries	25
140. 54 उद्योगों की क्षमता का उपयोग करने के लिए कच्चे माल सम्बन्धी नीति	Raw Materials Policy for Utilisation of Capacity of 54 Industries...	25—26

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

977. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियमों और कानून देवन पर्वत (भूमि पुनर्ग्रहण) अधिनियम को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करना	Inclusion of Kerala Land Reforms (Amendment) Act and Kannan Devan Hills (Resumption of Lands Act in the 9th Schedule of Constitution ...	26
978. छोटा नागपुर का विकास	Development of Chhotanagpur ...	26—27
979. बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लगाना	Telephones installed in Rural Bihar...	27
980. जांच आयोग द्वारा पंजाब के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच	Investigation of charges against Ex-ministers of Punjab by the Inquiry Commission ...	28
981. श्री नागरवाला की मृत्यु की जांच करना	Inquiry into the Death of Shri Nagarwala ...	28
982. पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार सुविधाओं में सुधार	Improvement in Communication Facilities in Hilly and Border Areas...	28—30
983. अन्तरिक्ष अनुसंधान आयोग की स्थापना	Setting up of a Space Research Commission ..	30
984. त्रिवेन्द्रम की औद्योगिक परीक्षण तथा अनुसंधान वेधशाला का पुनर्गठन	Reorganisation of Industrial Testing and Research Laboratory at Trivandrum ...	30
985. पश्चिम बंगाल में उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Materials to Industries in West Bengal ...	30—31
986. औद्योगिक क्षमता का विस्तार करने हेतु लायसेंसों के लिए आवेदन पत्रों का निपटारा करने के लिए कर्मचारियों के सक्रिय दल की नियुक्ति	Appointment of Task Force to Deal with Applications for Licences for Expansion of Industrial Capacity	31
987. तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र	Tarapur Atomic Power Plant ...	31—32
988. पंजाब तथा राजस्थान में प्रसारण के लिए टेलीवीजन कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास	Reorientation of T. V. Programmes for relaying to Punjab and Rajasthan ...	32—33

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
989. दिल्ली के सिविल डिफेंस तथा होम गार्ड्स विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण	Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Civil Defence and Home Guards Department, Delhi ...	33
990. सिविल डिफेंस तथा होम गार्ड्स में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण	Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Civil Defence and Home Guards ...	33—34
991. नई दिल्ली के मिन्टो रोड क्षेत्र पर रेलवे पुलिस का क्षेत्राधिकार	Railway Police Jurisdiction Over Minto Road Area in New Delhi	34
992. जस्टिस आफ पीस तथा आनरेरी मजिस्ट्रेट के पदों की उपयोगिता	Usefulness of the Institutions of Justice of Peace and Honorary Magistrate	34—35
993. लोक सेवा आयोग के इण्टरव्यू बोर्ड सरकार के प्रतिनिधियों का भाग लेना	Association of Representatives of Government with UPSC Interview Boards ...	35—36
994. आदिवासियों की समस्यायें	Problems of Adivasis ...	36
995. बंगला देश के नागरिकों को शरण दिया जाना	Grant of Asylum to Bangla Desh Nationals ...	36—37
996. संघ लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा के लिए आयु सीमा का बढ़ाया जाना	Increase in Age Limit for Assistant grade Examination of UPSC ...	37
997. मंत्रियों और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा आयातित कारों का उपयोग	Use of Imported Cars by Ministers and Central Government Offices...	37
998. अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Essential Consumer Goods ...	37—38
999. 1971-72 में राष्ट्रीय आय	National Income during 1971-72 ...	38—39
1000. वायदा व्यापार समाप्त करने का नारियल के तेल के मूल्यों पर बढ़ा प्रभाव	Effect of Suspension of Forward Trading on Coconut Oil Prices ...	39

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1001. केरल में रोजगार योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Employment Schemes in Kerala ...	39—40
1002. पंजाब में प्रति व्यक्ति आय	Per capita Income in Punjab ...	40—41
1003. 1971-72 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन	Gross National Production in 1971-72 ...	41—42
1004. पोटाशियम उर्वरकों के निर्माण के लिए प्रक्रिया का विकास	Development of Process for Manufacturing Potassium Fertilizers ...	42
1005. केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा किये गये दौरों पर व्यय किया गया धन	Amount spent on tours performed by Union Ministers ...	43
1006. सरकार आयोग 1971-72 द्वारा कम्पनियों की जांच	Examination of Companies by Sarkar Commission—1971-72 ...	44
1007. विस्फोटकों के अवैध अन्तर्राज्यीय सौदे	Illicit Inter-State deals in Explosives	44
1008. इंजीनियरों के लिए रोजगार	Employment for Engineers ...	44—45
1009. विदेशों से लौटने वाले भारतीय इंजीनियरों को रोजगार	Employment of Indian Engineers returning from foreign countries...	45—46
1010. टेनिस की गेदों की अनुपलब्धता	Non availability of Tennis Balls ...	46
1012. सीमेंट के धारण मूल्य में वृद्धि की मांग	Demand for increase in retention price of cement ...	46—47
1013. डाक तार विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यालय के टेलीफोनों का उपयोग	Use of Official telephones by P & T Officers ...	47—48
1014. डाक तार सेवा टेलीफोनों की कालों में कमी करने के लिए उपाय	Measures of economics in calls of P & T Service Telephones ...	48—49
1015. विभिन्न जिलों के विकास के बारे में सूचना एकत्र करना	Collection of information regarding development of various districts...	49

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1017. केरल में मध्यम श्रेणी के उद्योग	Medium Scale Industries in Kerala ...	49—50
1019. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव	Effect of Supreme Court Verdict on prices of commodities ...	50—51
1020. रीपर बंडर का आयात	Import of Reaper Bunders ...	51
1021. पांचवीं योजना तैयार करना	Preparation of Fifth Plan ...	51—52
1022. पूर्वोत्तर परिषद् के प्रावधानों में परिवर्तन	Changes in Provisions for North Eastern Council ...	52
1023. मिजोरम में एक स्वायत्तशासी चकमा जिला परिषद् की स्थापना	Setting up of an Autonomous District Chakma Council in Mizoram ...	52
1024. आसाम और मेघालय के लोगों से स्वायत्तशासी लालुंग जिले का गठन करने के बारे में अभ्यावेदन	Representation from people of Assam and Maghalaya for setting up of an Autonomous Lalung District	52—53
1025. असम नागालैण्ड सीमा-विवाद	Assam Nagaland Boundary Dispute	53
1026 डाक तार विभाग की असम्बद्ध यूनियनें तथा एसोसिएशनें	Non-Federated Unions/Associations of Posts and Telegraphs Department ...	53
1027. डाक तार विभागों में व्यापारिक प्रचार	P & T Departments' Commercial Publicity ...	53—54
1028. भारत में विदेशी धर्म-प्रचारक	Foreign Missionaries in India ...	54
1029. टेलीप्रिंटर और टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Public Sector to produce Teleprinters and Television Sets ...	54—55
1030. धोलपुर, राजस्थान से चुराई गई भगवान राम की मूर्ति बरामद होना	Recovery of Idol of Lord Rama, Stolen from Dholpur, Rajasthan ...	55
1031. विज्ञान और टैक्नोलोजी के विकास के लिए भारत और फ्रांस के बीच संधि	Pact between India and France to step up science and Technology...	55—56

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1032. बंगला देश से भारत आ रहे बिहार मूलक पाकिस्तानी नागरिक	Pakistani Nationals of Bihari Origin from Bangla Desh coming over to India ...	56
1033. गुजरात राज्य के लिए दस वर्षीय योजना	Ten Year plan for Gujarat State ...	56—57
1034. गुजरात में उद्यमकर्ताओं को ऋण देने की योजना	Scheme for Grant of Loans to Entre-preneus in Gujarat ...	57—58
1035. लाइसेंस/आशयपत्रों के लिए उड़ीसा से प्राप्त अनिर्णीत आवेदन-पत्र	Pending Applications from Orissa for Licences/Letters of Intent ...	58
1036. बड़े औद्योगिक गृहों को अपने नियंत्रण में लेना	Take over of Larger Industrial Houses	58—59
1037. भारत की पर्यटक एटलस	Tourist Atlas of India ...	59
1038. जालंधर में टैलीविजन केन्द्र	T. V. Station at Jullundur ...	59
1039. दिल्ली में वनस्पति उद्यान	Botanic Gardens in Delhi ...	60
1040. पेटैंटों और डिजाइनों के लिए आवेदन-पत्र	Applications for Patents and Designs	60—61
1043. आकाशवाणी के कलाकारों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of All India Radio Artist's Pay Scales ...	61
1044. आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए पांच सदस्यीय निकाय	Five man Body on Implementation of Economic Policies ...	62
1045. टायर कारखानों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for Setting up of Tyre Factories ...	62
1046. राज्य स्तर पर योजना बोर्ड बनाना	Planning Boards at State Level ...	62—63
1047. स्कूटरों और मोटर साइकिलों का निर्माण	Production of Scooters and Motor-Cycles ...	63—64
1048. केरल में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences for setting up of Industries in Kerala ...	64—65

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1049. डाक प्रशिक्षण कक्षा, मैसूर से प्रशिक्षणार्थियों का गायब हो जाना	Missing Trainees from Postal Training Classes, Mysore ...	65
1050. केरल में क्रास बार स्विच-गियर फिडिंग व्यवस्था	Cross Bar Switch Gear Feeding in Kerala ...	65
1051. कार उत्पादक एककों का विस्तार	Expansion of Car Manufacturing Units ...	66
1052. केरल में भारी उद्योग	Heavy Industries in Kerala ...	66
1053. हैदराबाद में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी जासूस	Pak Spies Arrested in Hyderabad ...	66—67
1054. अन्तरिक्ष तकनीकी ज्ञान पर भारत और फ्रांस के बीच करार	Pact between India and France on Space Technology ...	67
1055. उत्तर प्रदेश में घड़ी बनाने के कारखाने की स्थापना	Setting up of Watch Factory in Uttar Pradesh ...	68
1056. भारतीय इंजीनियरों का विदेशों में जाना	Migration of Indian Engineers Abroad	68—69
1057. दिल्ली में आकाशवाणी और टेलीविजन पर जनसंघ का कथित प्रचार	Alleged Jana Sangh Propaganda over Delhi A. I. R. and T. V. ...	69
1058. पटना में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Patna ...	69
1059. डाक घरों में गर्भ निरोधकों के वितरण सम्बन्धी डिपो होल्डर योजना	Depot Holders Scheme in Post Offices for distribution of Contraceptives	70
1060. डाक तथा तार खेल-कूद नियंत्रण बोर्ड का भारतीय हाकी और फुटबाल फैडरेशनों से सम्बद्ध किया जाना	Affiliation of P & T Sports Control Board ...	70
1061. संचार मंत्रालय के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारी	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees of Communications Ministry ...	70—71

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
1062. कार्य अध्ययन एकक की सिफारिशें	Recommendations of work Study Unit	71
1063. बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Licences to large Industrial Houses ...	72
1064. बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए समेकित कार्यक्रम	Integrated Programme to Provide Jobs to unemployed ...	72--74
1065. अगली पंचवर्षीय योजना में टेलीविजन स्टेशन	T. V. Stations in Next Five Year Plan ...	74
1066. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी आयोग	Commission on Science and Technology ...	74—75
1067. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग	Demand for Banning, R. S. S. ...	75
1068. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए योजना	Plan for Science and Technology ...	75
1069. स्मृति डाक टिकटों का जारी किया जाना	Issue of Commemorative Stamps ...	76
1070. पटना रेडियो स्टेशन	Patna Radio Station ...	76
1071. नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड को अनुदान देना	Distribution of Grants on Civil Defence aud Home Guards ...	76—77
1072. पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो द्वारा राज्यों को दी गई सहायता	Assistance Rendered by Bureau Police Research and Development State Government ...	78
1073. दिल्ली टेलीविजन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के लिए मापदण्ड	Criteria for Delhi T. V. Coverage ...	78—79
1074. लाइसेंसों और आशय पत्रों का जारी किया जाना	Issue of Licences and Letters of Intent	79
1075. अवैध सट्टा	Illegal Speculation ...	79

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1076. टेलीफोन कालों में कदाचार	Malpractices in Telephone Calls ...	79—80
1077. राष्ट्रीय बचत पत्र	National Savings Stamps ...	80
1078. बिड़ला बन्धुओं द्वारा ओपेल कार का निर्माण	Manufacture of OPEL Car by Birlas	80
1079. बिहार में ग्रामीय डाकघरों के लिए अनिर्णीत प्रार्थना-पत्र	Pending Applications for Rural Post Offices in Bihar ...	81
1080. कलकत्ता में एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री में योजना मंत्री का भाषण	Planning Minister's Speech in Associated Chambers of Commerce and Industry at Calcutta ...	81
1081. सारे देश के औद्योगिक विकास के लिए समान नीति	Uniform Policy for the Industrial Development of the entire country	81—82
1082. बिहार में एक्सप्रेस पत्रों और तारों का वितरण	Delivery of Express Letters and Telegrams in Bihar ...	82
1083. चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नया टेलीफोन कारखाना	New Telephone Factory during Fourth Five Year Plan ...	82—83
1084. सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिये गए औद्योगिक कारखानों पर व्यय	Expenditure on Industrial Units taken over by Government ...	83
1085. देश में नक्सलवादी आन्दोलन का अध्ययन	Study on Naxalite movement in the country ...	83
1086. भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कुछ व्यक्तियों तथा संगठनों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ	Anti National Activities of some Individuals and Organisations during Indo Pak-War ...	83
1087. औद्योगिक एककों के बन्द होने से उत्पन्न होने वाली मजदूरों की स्थिति	Labour situation arising out of the closure of Industrial Units ...	84
1088. दूसरा भू-उपग्रह संचार केन्द्र	Second Satellite Communications Earth Station ...	84

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1089. टरेस्सा वाच कम्पनी के सहयोग से स्विस घड़ियों का निर्माण	Manufacture of Swiss Watches in Collaboration with Tressa Watch Company ...	84—85
1090. भारत पाकिस्तान युद्ध में मारे गए/घायल हुए सीमा सुरक्षा दल के जवानों को दी गई सहायता	Help rendered to Jawans of B. S. F. killed/injured during the Indo-Pak-War ...	85—86
1091. सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों को सुविधायें	Amenities to the Personnel of B. S. F.	86—87
1092. कार के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of car ...	87
1093. भद्रक डाक घर के लिए स्थायी भवन	Permanent Building for Bhadrak Post Office ...	87
1095. वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना बंगला देश से आए गैर-बंगाली मुसलमानों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against non-Bengali Muslims from Bangla Desh who came without Valid travel Documents ...	87—88
1096. दिल्ली को राज्य का दर्जा	Statehood for Delhi ...	88
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	88
कुछ नियंत्रण लागू किये जाने के कारण गुजरात तथा कुछ अन्य राज्यों में कपास की कम बिक्री से उत्पन्न स्थिति	Situation arising out of lack of sale of cotton in Gujarat and some other States due to imposition of certain control ...	88
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P. M. Mehta ...	88—90
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George ...	90—91
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	91—94
सदस्य द्वारा त्याग-पत्र	Resignation of Member ...	94
(श्री पी० सी० सेठी)	(Shri P. C. Sethi) ...	94

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bill and Resolutions	...	94
दसवां प्रतिवेदन	Tenth Report	...	94
याचिका समिति	Committee on Petitions	...	94
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	...	94
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	...	95
अध्ययन दल I का प्रतिवेदन	Report of Study Group I	...	95
सामान्य बजट, 1972-73 सामान्य चर्चा	General Budget, 1972-73-General Discussion	...	95
श्रीमती शीला कौल	Shrimati Sheila Kaul	...	95—96
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	...	96—97
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal	...	97--99
श्री मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	...	99—101
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	...	101—102
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	...	102—104
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B. P. Maurya	...	104
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	...	104—106
श्री एम० एम० जोज़फ	Shri M. M. Joseph	...	106
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia		106—107
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	...	107—108
श्री राजाराम शास्त्री	Shri Raja Ram Shastri	...	108—109
श्री एस० ए० कादर	Shri S. A. Kadar	...	109
श्रीमती मुकुल बैनर्जी	Shrimati Mukul Banerjee	...	109—111

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	...	111—112
श्री के० बालकृष्णन	Shri K. BalaKrishnan	...	112—113
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A. K. M. Ishaque	...	113—114
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	...	114—115
श्री नाथूराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	...	115—116
श्री बसन्त राव पुरुषौत्तम साठे	Shri Vasantrao Purushottam Sathe		116
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में पूछताछ	Re. Call Attention Notice (Query)		117

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 22 मार्च, 1972/2 चैत्र, 1894 (शक)

Wednesday, March 22, 1972/Chaitra 2, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *In the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
Member Sworn

श्री गिरिधर गोमेंगो (कोरापुट)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हैदराबाद में स्कूटर कारखाना स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी किया जाना

*122. **श्री बी० के० दास चौधरी :**
श्री के० मालन्ना :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हैदराबाद के निकट एक गैर-सरकारी स्कूटर कारखाना स्थापित करने के लिये एक आशय-पत्र जारी किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कारखाने का अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना होगा; और

(ग) उत्पादन के कब तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हैदराबाद के निकट स्कूटर संयंत्र स्थापित करने के लिये किसी प्रायवेट पार्टी को हाल ही में आशयपत्र नहीं दिया गया है, किन्तु अक्तूबर, 1970 में दो पार्टियों को

एक वर्ष की अवधि तक वैध आशयपत्र जारी किए गये थे, उनके नाम हैं—दि आन्ध्र प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और श्री पी० वी० रामैया, मद्रास, जो 24,000 की वार्षिक क्षमता के आन्ध्र प्रदेश में स्कूटर बनाने वाले एककों की स्थापना के लिए है। इन दो पार्टियों द्वारा प्रस्तावित स्थापनास्थल क्रमशः हैदराबाद व विजयवाड़ा हैं। आन्ध्र प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर उनके आशयपत्र की वैधता को 6-10-1972 तक बढ़ा दिया गया है। श्री पी० वी० रामैया को दिया गया आशयपत्र 6-10-1971 को व्यपगत हो गया। क्योंकि न तो उन्होंने आशयपत्र की शर्तें पूरी कीं और न इसके समय में वृद्धि करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया। इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि किस समय तक आन्ध्र प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा स्थापित की जाने वाली यूनिट में उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा।

श्री बी० के० दास चौधरी : विवरण से पता चलता है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र पर उनके आशय-पत्र की वैधता को 6-10-1972 तक बढ़ा दिया गया है। निर्माताओं के कोटे में से आन्ध्र प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को आशय-पत्र जारी करने और उसकी अवधि बढ़ाने से पूर्व क्या मंत्रालय ने सभी पहलुओं की जांच कर ली थी कि स्कूटर का मूल्य क्या होगा, कितने पुर्जों का विदेशों से आयात करना होगा तथा उनकी क्या लागत होगी ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जब तक निगम स्कूटर का नमूना तैयार नहीं करेगा तब तक हम इसके मूल्य के बारे में ठीक ढंग से नहीं जान सकेंगे कि इसका मूल्य क्या होगा।

जहां तक इसमें विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है, इस पार्टी को कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई है।

श्री बी० के० दास चौधरी : श्रीमन्, मैं उत्तर समझ नहीं सका। मैंने मूल्य जानना चाहा था।

अध्यक्ष महोदय : अभी तक पार्टी को कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई है। जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, जब तक स्कूटर का नमूना तैयार नहीं किया जायेगा तब तक वह अन्य ब्यौरा नहीं दे सकेंगे।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या मंत्रालय को राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् से स्कूटर के निर्माण के सम्बन्ध में कोई अध्ययन प्रतिवेदन मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि कीमतें बढ़ेंगी तो चाहे कुल उत्पादन कितना ही क्यों न हो, मांग कम हो जायेगी। इस बात को देखते हुए क्या मंत्रालय ने, जहां तक संभव हो, कोई मूल्य विशेष निर्धारित करने पर विचार किया है, स्कूटर निर्माता चाहे कोई भी हो ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : बाजार में उपलब्ध विभिन्न स्कूटरों के मूल्य इस प्रकार हैं; बजाज 2,434 रुपये; लम्ब्रेटा-2,425 रुपये; फैंटाब्रुलस सेल्फ-स्टार्टर, 3,200 रुपये; राजदूत-3,275 रुपये।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या मंत्रालय ने ऐसी कोई कार्यवाही की है जिससे मूल्य न

बढ़ें। यदि मूल्य बढ़ेंगे तो मांग कम हो जायेगी। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् का यही कहना था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उन स्कूटरों के मूल्य बता दिये हैं जो पहले ही बनाये जा चुके हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : In view of the demand and the position in regard to production of scooters, may I know whether it has been brought to the notice of the Government that there is heavy black-marketing in scooter-trade ? Has the Government considered to increase its production in the other sector ?

Shri Siddheshwar Prasad : The production capacity of the existing scooter manufacturing companies has been increased. The Government is considering to set-up scooter manufacturing unit in the Public Sector to produce scooters on a large scale with a view to remove present shortage.

Effect of Deficit Financing on Fourth Plan

***125. Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri R. R. Sharma :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the total deficit financing resorted to in the Fourth Five Year Plan and the present position thereof;

(b) its likely effect on the plan and the economic condition of the country; and

(c) the steps being taken by Government in this regard ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) इसके कारण योजना परिव्ययों में समुचित बढ़ोतरी हो पाई है और अर्थ-व्यवस्था को और सक्रिय करने में सहायता मिली।

(ग) इसमें कोई शक नहीं कि अधिक मांग के कारण मूल्यों पर दबाव पड़ा, परन्तु सुरक्षा खर्चे में अपरिहार्य वृद्धि, बांगला देश के विस्थापितों के खर्चे, प्राकृतिक प्रकोपों के लिए राहत तथा योजना परिव्ययों में आवश्यक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इसे बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता। मूल्यों तथा सामान्य आर्थिक स्थिति पर घाटे की अर्थ-व्यवस्था का प्रभाव कम करने के लिए, सरकार ने कई उपाय अपनाये हैं जैसे ऋण का कड़ाई से नियमन, भौतिक नियन्त्रणों को जारी रखना, सरकारी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, समीकरण भण्डार बनाना, गुड़ और कुछ तिलहनों व खाद्य तेल में सट्टेबाजी पर रोक, संसाधन जुटाने की गैर-स्फीतिकारक प्रणालियों पर विश्वास और ओवर ड्राफ्टों पर कड़ाई से नियन्त्रण।

विवरण

चौथी योजना	केन्द्र	(करोड़ रुपये) राज्य	जोड़
मूलअनुमान	850	—	850
मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज में दिए गए अनुमान	1100	103	1203
1969-70 (खर्चा)	89	(—)31	58
1970-71 (खर्चा)	231	134	365
1971-72 (अद्यतन अनुमान)	385	138	523
1972-73 (अनुमान)	242	(—)67†	175
चार वर्षों का जोड़	947	175	1121

†राज्यों के ओवरड्राफ्टों के एक अंश की अदायगी को दर्शाते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : It has been said in the statement that we had originally planned to spend 800 crores of rupees in the Five Year Plan but this has now gone up to 1500 crores rupees. I wish to know the reason for this abnormal increase.

श्री मोहन धारिया : जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उन विभिन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जिनका कि हमने सामना किया, हमें घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सहारा लेना पड़ा है किन्तु मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि घाटे की इस अर्थ-व्यवस्था का प्रयोग केवल उत्पादक कार्यों के लिये ही किया जाएगा ताकि उत्पादन बढ़े और यह विकासशील वित्त बने।

Shri Hukam Chand Kachwai : You haven't mentioned about the overdrafts made be State Governments. I want to know the amount of overdrafts that various States havy received and the measures you have adopted to recover the said amount ?

श्री मोहन धारिया : प्रश्न ओवर ड्राफ्टों के बारे में नहीं था। अत: उत्तर में उसका उल्लेख न होना स्वाभाविक है। किन्तु मैं सदन को आश्वासन देता हूँ कि राज्य सरकारें जितना ओवर ड्राफ्ट निकाल चुकी हैं उसके अतिरिक्त और अधिक ओवर ड्राफ्ट निकालने की अनुमति उन्हें नहीं दी जाएगी। हमने एक ऐसी पद्धति अपनाई है जिसके जरिये राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ओवर ड्राफ्टों की वसूली की जा सकती है। वर्ष 1972-73 के दौरान 67 करोड़ रुपये की राशि वसूल की जाएगी। इस प्रकार घाटे की अर्थ-व्यवस्था 175 करोड़ रुपये रह जाएगी।

Shri Hukam Chand Kachwai : I had asked the amount of overdraft taken by each State.

श्री मोहन धारिया : यह इस सवाल में नहीं आता। यदि माननीय सदस्य इसके लिए पृथक सूचना देंगे तो मैं उत्तर दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को बता दिया है। आपने वक्तव्य में इसके बारे में उल्लेख किया है और उसमें यह प्रश्न उठता है। विभाग का कार्य है कि वह इसको देखे। या तो आप उल्लेख न किया करें और यदि उल्लेख करते हैं, तो आपको जानकारी देने की स्थिति में भी होना चाहिए।

श्री मोहन धारिया : मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि वक्तव्य में राज्यों द्वारा लिए गए ओवर ड्राफ्ट का उल्लेख किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अतः माननीय सदस्य का प्रश्न न्यायोचित है।

श्री मोहन धारिया : मेरे पास इस समय राज्यवार ओवरड्राफ्ट की राशि के बारे में जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदस्य को जानकारी दे दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी योजना के कुल आबंटन में से कितनी राशि धन उत्पादन या समग्र राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने के कार्यों पर लगाई जाएगी।

श्री मोहन धारिया : यह कहना अत्यन्त कठिन है कि कितनी राशि धन उत्पादन के कार्य में लगाई जाएगी। किन्तु जैसाकि मैंने पहले भी कहा कि जब भी घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सहारा लिया जाता है और तब यदि राष्ट्रीय सम्पत्ति अथवा राष्ट्रीय आय की घाटे के बजट के साथ मेल न खाता हो, तो यह निश्चित रूप से देश में मुद्रा स्फीति उत्पन्न करता है।

यही कारण है कि इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में घाटे की अर्थ-व्यवस्था को कम से कम करने के लिए उपाय किए गए हैं और इस वर्ष घाटे की यह राशि केवल 240 करोड़ रुपये रखी गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बेरोजगारी समिति का सदस्य होने के नाते हमने पश्चिमी बंगाल का दौरा किया था और वित्त आयुक्त से यह पूछा था कि पश्चिम बंगाल के लिए चौथी योजना में आबंटित राशि में से कितना धन समग्र राष्ट्रीय उत्पादन पर व्यय किया जाएगा और उन्होंने उत्तर दिया, 'बहुत कम।'

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु, प्रश्न पूछने का यह कोई ढंग नहीं है। आप प्रश्न पूछते समय व्यक्तिगत जानकारी को बीच में न लाइए।

Shri Jharkhande Rai : To what extent the last three Five Year Plans have been able to bring change in our economy and whether it is a fact that 70 per cent of the wealth generated

by these plans has gone into the hands of few families while only 30 per cent of it has gone to the general public ?

Mr. Speaker : I am sorry your question does not arise out of the main question.

Shri Jharkhande Rai : My question arises from the reply of the Minister.

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है आपका प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : धन आबंटन के सम्बन्ध में योजना आयोग क्या तरीका अपनाता है ? क्या इसके लिए जनसंख्या को आधार बनाया जाता है या कि राज्य के पिछड़ेपन को ? मंत्री महोदय कह सकते हैं कि जनसंख्या और राज्य के पिछड़ेपन दोनों को ही आधार बनाया जाता है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि वर्ष 1970-71 में योजना आयोग ने विभिन्न राज्यों को 803 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की। उसमें से कई विकसित राज्यों को काफी अधिक धन दिया गया......

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछ रहे हैं या स्वयं जानकारी दे रहे हैं ? कृपया सीधा प्रश्न पूछिए।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : योजना आयोग किस आधार पर यह आबंटन कर रहा है ? मैं यह जानना चाहता हूँ।

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य का प्रश्न संगत नहीं है। फिर भी मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। यह आबंटन राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों के अनुरूप किया जाता है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : वे सिफारिशें कौन-सी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। यह प्रश्न इसमें से नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के कारखाने में निर्यात एक्सरे फिल्मों की किस्म

+

*126 **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकारी क्षेत्र के कारखाने में घटिया किस्म की फिल्म उत्पादित की गयी थी और इस कारखाने द्वारा निर्मित फिल्मों की किस्म पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता था।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त एक्सरे फिल्मों का प्रयोग करने वाले गैर-सरकारी संगठनों से इन फिल्मों की किस्म के सम्बन्ध में उनकी राय प्राप्त की है ; और

(ग) निर्माण करने वाले कारखाने की प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत फिल्में रद्द की जाती हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) परिवर्तन करने की अवस्था में, निर्माण करने में होने वाले दोषों और नमूना लेने के (सेम्पलिंग) कारण 48.26 प्रतिशत फिल्में रद्द की गई थीं, इसको उत्तरोत्तर कम कर दिया गया है और इस समय 10 से 20 प्रतिशत तक फिल्में रद्द होती हैं। फिल्मों में सुधार के लिए उपकरण और प्रक्रिया में कुछ सुधार किए गये हैं। किनारे साफ करने (एजट्रिमिंग) के कारण भी

10 प्रतिशत फिल्में रद्द की गई हैं जो निर्माण करने में होने वाला दोष नहीं है और जो अपरिहार्य भी है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गतवर्ष रद्द किये जाने की प्रतिशतता 40 थी ? वस्तुतः जनवरी मास में हुए अधिवेशन ने भारत में बनी एक्सरे फिल्मों के स्तर के बारे में बहुत शिकायत की गई है और कहा गया है कि इनका स्तर बहुत गिर गया है। क्या इसका अर्थ यह है कि इन फिल्मों की फैक्टरी में जाँच करते समय बहुत ढील बरती जाती है, जिसके परिणामस्वरूप केवल 10 से 20 प्रतिशत फिल्मों को ही रद्द किया जाता है और अब बाजार में और भी घटिया किस्म की फिल्में बेची जाती हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हमने रिपोर्टों तथा उनमें की गई टिप्पणियों को देखा है और हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स की एक्सरे फिल्मों के किस्म में सुधार करने के लिए कुछ उपाय किए हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या एक्सरे फिल्मों की किस्म में सुधार लाने की दृष्टि से सरकार विदेश से तकनीकी जानकारी प्राप्त किन्हीं विशेषज्ञों को निमंत्रित कर रही है, जो भारत में बनने वाली एक्स-रे फिल्मों की किस्म की जांच कर सके, अथवा फैक्टरी वर्तमान ढंग से ही चलती रहेगी ? फैक्टरी में महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ नहीं हो पाई हैं। श्री हरिहरन के पश्चात् मुख्य उत्पादन प्रबंधक के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है तथा श्री राजन को प्रबन्ध-निदेशक पद से हटाए जाने के बाद उनके स्थान पर कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया है। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ऐसे कौन-से उपाय करने जा रही है जिससे कि वहाँ बनाई जाने वाली एक्सरे फिल्मों की किस्म में सुधार हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : सदस्य प्रश्न पूछते-पूछते भाषण देने लगते हैं।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स की प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में हमने कार्यवाही की है। जहाँ तक अन्य सुझाव का प्रश्न है हम कुछ विदेशी फर्मों के साथ परामर्श कर रहे हैं। इस विचार-विमर्श को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् हम फिल्मों की किस्म में सुधार के लिए कुछ कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने एक अन्य प्रश्न भी पूछा है। क्या श्री राजन के बाद किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया गया है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : एक अन्य व्यक्ति को प्रबन्ध निदेशक बनाया गया है।

डा० कैलास : सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में एक्सरे फिल्मों की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार एक्सरे फिल्मों के उत्पादन में वृद्धि का है; यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में प्रति मास या प्रतिवर्ष के हिसाब से कमी के आंकड़े उपलब्ध हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न फिल्मों की किस्म से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य इस प्रकार अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं !

डा० कैलास : किस्म और कमी का पारस्परिक सम्बन्ध है। यदि उत्पादन 20 प्रतिशत कम होता है या 40 प्रतिशत एक्सरे फिल्मों को रद्द कर दिया जाता है, तो इस का अर्थ यह है कि हम एक्सरे फिल्मों में आत्मनिर्भर नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न बड़ा सीमित है। यदि मंत्री महोदय उत्तर देने की स्थिति में हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं पिछले कुछ महीनों के उत्पादन के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार हैं :

सितम्बर	1971	...	10,947
अक्तूबर	1971	...	71,895
नवम्बर	1971	...	19,724
दिसम्बर	1971	...	62,647
जनवरी	1972	...	60,378
फरवरी	1972	...	68,170

उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है ।

श्री एम० एस० संजीवी राव: क्या मंत्री महोदय फोटो फिल्म्स में रंगीन फिल्मों के उत्पादन की प्रगति के बारे में कुछ बताने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न एक्सरे फिल्मों की किस्म के बारे में हैं ।

औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए वस्तुओं का आयात करने हेतु विदेशी मुद्रा देना

+
*128 **श्री राज देव सिंह :**
श्री मूल चन्द डागा :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के इस निष्कर्ष की ओर दिलाया गया है कि 1972 में औद्योगिक उत्पादन में 9 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है बशर्ते कि आवश्यक आयात के लिए विदेशी मुद्रा रिजर्व से धन उपलब्ध करा दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् का अध्ययन कुछ उपयोगी तो है, किन्तु उसमें विभिन्न उद्योगों के विकास स्तर को प्रभावित करने वाले विविध कारणों पर पूर्ण रूप से विचार नहीं किया गया है जिनमें से एक कच्ची सामग्री के आयात की कमी है । अत्यावश्यक वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था जैसे विभिन्न अभ्युपायों से सरकार अधिक-

तम औद्योगिक उत्पादन करने का प्रयास कर रही है। तो भी इस संदर्भ में आवश्यकता इस बात की है कि अभी तक आयात की जाने वाली वस्तुएँ देश में ही बनें व हमारी आत्मनिर्भरता बढ़े।

उपरोक्त लक्ष्यों के अनुरूप आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ाने के हित में चयनात्मक दृष्टि से तो आयात नीति के उदारीकरण पर विचार किया जा सकता है, सरकार नहीं चाहती कि विदेशी मुद्रा निधि में अत्याधिक कमी आये, आयातों का विवेकहीन उदारीकरण हो, ऐसी स्थिति में अधिक दिन तक नहीं चलाया जा सकता है, आत्मविकास की आत्मनिर्भरता पर आधारित नीति के लिए भी यह लाभप्रद नहीं है।

श्री राजदेवसिंह : विवरण से पता चलता है : "राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् का अध्ययन कुछ उपयोगी तो है, किन्तु उसमें विभिन्न उद्योगों के विकास स्तर को प्रभावित करने वाले विविध कारणों पर पूर्ण रूप से विचार नहीं किया गया है जिनमें से एक कच्ची सामग्री के आयात की कमी है।"

इस सम्बन्ध में क्या सरकार राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् से फिर से इस का विस्तार से अध्ययन कर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहेगी ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह कहा जा चुका है। यह एक सुझाव मात्र है।

श्री राजदेवसिंह : उत्पादन बढ़ाने के रास्ते में क्या रुकावटें हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जैसा कि इस सभा में बार-बार स्पष्ट किया जा चुका है कि एक बात कच्चे माल की कमी है, दूसरी तकनीकी जानकारी की कमी, माँग में भी गिरावट आई है। इन सभी कारणों से···

श्री ज्योतिर्मय बसु : कार्यशील पूँजी की कमी।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हम कुछ क्षेत्रों में विद्यमान कच्चे माल की कमी को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तकनीकी जानकारी की स्थिति को भी सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाने और उसके पूर्ण उपयोग के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कार्यशील पूंजी की कमी सबसे मुख्य बात है।

Shri M. C. Daga : Money has been reserved for required import, I would like to know whether there is black marketing there or not, whether the production is to its full capacity ?

Shri Siddheshwar Prasad : I do not have any information about this just now.

श्री राम सहाय पाण्डे : राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि यदि 1972 में कुछ विदेशी मुद्रा निश्चित कर दी जाये तो आर्थिक और औद्योगिक प्रगति में 9-10 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। कितनी विदेशी मुद्रा सुरक्षित करने का सुझाव दिया गया है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : अपने प्रतिवेदन में उन्होंने इस्पात, सूती कपड़ा, चीनी आदि का सुझाव दिया है, इसके साथ-साथ उन्होंने सलाह दी है कि सरकार देशीय उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। अतः हम इस सुझाव की जाँच कर रहे हैं और आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

कछार में रेडियो स्टेशन

*129. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी योजना में कछार में रेडियो स्टेशन खोलने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : ट्रांसमीटर तथा स्टूडियो उपकरण लग चुके हैं और केन्द्र एक मास के अन्दर चालू हो जाएगा। शुरू में इसको सीमित सुविधाएँ प्राप्त होंगी। इन सुविधाओं में अगले दो वर्ष में वृद्धि की जाएगी और परियोजना सभी दृष्टियों से चौथी योजना की समाप्ति से पहले पूरी हो जाएगी।

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : ट्रांसमीटर की शक्ति क्या होगी तथा उसके कार्यक्रम कितने क्षेत्र तक सुने जा सकेंगे ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर है और इसके कार्यक्रम सिल्चर और उससे कुछ और आगे तक सुने जा सकेंगे।

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : सिल्चर से कितने मील आगे तक ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मीलों की सही-सही दूरी बताना कठिन है।

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : क्या इसके कार्यक्रम पूरे कछार जिले में सुने जा सकेंगे या कुछ और दूर तक ?

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों माननीय महिला सदस्यों के बीच में नहीं आना चाहता। पर तीसरे प्रश्न की अनुमति नहीं दी जा सकती।

डाक-तार विभाग में चिकित्सा-व्यय प्रतिपूर्ति सम्बन्धी दावे

*130. **श्री वी० मायावन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा-व्यय प्रतिपूर्ति संबंधी दावों में कमी करने के लिए डाक-तार बोर्ड के दक्षता ब्यूरो की सिफारशें लागू करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस कार्यवाही के फलस्वरूप इन दावों में कमी हुई है; और

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने के बाद इन दावों की संख्या कितनी है और यह संख्या सिफारिशों के लागू किये जाने से पूर्व की संख्या से कम थी अथवा अधिक ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) दक्षता ब्यूरो की चिकित्सा-व्यय प्रतिपूर्ति संबंधी स्वीकार की गई अधिकांश सिफारिशों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सहमति से ही कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि उनके मौजूदा आदेशों में संशोधन या परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए ये सिफारिशें स्वास्थ्य मंत्रालय को विचारार्थ भेज दी गई हैं। इनमें से जिन सिफारिशों पर डाक-तार बोर्ड कार्रवाई करने में सक्षम था, उन पर कार्रवाई की जा चुकी है।

(ख) और (ग) : दक्षता ब्यूरो ने डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को चिकित्सा-व्यय संबंधी अनियमित दावे प्रस्तुत करने से रोकने और ऐसे दावों को पकड़ने के बारे में उपाय सुझाए थे। इससे चिकित्सा-व्यय के दावों की कुल संख्या पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। अभी यह बता सकना असामयिक होगा कि चिकित्सा-व्यय के अनियमित दावों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि दक्षता ब्यूरो की अधिकांश सिफारिशें अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

श्री वी० मायावन : दक्षता ब्यूरो ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? स्वास्थ्य मंत्रालय के विचारार्थ सिफारिशें कब भेजी गईं तथा स्वास्थ्य मंत्रालय कब तक उस पर सहमति दे देगा?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : ब्यूरो ने अपनी सिफारिशें वर्ष 1969 में प्रस्तुत की थीं। सिफारिशों पर डाक-तार बोर्ड ने विचार किया तथा ये सिफारिशें मार्च, 1970 से स्वास्थ्य मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

श्री वी० मायावन : क्या सिफारिशें डाक-तार बोर्ड के क्षेत्राधिकार में हैं तथा इन पर उसने क्या कार्रवाई की है? दक्षता ब्यूरो ने डाक-तार विभाग के कर्मचारियों द्वारा अनियमित चिकित्सा बिलों के दावों को रोकने के लिए कौन-कौन से उपाय सुझाये हैं? यह तर्क किस आधार पर दिया जाता है कि इन सिफारिशों का चिकित्सा दावों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा? जब भी अनियमित चिकित्सा सम्बन्धी दावों पर नियंत्रण रखा गया है, इनकी संख्या में कमी हुई है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : प्रश्न के एक भाग में सुझाव है। प्रश्न केवल इतना है कि हमने कौन-कौन सी सिफारिशें मानी हैं। यह सिफारिश संदेहास्पद व्यक्तियों और कैमिस्टों अथवा डाक्टरों आदि का रजिस्टर रखने से संबंधित थी। यदि विभाग को ऐसा कोई संदेह होता है, तो उसका एक रजिस्टर अलग से रखा जाता है।

अन्य सिफारिशें केवल डाक-तार कर्मचारियों से ही सम्बन्ध नहीं रखती, वरन् भारत सरकार के सभी कर्मचारियों पर ये नियम लागू होते हैं। हम भारत सरकार के कुछ कर्मचारियों के लिए अपनी ओर से नियमों को नहीं बदल सकते।

Shri Onkar Lal Beruwa : What is the number of these claims ? Whether the Bureau also recommended to give a fixed amount as medical charges ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : एक सिफारिश यह की गई थी कि एक निश्चित राशि चिकित्सा भत्ते के रूप में दी जाये। पर स्वयं डाक-तार बोर्ड ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। इस सिफारिश को भी स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के लिए भेजा गया है। क्योंकि इसका सम्बन्ध सभी सरकारी कर्मचारियों से है।

इन चिकित्सा बिलों पर डाक-तार विभाग द्वारा किया गया खर्च पिछले दो वर्षों में 4·05 करोड़ रुपये से बढ़कर 5·0 करोड़ रुपये हो गया है।

श्री जगन्नाथ राव : क्या रूरकेला में काम कर रहे डाक-तार बोर्ड कर्मचारियों द्वारा अस्पताल में भरती होने के लिए 200 रुपये मांगे जाने की अपनी कठिनाई के सम्बन्ध में दिये गये अभ्यावेदन पर कोई निर्णय ले लिया गया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यद्यपि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सीधा सम्बन्धित नहीं है पर जो भी जानकारी मेरे पास है वह मैं दूंगा। रूरकेला में इस्पात मंत्रालय का अपना अस्पताल है और हमने डाक-तार कर्मचारियों को भी उस अस्पताल में भरती कर चिकित्सा करने का उनसे अनुरोध किया है। हमारे और उनके बीच बातचीत चल रही है और आशा है मंत्रालय इस सुझाव को मान जायेगा।

Delivering of T. M. O. S. on Sundays and Holidays

***131. Dr. SankataPrasad :**
Shri Narendra Singh :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme for disbursement on Sundays and holidays of money orders sent by telegrams;

(b) if so, whether any additional charges will be required to be paid on this account; and

(c) if so, the amount thereof ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) With effect from the 1st March, 1972, a scheme for the payment of telegraphic money orders upto Rs. 250/-per telegraphic money order on Sundays at selected post offices has been introduced. Even prior to the introduction of the scheme for payment on Sundays, T. M. Os were paid on post office holidays (other than Sundays).

(b) Yes, Sir, only for the payment of telegraphic money orders on Sundays. No additional charge other than the usual charges is, however, required to be paid for payment of a telegraphic money order on other Post Office Holidays.

(c) The additional charge required to be paid if payment is to be made on Sundays also, is Re.1/-per telegraphic money order.

Dr. Sankata Prasad : Whether this scheme will be implemented in all the Post offices of the country ?

Shri H. N. Bahuguna : We have started the scheme as it was recommended by Administrative reforms Commission that the common facilities of Post and Telegraph should

be extended. We have decided accordingly. It was brought to my notice that some times people have to face difficulties in sending money orders. It has also been seen that on Sunday the son called by the father to look after his illness could not reach him. The facility has been extended to Sunday as it is available on other holidays. The facility would be available in the post offices which open on Sunday because opening of the post office for this purpose only would cast expenditure more than normal. The facility is provided only in the post offices where from clearance is to take place.

कारों के निर्माण में प्रयोग होने वाले पुर्जों की किस्म

*138. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल में अम्बेसेडर कार की क़िस्म बहुत घटिया हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस कार में तथा फियेट और स्टैन्डर्ड कारों में प्रयोग होने वाले पुर्जों की किस्म में सुधार करने के लिए किस प्रकार का नियंत्रण रखने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

देश में निर्मित अम्बेसेडर और अन्य प्रकार की कारों की किस्म में गिरावट के बारे में सरकार के पास शिकायतें आई हैं । जुलाई, 1967 में, सरकार ने मोटरकार क़िस्म जाँच समिति के नाम से एक विशेषज्ञ समिति कारों की किस्मों में गिरावट के कारणों की जाँच करने और सुधार के तरीके सुझाने के लिए नियुक्त की थी । कारों की किस्म को सुधारने के लिए समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं, पालन के लिए कार-निर्माताओं को बता दी गई है । इनमें से अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों के पालन का सुनिश्चय करने के लिए, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 16 के अन्तर्गत वैधानिक निदेश कार-निर्माताओं को जारी कर दिये थे । समिति की सिफारिशों में से एक के अनुसरण में कार-निर्माताओं और आटोमोबाइल एवं सहायक उद्योग के एसोसियेशन को भारतीय मानक संस्था प्रमाणीकरण चिन्ह वाली कम्पनियों से माल खरीदने का एक निदेश जारी कर दिया था । इन उपायों के बावजूद भी, कारों की किस्म में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ परन्तु शिकायतों की संख्या में कुछ कमी हुई है । कार निर्माताओं में क्वालिटी के प्रति सजगता का अभाव मुख्य कारण है, क्योंकि वे आश्रय-प्राप्त एवं विक्रेता बाजार में काम करते हैं ।

सरकार द्वारा भी जारी किए गए निदेशों में कितना कार्यान्वियन हो रहा है इसका मूल्यांकन करने के विचार से सरकार ने एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति कार-निर्माताओं के संयन्त्रों का निरीक्षण करने के लिए नवम्बर, 1971 में नियुक्त की थी । समिति ने तीन कार संयन्त्रों का निरीक्षण किया है और मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स के बारे में उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ।

निर्माताओं को अनुपालन के लिए रिपोर्ट में दिये गये विभिन्न सुझावों/सिफारिशों से अवगत करा दिया गया है। मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड एवं मैसर्स स्टैन्डर्ड मोटर्स प्राडक्टस आफ इण्डिया लि० की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

देशी कारों की किस्म को सुधारने के लिए एक उपाय है कि आपूर्ति और माँग में ठीक संतुलन रखा जाये और स्वस्थ प्रतियोगिता का निर्माण किया जाये। इस विचार से, सरकार ने परीक्षित विदेशी डिजायन की सवारी कारों के निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में एक परियोजना की स्थापना करने का सिद्धान्तरूप में निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त देशी जानकारी और परदेशी मशीनरी पर आधारित गैर-सरकारी क्षेत्र में सवारी कारों के निर्माण के लिए पाँच पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस हेतु और तीन पार्टियों को पंजीकरण हेतु आशय-पत्र स्वीकृत कर दिये हैं।

Shri R. P. Yadav : The quality of Ambassador Car is going from bad to worse. After a few months of operation, it starts creating sound because of inferior quality of accessories and light weight iron sheet. In view of this, would the Hon. Minister think over nationalising this industry; if so, by what time and, it not, the reasons therefor ?

Shri Siddheshwar Prasad : The Government have already clarified their policy regarding nationalization of Hindustan Motors. I have not to say anything more in this regard. As regards the quality improvement car manufacturers are instructed to carry out improvements in accordance with complaints received by the Government.

Shri R. P. Yadav : In view of open loot of Ambassador manufacturers, whether Government propose to take some concrete steps or to conduct an enquiry into the matter; if so, by what time ?

Shri Siddheshwar Prasad : The Government has appointed a committee of experts for improving the quality of cars. The committee is investigating the causes of deterioration where improvements are possible. If improvements are possible, we would try to get them done.

श्री प्रियरंजनदास मुंशी : एकाधिकार को रोकना सरकार की नीति बताई जाती है। बिड़ला बन्धु हिन्दुस्तान मोटर्स के रूप में एकाधिकार का उपयोग कर रहे हैं। उनकी कार की किस्म दिन-प्रतिदिन घटिया होती जा रही है और मंत्री महोदय कहते हैं कि मामले की जांच कराई जायेगी। मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान मोटर्स का एकाधिकार स्थायी रखते हुए वह जांच आदि के नाम से साधारण व्यक्ति को कब तक धोखा देते रहेंगे ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस सम्बन्ध में सदन में समय-समय पर सरकार की नीति स्पष्ट करा दी गई है और सदन उससे भली-भांति अवगत है। जहाँ तक कार उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, सरकार का विचार अपना एक कारखाना स्थापित करने का है।

Dr. Laxmi Narayan Pandey : The Hon. Minister has said that letters of intent have been issued to five parties for Industrial license...I would like to know the names of the parties to whom letters of intent have been issued ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुलहक चौधरी) : उनके नाम हैं, श्री संजय गांधी, श्री मदन मोहन राव, बड़ौदा के श्री एच० थाकर, एलाइड इंजीनियरिंग कारपोरेशन तथा ओमप्रकाश रेखी ।

Dr. Laxmi Narayana Pandey : Kindly let us know the detail on which these letters were issued.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न एम्बैसेडर कार तथा उसके पुर्जे आदियों के स्तर के विषय में है । यदि आप और कोई जानकारी चाहते हैं उसके लिए अलग से नोटिस दे सकते हैं ।

श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे : दीर्घकाल से अनिर्णीत पड़ी कार परियोजना के मामले में क्या प्रगति हुई है और इसे कब तक सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न एम्बैसेडर कार की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में है। इस विषय पर आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : जब तक एम्बैसेडर कार की स्थिति में सुधार नहीं किया जाता क्या सरकार तब तक बिड़ला बन्धुओं को और लाइसेंस न देने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री सिद्धेश्वरी प्रसाद : कार बनाने के लिए सरकार कोई अन्य लाइसेंस नहीं दे रही है ।

श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे : एम्बैसेडर कार की बिगड़ती हुई स्थिति के विषय में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इससे पहले कभी ऐसी स्थिति थी ? क्या मंत्री महोदय को पता है कि बिड़ला बन्धुओं का यह कहना है कि वे कार की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्तमान खराद बदलने हेतु उन्होंने विदेशी मुद्रा माँगी है ?

कार की बिगड़ी हुई स्थिति के लिए वे अपनी पुरानी खरादों को दोषी ठहराते हैं जिन्हें प्रयोग करने के लिए वे विवश हैं । उनका कहना है कि विदेशी मुद्रा के लिये दिये गये उनके प्रार्थना-पत्र पर मंत्रालय ने कोई कार्यवाही नहीं की है । क्या यह सच है कि उन्होंने अपनी खरादें बदलने के लिये विदेशी मुद्रा मांगी है और यह उन्हें नहीं दी जा रही है । दूसरे क्या यह भी सच है कि उन्होंने इस माडल को रद्द करने तक दूसरे माडल लाने का सुझाव दिया है ? यदि ऐसा है तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : बिड़ला बन्धुओं ने एक नई कार ओपल बनाने के उद्देश्य से अपनी पुरानी खराद बदलने हेतु विदेशी मुद्रा की मांग की है । उनसे कहा गया है कि वे अपनी खराद तथा इस कार के स्वरूप को बदलें और नई कार न बनायें क्योंकि यदि वे नई कार बनायेंगे तो हजारों एम्बैसेडर कारों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को कठिनाई आयेगी । अतः सरकार ने नये माडल के लिए सहमति व्यक्त नहीं की है । जहां तक इस प्रकार का प्रश्न है, यदि वे अपनी खराद बदल कर इसकी स्थिति में सुधार करना चाहते हैं और उसके लिये उन्हें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है तो सरकार मामले पर ध्यान देने के लिए तैयार है ।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : संविधान के 25 वें संशोधन द्वारा सरकार को अनुच्छेद 39 (क), (ख) तथा (ग) में निहित नीति निर्देशक तत्वों के समर्थन में बिना मुआवजा दिये सम्पत्ति अर्जित करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। क्या सरकार यह नहीं सोचती कि नीति निर्देशक तत्त्वों के समर्थन में इन फर्मों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये तथा क्या सरकार यह नहीं सोचती कि इन फर्मों का राष्ट्रीयकरण करने में असफल रहना सरकार द्वारा जनता को दिये आश्वासन का उल्लंघन है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : सरकार ऐसा नहीं सोचती। जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है यह देखना होता है कि राष्ट्रीयकरण से जनता को लाभ होगा कि नहीं। यदि राजकोष पर भार पड़ता है तो धर्म को सरकारी अधिकार में नहीं लिया जाना चाहिये। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए मैंने सदन में विस्तार से वे कारण बताये थे जिनसे सरकार इस फ़र्म को अपने अधिकार में नहीं लेना चाहती।

विदेशों के साथ सहयोग करार

*139. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 के प्रथम छः महीनों के दौरान चुने हुए क्षेत्रों में विदेशी सहयोग के स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या में गत दो वर्षों की तुलना में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है; और

(ख) भारत में विदेशी पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 1971 के पूर्व में स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्तावों की संख्या 166 है जबकि 1969 और 1970 के वर्षों के पूर्वार्द्ध में संख्या क्रमशः 82 और 94 थी।

(ख) विदेशी विनियोजन सम्बन्धी विस्तृत सरकारी नीति के अन्तर्गत भारत में विनियोजन करने संबंधी अनेक सुविधाएँ और प्रोत्साहन विदेशी विनियोजकों के लिए प्राप्त है। फिर भी इस नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : विदेशी सहयोग के कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं, उनमें से कितने निजी कम्पनियों के हैं तथा कितने सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैंने विवरण में बताया है कि वर्ष 1971 के प्रथम पक्ष में 1969 तथा 1970 के उसी पक्ष के क्रमशः 82 और 94 प्रस्तावों की तुलना में विदेशी सहयोग के 166 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

श्री सी० टी० दंडपाणि : क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि देश का औद्योगिक विकास विदेशी सहयोग तथा विदेशी तकनीकी ज्ञान के अभाव में संभव नहीं है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहां देश में तकनीकी ज्ञान की कमी है, सरकार विदेशी सहयोग की स्वीकृति देती है। अन्यथा स्वदेशी ज्ञान तक स्वदेशी तकनीकी विकास को ही प्रोत्साहन दिया जाता है।

श्री नवल किशोर सिंह : मंत्री महोदय ने सभा-पटल पर रखे गये अपने विवरण में कहा है, "विदेशी पूंजी निवेश के सम्बन्ध में विस्तृत सरकारी नीति के अन्तर्गत"। क्या मैं जान सकता हूँ कि विदेशी पूंजीनिवेश के सम्बन्ध में सरकारी नीति क्या है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। सामान्यतया विदेशी पूंजी-निवेश के अधिक शेयरों की स्वीकृति नहीं दी जाती है। 40 प्रतिशत विदेशी पूंजी भाग पर विचार किया जाता है। तकनीकी सहयोग सम्बन्धी करार सामान्यतया केवल पांच वर्ष के लिए किये जाते हैं जिससे जितना शीघ्र सम्भव हो भारतीय एककों के ज्ञान का उपयोग भी किया जा सके तथा पर्याप्त अनुसंधान तथा भारतीय निर्माता एककों की विकास सम्बन्धी सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा सके।

जहाँ स्वदेशी ज्ञान वाणिज्यिक कार्यों के लिए या तो तत्काल उपलब्ध है अथवा थोड़े समय में उपलब्ध होने की आशा है वहाँ विदेशी सहयोग को स्वीकृति नहीं दी जाती है। विलासिता की वस्तुओं तथा अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए भी विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जाती है, निर्यातोन्मुख योजना अपवादस्वरूप ली जा सकती है।

एक जैसी वस्तुओं तथा एक जैसे उत्पादों के निर्माण में तकनीकी आयात की पुनरावृत्ति न हो, इस उद्देश्य से जब एक ही समय एक जैसी वस्तुओं के निर्माण के लिये बहुत से कारखाने स्थापित करने का विचार होता है तब उनसे परस्पर बातचीत करने की व्यवस्था बनाने के प्रयास किये जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह तो एक शोधग्रंथ है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हो सकता है, परन्तु यह माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों की सूची समाप्त हो गई है। कल 20 सदस्यों में से 9 उपस्थित थे। आज भी 9 सदस्य उपस्थित हैं। मैं फिर से सूची को दोहराता हूँ। जो सदस्य आ गये हैं वे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

कच्चे माल के आयात प्रतिस्थापन का अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन

*123. **श्री पीलू मोदी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे कच्चे माल के देशीय स्रोतों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन करने का आदेश दिया है जिसका इस समय सुलभ विदेशी मुद्रा से आयात किया जा रहा है ;

(ख) क्या अध्ययन पूरा हो चुका है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) कच्चे माल के आयात प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा बचने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आयात प्रतिस्थापन लगातार होता रहता है और इसे कई तरीकों से अमल में लाया जा रहा है, जिनमें आयातित कच्चे माल और पुर्जों आदि का प्रतिस्थापन सम्मिलित है। यह प्रतिस्थापन प्रावस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रमों में तेजी लाकर उत्पादन में वृद्धि करके और उत्पादन की प्रत्येक इकाई में आयातित कच्चे माल और पुर्जों की खपत में कमी करके किया जा रहा है।

(ग) 101 रसायन उद्योगों और 224 इंजीनियरी उद्योगों की कच्चे माल की आवश्यकताओं के आधार पर अनुमान के अनुसार 1972 में लगभग 30 करोड़ रु० के मूल्य के आयातों के स्थान पर देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किए जाने की सम्भावना है, जबकि लगभग 25 करोड़ रु० के मूल्य के आयात को रुपये में भुगतान करने वाले देशों में बदला जा सकता है।

श्री पीलू मोदी : प्रश्न का उत्तर सुनने के पश्चात् प्रश्न पूछने से पहले मामले की जो कुछ जानकारी मुझे थी वह भी समाप्त हो गई है। समझ नहीं आता कि इस बात का सीधा-सा उत्तर देने में क्या आपत्ति है कि जो माल देश में उपलब्ध हो सकता है उसका कितनी मात्रा में आयात किया गया? अनुपूरक प्रश्न यह है। वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान ऐसे माल के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है जिसकी उपलब्धि देश में हो सकती थी ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : कुछ चुने हुए उद्योगों में, जिनके विषय में तकनीकी विकास के महानिदेशक द्वारा अध्ययन किया गया, उत्पादन में विदेशी मुद्रा उपकरण इस प्रकार प्रयुक्त हुए। वर्ष 1969 में 8.3 प्रतिशत, 1970 में 8.2 प्रतिशत, वर्ष 1971 में 7.43 प्रतिशत। विदेशी मुद्रा की बचत इस प्रकार है : वर्ष 1969 में 10,40,01,970 रुपये; वर्ष 1970 में 12,30,00,000 रुपये तथा वर्ष 1971 में 24.20 करोड़ रुपये।

श्री पीलू मोदी : खेद है कि मंत्री महोदय मेरा प्रश्न नहीं समझ पाये। मैं प्रश्न के शब्द-चयन में परिवर्तन करके पूछता हूँ। सरकार द्वारा उस कच्चे माल के लिए आयात लाइसेंस दिये जाते हैं जो अक्सर देश में ही उपलब्ध होता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस बात की जानकारी प्राप्त की है कि गत कई वर्षों में सरकार ने कितने मूल्य के उस कच्चे माल का आयात किया है जो स्वदेश में उपलब्ध हो सकता था और यदि हाँ, तो क्या इस बात की जानकारी करने के लिए सरकार का कोई विशेष विभाग है और यदि हाँ, तो इस प्रकार हमने कितनी विदेशी मुद्रा बरबाद की है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : ऐसे कच्चे माल के आयात की स्वीकृति नहीं दी जाती है जो देश में ही उपलब्ध होता है। यदि माननीय सदस्य ने जो कुछ मैंने पहले कहा था, उसे सावधानी से सुना होता तो उन्हें प्रश्न का उत्तर मिल गया होता। मैंने कहा था कि क्योंकि आयात प्रतिस्थापन की प्रक्रिया निरन्तर चलती है, अतः तकनीकी विकास के महानिदेशक इस कार्य को करते हैं।

श्री विक्रम चन्द महाजन : आयात प्रतिस्थापन की वृद्धि के लिए कौन से प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इसके लिए एक परामर्शदात्री परिषद् है। यदि कोई व्यापार ऐसा है जिसे आयात प्रतिस्थापन का नाम दिया जा सके अथवा काफी मूल्य का हो, तो सम्बन्धित व्यक्ति को पारितोषिक दिया जाता है।

श्री विक्रमचन्द महाजन : किस प्रकार का पारितोषिक; तथा सरकार ने यह पारितोषिक किस व्यक्ति को प्रदान किया है ?

श्री पीलू मोदी : पद्मभूषण।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : उनके आविष्कारों का ब्यौरा तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। कम से कम 20 से 30 व्यक्तियों को 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक प्रतिवर्ष दिया जाता है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister has said that there is an advisory Council to suggest as to which raw material may be available here and the same should not be imported. How many such proposals have been given by the Council during the last three or four years ?

श्री पीलू मोदी : बिजली चली गई है, क्या मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं। श्रीमती इन्दिरा गांधी के हित में बहुत बड़ा जनमत होने के कारण संसद् में बहुत से पक्षी निर्वाचित होकर आ गये हैं। क्या आप सुनिश्चित करायेंगे कि सदन से हर हालत में इन पक्षियों को दूर रखा जायेगा ?

श्री ए० पी० शर्मा : आप चिड़ियों को भी दूर रखना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक दिन एक कबूतर आ गया था, आज एक गोरैया नजर आ रही है।

श्री पीलू मोदी : एक दिन, कुछ समय पहले, जंगली कबूतर आया था।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आपके आकार का पक्षी यहाँ नहीं आ सकता।

Shri Siddheshwar Prasad : I would like to give figures for two years. It is a long list.

अध्यक्ष महोदय : इसे पटल पर रखा जा सकता है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, I have asked question from the reply given by the Hon. Minister. I wanted to know the item recommended by the advisory council which may be procured indigenously and are not necessary to be imported.

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि इस सूचना को आप सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे। सूचना सम्बन्धी सूची बहुत लम्बी है।

श्री पीलू मोदी : इसे पटल पर प्रस्तुत करने के लिए कहने के बजाय आप उसका सारांश देने के लिए कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कठिन कार्य है। अनेक बार ऐसा करने में आप भी अपने को असमर्थ पायेंगे।

प्रश्नों की सूची समाप्त हुई

QUESTION LIST OVER

अध्यक्ष महोदय : बहुत से माननीय सदस्य आज भी अनुपस्थित हैं।

श्री पीलू मोदी : आप आज की छुट्टी घोषित क्यों नहीं कर देते।

अध्यक्ष महोदय : कल प्रश्नों का नोटिस देने वाले माननीय सदस्यों में से आधे से अधिक अनुपस्थित थे। वही स्थिति आज फिर है।

Shri Ramavatar Shastri : Mr .Speaker, Sir, increase the number of questions in the list.

Mr. Speaker : How can it be done ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

डाक तथा तार विभाग के निरीक्षण गृहों में टेलीफोन

*121. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सर्किलों में डाक तथा तार विभाग के लगभग सभी निरीक्षण गृहों में दौरा करने वाले तथा छुट्टियाँ बिताने वाले अधिकारियों के प्रयोग के लिए टेलीफोन की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके मंत्रालय ने ऐसे टेलीफोन, विशेषकर ऐसे स्टेशनों में जहाँ डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था है, के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) जिन महत्त्वपूर्ण स्थानों का विभाग के अधिकारी अक्सर दौरा करते हैं उनके निरीक्षण क्वार्टरों में टेलीफोनों की व्यवस्था कर दी गई है ।

(ख) निरीक्षण क्वार्टरों में सामान्यतः दौरे पर जाने वाले राजपत्रित अधिकारी ही रहते हैं और वे आम तौर पर मुफ्त टेलीफोन सुविधा पाने के हकदार होते हैं। इन क्वार्टरों के खाली रहने पर केअरटेकर इन्हें ताला लगा देते हैं । इस तरह टेलीफोनों का दुरुपयोग रोकने के लिए कोई उपाय करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

सीमा सुरक्षा दल और होमगार्ड के कर्मचारियों को सुविधाएं देना

***124. श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि 1 जुलाई, 1971 के बाद युद्ध संचालन सम्बन्धी विभिन्न कार्यवाहियों में मारे गये अथवा अपंग हुए सशस्त्र सैनिकों को दी जाने वाली अनुग्रहपूर्वक पेंशन और शिक्षा अनुदान सम्बन्धी सुविधाएं सीमा सुरक्षा दल तथा होमगार्ड के कर्मचारियों को भी दी जायें; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

युद्ध के कारण हुई विधवाओं तथा विकलांग सर्विस मैनों के लिए उदारतापूर्वक पेन्शन देने के संबंध में रक्षा मंत्रालय ने हाल में आदेश दिए हैं । अर्द्ध सैनिक तथा पुलिस बलों जैसे सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल इत्यादि के सदस्यों को उसी तरह की पेन्शन देने के लिए शीघ्र ही एक घोषणा की जा रही है ।

चूंकि होम गार्ड केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, अतः अर्द्ध सैनिक बलों समेत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेन्शन देने संबंधी आदेश उन पर लागू नहीं होंगे । इसलिए हाल के भारत-पाक युद्ध के दौरान मारे गये अथवा घायल होम गार्डों के परिवारों को निम्नलिखित नकद पुरस्कार देने के लिए भारत सरकार ने आदेश दिए हैं—

(क) मारे गये प्रत्येक होमगार्ड के आश्रितों को 2000 रुपये ।

(ख) वे जो घायल हुए हैं, प्रत्येक को 500 रुपये ।

(ग) गुमशुदा होमगार्डों के परिवारों को 6 माह के लिए 120 रुपये प्रतिमाह ।

ये नकद पुरस्कार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वितरित किए जायेंगे और बाद में भारत सरकार से सम्पूर्ण राशि वापस माँगी जाएगी ।

2. मारे गये या विकलांग सशस्त्र सेना कर्मचारियों तथा अर्द्ध सैनिक बलों के कर्मचारियों के बच्चों को निम्नलिखित छूट प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना तैयार की है--

(i) संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्क से पूरी छूट।

(ii) छात्रावास वाले स्कूलों तथा कालेजों में अध्ययन करने वालों को होस्टल व्यय के लिये अनुदान।

(iii) पुस्तक तथा लेखन सामग्री का पूरा व्यय, और

(iv) यूनीफार्म का पूरा व्यय, जहाँ वह आवश्यक है।

3. इस समय अनुग्रहीत पेन्शन देने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिए गये हैं और न ही भारत सरकार के ध्यान में कोई ऐसा आदेश है।

Offer of Transfer of certain Manufacturing Units by Mitsubishi to India

*127. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the Japanese Industrial Company Mitsubishi has offered to transfer some of its industries manufacturing Marine Engine Compressors and Pumping sets to India and then to export their products ;

(b) whether the Company has also offered to collaborate with India for setting up joint ventures in other countries ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development (Shri Moinul Haque Choudhury) : (a) to (c) : The Mitsubishi Economic Mission, which visited India, has reported favourably on the possibility of shifting certain labour intensive industries such as marine engines, compressors, pumps, meters etc. from Japan to India and also of seeking collaboration of Indian firms in its construction works of various projects in third countries. However, no firm proposals have been received.

Government have noted this with satisfaction and have indicated to the Indian Ambassador to Japan that in respect of firm proposals of this nature, assistance in locating suitable Indian partners could be extended through its appropriate agencies and the requisite clearances speeded up in regard to foreign collaboration and joint ventures, in accordance with the settled policy of the Government.

सरकारी क्षेत्र में टाइपराइटर उद्योग की स्थापना

*132. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में टाइपराइटर बनाने के उद्योग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुलहक चौधरी) : (क) और (ख) सरकार का सरकारी क्षेत्र में टाइपराइटर बनाने वाले एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड, मद्रास को जो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है और आजकल टेलीप्रिंटर निर्माण करता है, वार्षिक 500 बिजली के टाइप राइटर निर्माण करने की अनुमति दी गई है। इस प्रस्ताव में कोई विदेशी सहयोग नहीं है किन्तु पूंजीगत माल का आयात करना निहित है। परियोजना की पूंजीगत लागत 4.77 लाख रुपये होने का अनुमान है।

कम लागत के दूर संचार उपकरणों का निर्माण

*133. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार की बैटरियों से चलने वाले और ग्रामीण संचार व्यवस्था की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कम लागत के दूरसंचार उपकरणों का इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर में निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) क्या दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र द्वारा तैयार किया गया उपकरण स्थापित किया जा चुका है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस उपकरण ने सफलतापूर्वक काम किया है ; और

(घ) इसका कितना वार्षिक उत्पादन होगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) लगभग 100 सेट वार्षिक।

कागज उद्योग का राष्ट्रीयकरण

*134. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में कागज उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : जी नहीं।

बंगला देश पर होने वाले व्यय का विकास कार्यक्रमों पर प्रभाव

*135. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश पर होने वाले व्यय के कारण विकास के मुख्य कार्यक्रमों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) क्या देश में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करने की योजनाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) बंगला देश पर होने वाले खर्चे के कारण, योजना में मूलरूप से कल्पित वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) जी, नहीं।

राजस्थान में औद्योगिक विकास की धीमी गति

*136. **डा० कर्णी सिंह :**
श्रीमती कृष्णा कुमारी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति धीमी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ख) राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या योगदान है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा गठित पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करने वाले अध्ययन दल द्वारा राजस्थान को अन्य राज्यों को तुलना में पिछड़ा घोषित किया गया है फिर भी राज्य के औद्योगिक क्रियाकलाप में किसी प्रकार की न्यूनता का पता नहीं चलता। औद्योगिक कार्यकलाप में गति आई है जिसका पता राज्य की कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र द्वारा मिली राशि जो 1954-55 में 65.22 करोड़ रुपये थी और 1968-69 में 169.77 रुपये हो गई, से पता चलता है। 1971 में 16 औद्योगिक लाइसेंस जिसमें 5 नये एककों की स्थापना के लिए थे और 31 आशय-पत्र जारी किए गये। जबकि 1970 में 7 औद्योगिक लाइसेंस और 8 आशयपत्र जारी किए गए थे।

राज्य के 26 जिलों में से 16 को केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों से रियायती आर्थिक सहायता के लिए चुना गया है, अलवर और जोधपुर नामक दो जिलों को केन्द्रीय सरकार के 10% के अनुदान के लिए चुना गया है।

राज्य में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। हाल में जारी किए आशय-पत्रों में से 2 स्कूटरों, 2 ट्रैक्टरों, तथा अन्य वैन्डसा (पट्टी आरा), प्लास्टिक मशीनों और आर्फ संवाहक (कन्डक्टर) उपकरणों के उत्पादन के लिए थे। केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा गठित एक दल ने राजस्थान का औद्योगिक सर्वेक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की है जिसमें औद्योगिक गतिविधिओं के संचालन का दिशा-निर्देश किया गया है। उद्योगों की स्थापना के लिए दल ने विशिष्ट क्षेत्रों का भी उल्लेख किया है, ऐसी आशा की जाती है कि राज्य सरकार इस रिपोर्ट का कार्यान्वयन तत्परता से करेगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का विस्तार

*137. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 43 गैर-सरकारी उद्योगों को हाल ही में विस्तार की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उनको विस्तार की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग) उत्पादन बढ़ाने और अधिष्ठापित क्षमता का पूर्णतम उपयोग करने की दृष्टि से सरकार ने यह निर्णय किया है कि 54 विशिष्ट उद्योगों, (जिनकी सूची सभा पटल पर रखी जाती है) [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 1520-72] औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में चाहे सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में हों जो बड़े औद्योगिक गृहों और विदेशी कम्पनियों से भिन्न हैं और जिनको एक या दो पाली के आधार पर लाइसेंस दिया गया है, पंजीकृत हैं, को ऐसी क्षमता के अधिकतम उपयोग के आधार पर अपना उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी जायेगी और अन्य मामलों में अपनी लाइसेंस-प्राप्त / पंजीकृत क्षमता के अतिरिक्त 100 प्रतिशत तक अपने उत्पादन में विस्तार करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि वे कुछ अन्य शर्तों को पूरा करते हैं। बड़े औद्योगिक गृहों और विदेशी कम्पनियों से सम्बन्धित उपक्रमों के लिए यह सुविधा सामान्यतः उपलब्ध नहीं होगी। उनको विशेषरूप से सरकार के पास आवेदन भेजना होगा और उनके आवेदनों पर इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कार्य दल द्वारा विचार किया जाएगा। ये रियायतें लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में रत औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध नहीं होंगी।

54 उद्योगों की क्षमता का उपयोग करने के लिए कच्चे माल सम्बन्धी नीति

*140. **श्री वनमाली पटनायक** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 54 उद्योगों में से जिन्हें हाल ही में लाइसेंस मुक्त किया गया है, प्रत्येक के लिए कच्चे माल संबंधी नीति तैयार की जा रही है ;

(ख) इससे उनकी क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने में कहां तक सहायता मिलेगी; और

(ग) इस समय मामला किस हालत में है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : 54 उद्योगों में से कोई भी लाइसेंस-मुक्त नहीं किया गया, किन्तु कुछ सुस्पष्ट शर्तों के अधीन अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग के बारे में केवल निर्णय लिया गया है।

आगामी वर्ष के लिए आयात नीति प्रायः 31 मार्च को प्रति वर्ष घोषित की जाती है व घोषणा के पूर्व, नीति सम्बन्धी प्रतियां दोनों संसदों के सभापटल पर रखी जानी हैं। इस समय आयात नीति के ब्योरे को प्रकट करना जो तैयार हो रहा है, समयपूर्व होगा।

केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियमों और कानन देवन पर्वत (भूमि पुनर्ग्रहण) अधिनियम को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करना

977. **श्री वयालार रवि :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियमों और कानन देवन पर्वत (भूमि पुनर्ग्रहण) अधिनियम, 1971 को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने का है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : केरल सरकार ने संविधान की नवीं अनुसूची में अधिनियमों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

छोटा नागपुर का विकास

978. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटा नागपुर के विकास के लिए 531 करोड़ रुपयों में से केवल 16 करोड़ रुपये रखे गये हैं जब कि छोटा नागपुर की जनसंख्या बिहार की कुल जनसंख्या का एक चौथाई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में हस्तक्षेप किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चौथी योजना अवधि में छोटा नागपुर क्षेत्र के विशेष कार्यक्रमों के लिए 16 करोड़ रुपये रखे गये हैं। ये कार्यक्रम उन स्कीमों के अलावा हैं जिन्हें शुरू करने के लिए राज्य की वार्षिक

योजनाओं में, विकास की विभिन्न मदों के अन्तर्गत, खर्चा निर्धारित किया गया है। वर्ष 1970-71 के दौरान, कुल योजना व्यय का लगभग $\frac{1}{3}$ भाग छोटा नागपुर क्षेत्र में व्यय किया गया।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लगाना

979. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा बिहार के समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने टेलीफोन लगाये गये हैं; और

(ख) जिलेवार उन पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में बिहार के विभिन्न जिलों में खोले गए विभिन्न लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर और उन पर किए गए व्यय का विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में बिहार के देहाती क्षेत्रों में खोले गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक **टेलीफोन घरों की संख्या** का विवरण ।

क्रमांक	जिले का नाम	खोले गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या।	कुल व्यय (नक़द और सामान)
1.	पटना	3	23,235.00
2.	गया	10	1,03,270.00
3.	शाहाबाद	8	76,943,00
4.	मुंगेर	5	43,150.00
5.	भागलपुर	1	5,053.00
6.	हज़ारीबाग	2	16,825.00
7.	सिंहभूम	3	9,810.00
8.	संथाल परगना	2	5,640.00
9.	दरभंगा	4	91,165.00
10.	मुजफ्फरपुर	7	64,829.00
11.	सारन	5	29,807.00
12.	चम्पारण	1	14,146.00
13.	रांची	4	20,944 00
14.	धनबाद	NIL	NIL
15.	पूर्णियां		
16.	पलाभू		
17.	सहरसा		

जाँच आयोग द्वारा पंजाब के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जाँच

980. **श्री वरके जार्ज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाँच आयोग द्वारा की जा रही पंजाब सरकार के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जाँच में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) जाँच आयोग द्वारा की जा रही जाँच का कार्य प्रगति पर है।

श्री नागरवाला की मृत्यु की जांच करना

981. **श्री वरके जार्ज** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 2 मार्च, 1972 को स्टेट बैंक, नई दिल्ली के 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त की मृत्यु हो गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले की जाँच की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) मृत्यु के कारणों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन एक सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट तहकीकात कर रहे हैं।

पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार सुविधाओं में सुधार

982. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **संचार मंत्री** पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में, संचार सुविधाओं में सुधार के बारे में 7 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8845 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना इस बीच एकत्रित कर ली गई है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) **डाक सुविधाएं**

डाक सुविधाओं के विस्तार के लिए देश के बहुत से पहाड़ी इलाके और पाकिस्तान और चीन के साथ लगने वाले सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों को बहुत पिछड़ा इलाका घोषित किया गया है। ऐसे इलाकों की एक सूची अनुबंध में संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**

1521/72] । ऐसे इलाकों में कुछ खास मामलों में घाटे की सीमा बढ़ा कर प्रति डाकघर प्रतिवर्ष 1000 रुपये सालाना का घाटा उठाकर पोस्टमास्टर जनरल के स्तर पर और घाटे की यह सीमा आगे और बढ़ा कर प्रति डाकघर प्रति वर्ष 2,500 रुपये का घाटा उठाकर महानिदेशक के स्तर पर डाकघर खोले जा सकते हैं जबकि आम देहाती इलाकों में घाटे की ये सीमाएं 500 रुपये या 750 रुपये है ।

निम्नलिखित सारणी से यह पता चलेगा कि तीसरी योजना की अवधि और उसके बाद के वर्षों में ऐसे बहुत पिछड़े इलाकों में कितनी संख्या में डाकघर खोले गए :

घाटे की सीमा बढ़ाकर खोले गए डाकघरों की संख्या	तीसरी योजना की अवधि में	1966-67 में	1967-68 में	1968-69 में	1969-70 में	1970-71 में
(क) 1000 रुपये प्रति डाकघर प्रतिवर्ष	1,833	61	223	301	408	294
(ख) 2500 रुपये प्रति डाकघर प्रतिवर्ष	198	—	2	4	—	1

1-4-1970 से देहाती इलाकों में जिनमें सीमावर्ती पहाड़ी और दूसरे बहुत पिछड़े इलाके शामिल हैं, एक शर्त यह थी कि ऐसे हर एक डाकघर को खोलते समय उसकी लागत की कम से कम 25 प्रतिशत आय होनी चाहिए । चूंकि यह शर्त, अर्थात् कम से कम आय की गारन्टी, के कारण बहुत 'पिछड़े इलाको' खास तौर पर सीमावर्ती और पहाड़ी जिलों के इलाकों में पर्याप्त संख्या में डाकघर खोलने में बाधा पड़ती थी, अतः 17-11-1971 को यह निर्णय किया गया है कि :

(क) रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमावर्ती इलाकों में कम से कम आय की गारन्टी की शर्त पर जोर न देकर प्रति डाकघर 2500 रुपये तक का घाटा उठाकर डाकघर खोले जा सकते हैं ।

(ख) पहाड़ी इलाकों में डाकघर खोलते समय अनुमानित लागत की केवल 10 प्रतिशत कम से कम आय होने पर भी डाकघर खोला जा सकता है ।

(ग) अन्य इलाकों में जिन्हें अत्यन्त पिछड़ा इलाका घोषित किया जा चुका है, डाकघर खोलते समय इस बात पर जोर दिया जाय कि प्रस्तावित डाकघर से होने वाली आय उसके अनुमानित खर्च की कम से कम 15 प्रतिशत जरूर होनी चाहिए ।

जहाँ ऊपर (क) श्रेणी के अधीन डाकघर खोलना रक्षा विभाग के अधिकारियों या राज्य सरकार के अधिकारियों की विशेष प्रार्थना पर निर्भर करता है, वहाँ पहाड़ी और अन्य 'अत्यन्त

पिछड़े' इलाकों का निर्धारण, जैसा कि ऊपर श्रेणी (ख) और (ग) में दिया है सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श और महानिदेशक, डाक-तार के अनुमोदन पर निर्भर करता है ।

आशा की जाती है कि उपर्युक्त उदारतापूर्ण नीति से, देश के सीमावर्ती, पहाड़ी और 'अन्य अत्यन्त पिछड़े' इलाकों में पर्याप्त संख्या में डाकघर खोले जा सकेंगे ।

दूरसंचार की सुविधाएं

पहाड़ी इलाकों में भी विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के साथ लगने वाले सीमावर्ती इलाकों में—इन सुविधाओं में काफी सुधार भी किया गया है और निम्नलिखित नये कार्यालय भी खोले गए हैं :—

1.	टेलीफोन एक्सचेंज	59
2.	पी० सी० ओ०	83
3.	संयुक्त डाक व तारघर	97

अन्तरिक्ष अनुसंधान आयोग की स्थापना

983. **श्री वयालार रवि :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक स्वायत्तशासी अन्तरिक्ष अनुसंधान आयोग की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृहमंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) सरकार ने, देश में अन्तरिक्ष अनुसंधान सम्बन्धी क्रियाओं के क्षेत्र में भविष्य में किसी संस्थान को स्थापित करने के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

त्रिवेंद्रम की औद्योगिक परीक्षण तथा अनुसंधान वेधशाला का पुनर्गठन

984. **श्री वयालार रवि** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें त्रिवेन्द्रम स्थित औद्योगिक परीक्षण तथा अनुसंधान वेधशाला के पुनर्गठन तथा इसके स्तर को बढ़ा कर प्रादेशिक वेधशाला के स्तर तक करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) विस्तृत जांच के पश्चात् राज्य सरकार को यू० एन० डी० पी० सहायता की राशि 445,000 डालर से 100,000 डालर तक कम करने की सलाह दी गई है जिससे यह यू० एन० डी० पी० तकनीकी सहायता के किस्म का प्रस्ताव बन सके ।

उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई

985. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों के लिए आधारभूत कच्चे माल की व्यवस्था करने के बारे में कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या इस कार्यवाही से उद्योग की वृद्धि में फिर से तेजी लाने में सहायता मिली है, और यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में और पश्चिम बंगाल में अलग-अलग औद्योगिक उत्पादन में कहाँ तक प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1522/72]

औद्योगिक क्षमता का विस्तार करने हेतु लायसेंसों के लिए आवेदन-पत्रों का निपटारा करने के लिए कर्मचारियों के सक्रिय दल की नियुक्ति

986. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक क्षमता का विस्तार करने हेतु लायसेंसों के लिए आवेदन पत्रों का निपटारा करने के लिए कर्मचारियों के सक्रिय दल की नियुक्ति की जा रही है;

(ख) क्या अधिकांश कारखानों में अधिक उत्पादन की क्षमता पहले से ही विद्यमान है और यह सक्रिय दल इन कारखानों में उत्पादन की स्वीकृत सीमा में परिवर्तन करेगा;

(ग) क्या इस सक्रिय दल ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो कितने आवेदन-पत्रों का निपटारा कर दिया गया है और देश में औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सक्रिय दल की स्थापना 54 चुने हुए उद्योगों के बारे में उनके द्वारा स्थापित संयंत्र और मशीनों का और अधिक पूर्ण उपयोग करने के लिए बड़े औद्योगिक गृहों एवं अधिकांश विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों के आवेदन-पत्रों पर विचार करने के लिए की गई है।

(ग) और (घ) इस सक्रिय दल को केवल 8 मार्च, 1972 से आवेदन-पत्र प्राप्त होना शुरू हुआ है। 16 मार्च, 1972 तक 8 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिन पर सक्रिय दल द्वारा विचार किया जा रहा है।

तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र

987. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस ऐजेंसी का नाम क्या है जिसने तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का अब काम करना बंद कर दिया है, डिजाइन बना कर दिया था और उस ऐजेंसी का नाम क्या है जिसे इस संयंत्र को लगाने का काम सौंपा गया था;

(ख) क्या इस संयंत्र में आई त्रुटियों को दूर करने में आने वाले खर्चे का अनुमान लगा लिया गया है; और

क्या उसके डिजाइन में त्रुटियों के कारण हुई क्षति का अनुमान लगाने के बारे में किसी तीसरी पार्टी का मत प्राप्त किया गया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृहमंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तारापुर परमाणु बिजली संयंत्र एक चालू परियोजना थी। इसका अभिकल्पन तथा संस्थापन अमरीका की मैसर्स जनरल इलैक्ट्रिक ऐजेंसी ने किया।

(ख) और (ग) संयंत्र में आई त्रुटियों को निम्नलिखित स्थानों से दूर करने की आवश्यकता है :

(1) गाइड ट्यूब होल्डिंग डाउन व्यवस्था,

(2) ट्रांसफार्मर तेल शीतलन विधि।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की सलाह से गाइड ट्यूब होल्डिंग डाउन व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। इन वर्तमान सुधारों पर 1·25 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। ट्रांसफार्मर तेल शीतलन विधि में सुधार लाने के लिए हैवी इलैक्ट्रिकल्स (भारत) लि० के ट्रांसफार्मर विशेषज्ञों तथा अन्य कम्पनियों की सम्मति ली गई है। उन्होंने कुछ अतिरिक्त यंत्रीकरण की व्यवस्था करने, परीक्षण सम्बन्धी कुछ पद्धतियों में संशोधन तथा समुद्रजल शीतलन के स्थान पर स्वच्छ जल शीतलन के प्रयोग की सिफारिश की है। सुधारों सम्बन्धी डिजाइन बना लेने के पश्चात् इन सुधारों पर होने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा तैयार किया जाएगा।

पंजाब तथा राजस्थान में प्रसारण के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास

988. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास करने का निर्णय किया है जिससे इन्हें पंजाब में प्रसारित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमान्त राजस्थान के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं। दिल्ली टेलीविजन केन्द्र के कार्यक्रम का पंजाब के दर्शकों के लिए रिले करने के लिए पुनर्विन्यास नहीं किया जा रहा है। किन्तु पंजाब के उन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए एक टेलीविजन ट्रांसमिशन स्टेशन अमृतसर में स्थापित किया जा रहा है, जहाँ के लोग काफी संख्या में लाहौर टेलीविजन केन्द्र के कार्यक्रमों को देखते हैं। अमृतसर केन्द्र पहले से रिकार्ड किए गए कार्यक्रमों को, जो विशिष्ट रूप से इसके लिए तैयार किये जायेंगे, टेलीकास्ट करेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) साधनों की कमी के कारण देश में टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना का कार्य चरणों में करना पड़ा है। राजस्थान में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के बारे में टेलीविजन विकास के उत्तरवर्ती चरण में विचार किया जायेगा।

दिल्ली के सिविल डिफेंस तथा होमगार्ड्स विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

989. **श्री टी० सोहनलाल** : क्या गृह मंत्री सिविल डिफेंस तथा होमगार्ड्स विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में 30 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3540 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से अपेक्षित सूचना प्राप्त हो गई है और शीघ्र ही अतारांकित प्रश्न संख्या 3540 दिनांक 30 जून, 1971 के उत्तर में दी गई आश्वासन की पूर्ति में सभा पटल पर रख दी जायगी।

सिविल डिफेंस तथा होम गार्ड्स में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

990. **श्री टी० सोहनलाल** : क्या गृह मंत्री सिविल डिफेंस तथा होम-गार्ड्स में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में 30 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3481 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों का कोटा इस बीच पूरा किया जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अभी नहीं।

(ख) दिल्ली होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा निदेशालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का कोटा पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं और किए जा रहे हैं—

(i) रोजगार कार्यालय से विभिन्न रोजगार की श्रेणियों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के नाम भेजने का अनुरोध किया जाता है ।

(ii) इसके साथ-साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की कुछ संस्थाओं से भी अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों को सूचित करने का अनुरोध किया जाता है, ताकि वे भी इन पदों के लिए आवेदन पत्र दे सकें ।

(iii) अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए भरती के मानकों में ढील दी जाती है;

(iv) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए मई, 1971 में एक विज्ञापन दिया गया था । भविष्य में समय-समय पर पदों का विज्ञापन देने का प्रस्ताव है ।

नई दिल्ली के मिन्टो रोड क्षेत्र पर रेलवे पुलिस का क्षेत्राधिकार

991. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **गृहमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पुलिस ने नई दिल्ली के मिन्टो रोड क्षेत्र की झुग्गियों पर, जहाँ घातक शराब की बिक्री के कारण जनवरी, 1972 में लगभग 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, अपने क्षेत्राधिकार से इन्कार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो किस आधार पर; और

(ग) यह क्षेत्र किस प्राधिकार के क्षेत्राधिकार में है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) मिन्टो रोड की झुग्गियों में, जहां घटना घटी, रेलवे पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है, जैसा कि यह क्षेत्र रेलवे की सीमा के अन्तर्गत आता है । किन्तु इस क्षेत्र में किया गया अपराध—संज्ञान लिया गया और अब तक की गई अनुवर्ती जांच जिला पुलिस द्वारा पंजाब पुलिस नियम 28-2 के अन्तर्गत जिसमें व्यवस्था है कि रेलवे कर्मचारियों के रिहायसी मकानों अथवा बैरकों में अथवा उसके सन्निकट किए गये सभी अपराध जिला पुलिस द्वारा संज्ञान के लिए लिये जायेंगे और जांच की गई । यह प्रथा बनी रहे अथवा नहीं के प्रश्न पर जांच की जा रही है ।

जस्टिस आफ पीस तथा आनरेरी मजिस्ट्रेट के पदों की उपयोगिता

992. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **गृहमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि और न्याय की वर्तमान प्रणाली में जस्टिस आफ पीस तथा आनरेरी मजिस्ट्रेट के पद लाभप्रद हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

उप गृहमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) 'जस्टिस आफ पीस' तथा 'आनरेरी मजिस्ट्रेट' की प्रथाएँ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 से संबन्धित है और इस पुरानी संहिता को बदलने के लिए इस समय एक विधेयक संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के सक्रिय रूप से विचाराधीन है। यह समिति निःसन्देह इन प्रथाओं को बनाये रखने अथवा न रखने के प्रश्न पर विचार करेगी।

संघ लोक सेवा आयोग के इन्टरव्यू बोर्ड में सरकार के प्रतिनिधियों का भाग लेना

993. **श्री निहार लास्कर :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग, प्रत्याशियों के चयन हेतु अपने इन्टरव्यू बोर्ड में मन्त्रालय अथवा सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए आमन्त्रित नहीं करना चाहता है;

(ख) क्या लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने भी 1968 में यह सिफारिश की थी कि सरकारी प्रतिनिधियों को संघ लोक सेवा आयोग के इन्टरव्यू बोर्ड में भाग लेने के लिए आमन्त्रित नहीं किया जाना चाहिए; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी नहीं, श्रीमान्। संघ लोक सेवा आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चतुर्थ लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने अपनी 47वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि इस आशंका से बचने की दृष्टि से कि संघ लोक सेवा आयोग के इन्टरव्यू बोर्ड में मंत्रालय के प्रतिनिधि के सलाहकार के रूप में उपस्थित होने के कारण चयन निष्पक्ष रूप से नहीं किये जाते हैं, अतः आयोग को सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग के किसी प्रतिनिधि को बोर्ड की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित नहीं करना चाहिए।

इस सम्बन्ध में सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित इन्टरव्यू बोर्ड की कार्यवाहियों में मन्त्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की विद्यमान पद्धति में कुछ कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी किये। इसके साथ ही साथ, जैसा कि आयोग द्वारा सलाह दी गई, प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के बारे में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विचार माँगे गये और ये विचार आयोग को सूचित किये गए।

संघ लोक सेवा आयोग ने सूचित किया है कि विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा प्रकट किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए, वे (आयोग) फिलहाल उनके द्वारा स्थापित इन्टरव्यू बोर्ड में विभागीय प्रतिनिधियों के भाग लेने की विद्यमान पद्धति को समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं करते। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि वे अगले साल या उसके बाद अपने अनुभव को ध्यान में रखते हुए, विशेषत: सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों के संदर्भ में स्थिति का पुनरीक्षण करेंगे।

इसके बाद प्राक्कलन समिति ने अपनी 100वीं रिपोर्ट में फिर कहा कि उनके विचार से मंत्रालय के प्रतिनिधियों की इन्टरव्यू बोर्ड में सलाहकार के रूप में उपस्थिति चयनों की निष्पक्षता को प्रदूषित करती है और यह विचार दोहराया कि आयोग को ऐसे प्रतिनिधियों को इन्टरव्यू बोर्ड की कार्यवाहियों में नहीं बुलाना जाना चाहिए। प्राक्कलन समिति के ये विचार संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में लाये गये हैं और उस पर उनके विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है।

आदिवासियों की समस्यायें

994. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं का जटिल फार्मूला आदिवासियों की समस्याओं के लिए उपयुक्त नहीं होगा जिनका जीवन और संस्कृति पूर्णतया भिन्न है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मध्यप्रदेश में आदिवासियों के विकास हेतु उनकी समस्याओं की जांच करने के लिए समिति नियुक्त करने का है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, मध्यप्रदेश में आदिम जाति विकास खण्डों की स्कीमवार प्रणाली में लोच नहीं पायी गई और पिछले कुछ वर्षों के दौरान उनमें सुधार करने के लिए कार्रवाई की गई है।

आदिम जाति के लोगों और उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, 33 आदिम जाति विकास खण्डों का सर्वेक्षण किया गया है। इसके अलावा, रक्षात्मक उपाय के रूप में ऋण में राहत दी गई तथा सहकारी संगठनों को भी सुदृढ़ किया गया है।

(ख) अब तक अपनाए गये सुधारात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए, समिति नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश के नागरिकों को शरण दिया जाना

995. **श्री पी० के० देव :** क्या **गृहमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के 16 नागरिक, जो कि पश्चिमी जर्मनी के जहाज के चालक ग्रुप के सदस्य थे, 4 फरवरी, 1972 को कोचीन के निकट नाटकीय ढंग से भाग निकले थे और उन्होंने भारत में शरण मांगी थी; और

(ख) क्या इन नाविकों को शरण दे दी गई थी ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) कथित नाविक जहाज से भाग गये और कोचीन बन्दरगाह में उतरे।

(ख) उनको बंगला देश पहुँचा दिया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा के लिए आयु-सीमा का बढ़ाया जाना

996. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा के लिए आयु-सीमा 26 वर्ष तक बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से लागू किया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है।

मन्त्रियों और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा आयतित कारों का उपयोग

997. **श्री बी० बी० नायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिवंगत श्री लालबहादुर शास्त्री के प्रधानमन्त्रित्व काल में सरकार ने मन्त्रियों और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के उपयोग हेतु विदेशी कारें नहीं मंगाने का निर्णय किया था;

(ग) इस समय केन्द्रीय मन्त्रियों और कार्यालयों में कितनी आयातित कारों का उपयोग होता है और निर्णय करते के पश्चात् वर्ष वार कितनी कारों का आयात किया गया तथा इन कारों के आयात करने के क्या कारण थे; और

(ख) सरकारी कार्यालयों के उपयोग में लाई जाने वाली आयातित कारों के रख-रखाव में गत तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जामन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृहमन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Rise in Price of Essential Consumer Goods

998. **Shri Phool Chand Verma :**
Shri Chintamani fanigrahi :

Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the prices of essential consumer goods have been rising since 1969-70;

(b) if so, the present level of prices of essential consumer goods as compared to that in the last three years and the percentage of rise of prices during this period; and

(c) the steps being taken to curb the rise in prices ?

Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad):

(a) Variaiions in the wholesale price indices of selected consumer goods between 1970-71 and 1969-70, and between 1971-72 (average upto 4th March, 1972) and 1970-71 are given in the statement attached. (Statement I) [*Placed in the Library. Please see.* No. L. T. 1523/72]

(b) Percentage variations in the wholesale price indices of selected consumer goods between February, 1972 and February 1969, February 1970 and February 1971 respectively are given in the enclosed statement. (Statement II). [*Placed in the Library. Please see* No. L. T. 1523/72]

(c) The Government are taking all requisite stps to maintain price stability, some of which are as given below :—

(i) Increase in production, agricultural and industrial, to meet the demand ;

(ii) Fixation of prices, statutorily or informally ;

(iii) Organisation of public distributive system for essential commodities like food-grains and milk ;

(iv) Fair distribution of essential commodities through regulatory controls under the Essential Commodities Act, 1955, and

(v) Availability of essential commodities through cooperative channels.

1971-72 में राष्ट्रीय आय

999. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में भारत की राष्ट्रीय आय क्या थी ;

(ख) क्या लक्ष्य पूरा हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वर्ष 1971-72 में राष्ट्रीय आय का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ख) राष्ट्रीय आय के अनुमान उपलब्ध न होने के कारण, यह आंकना संभव नहीं है कि

राष्ट्रीय आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है। अभी तक के संकेतों के अनुसार, यह वार्षिक योजना में निर्धारित लक्ष्यों से कम होने की संभावना है।

(ग) इसका कारण औद्योगिक उत्पाद का विकास कम होना है, जिसका अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ा है।

वायदा व्यापार समाप्त करने का नारियल के तेल के मूल्यों पर पड़ा प्रभाव

1000. **श्री वयालार रवि :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 के नारियल के तेल का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य कितना था और इस समय उसका मूल्य कितना है ; और

(ख) नारियल के तेल का वायदा व्यापार समाप्त करने का इसके मूल्य-स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) वर्ष 1970 के नवम्बर, 1971 की अवधि में एलेप्पी में जो एक प्रमुख मंडी है नारियल के तेल का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य क्रमश: 805 रु० (13-11-70 को) तथा 525 रु० (6-7-71 को) प्रति क्विंटल था। नारियल के तेल का वर्तमान मूल्य 480 रु० (18-3-72 को) प्रति क्विंटल है।

(ख) 13 अक्तूबर, 1971 से नारियल के तेल के अगाऊ सौदों को बन्द कर देने के कारण इसके वर्तमान मूल्य में लगभग 16 प्रतिशत की मंदी रही है।

केरल में रोजगार योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

1001. **श्री वयालार रवि :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें उन रोजगार योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी गयी है जिनको, 1972-73 में केरल में क्रियान्वित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा 1970 में केरल में बेरोजगारी सम्बन्धी समिति के सुझाव पर, केरल सरकार ने 186 करोड़ रुपये लागत की रोजगार-अभिमुख स्कीमें तैयार कीं। ये स्कीमें योजना आयोग में फरवरी, 1971 में प्राप्त हो गई थीं और योजना आयोग द्वारा गठित केन्द्रीय दल ने मई, 1971 में केरल का दौरा किया। इस दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, योजना आयोग ने इन स्कीमों पर विचार किया और राज्य सरकार को योजना आयोग के विचारों से अवगत करा दिया। बाद में, वार्षिक योजना 1972-73 के लिए, राज्य सरकार के प्रस्तावों को भेजते समय, राज्य सरकार ने अपने प्रस्तावों के साथ, रोजगार स्कीमों पर एक अतिरिक्त योजना प्रस्तुत की। इन योजनाओं के अनुसार इन

स्कीमों पर 1972-73 के दौरान 44 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें से राज्य सरकार 5.13 करोड़ रुपये देगी और बकाया रकम में से केन्द्र 15.80 करोड़ रुपये तक और संस्थागत वित्त 23.07 करोड़ रुपये तक देंगे। परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण, इन स्कीमों को 1972-73 की वार्षिक योजना में शामिल करना सम्भव नहीं हो पाया है। बहरहाल, अन्य राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई इसी प्रकार की स्कीमों के साथ, इन स्कीमों की भी जांच की जा रही है।

पंजाब में प्रति व्यक्ति आय

1002. **श्री तेजा सिंह स्वतंत्र :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों की तुलना में 945 रुपये तक बढ़ गयी है और 1970 में राज्य का स्थान देश में सर्वप्रथम था ; और

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कितनी है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) पंजाब सरकार के आर्थिक और सांख्यिकीय सलाहकार द्वारा पंजाब राज्य में 1969-70 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान भावों के आधार पर 945 रुपए निर्धारित की गई है। 1968-69 अथवा 1969-70 में प्रति व्यक्ति आय के राज्य-वार अनुमान, जो कि अब तक उपलब्ध हैं, संलग्न विवरण में बताए गए हैं। ये अनुमान संबद्ध राज्य सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए थे। संकल्पनाओं, स्रोत-सामग्रियों और रीतिविधान में विभिन्नताओं के कारण ये अनुमान राज्यों में परस्पर तुलना करने के लिए ठीक-ठीक अनुरूप नहीं हैं। तथापि, इस विवरण में बताया गया पंजाब का अंक, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर, किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक है।

विवरण

प्रति व्यक्ति आय के राज्य-वार अनुमान

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संदर्भ-वर्ष	प्रति व्यक्ति आय (रुपए) (वर्तमान भावों के आधार पर)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1969-70	513
असम	1969-70	545
बिहार	1968-69	402
गुजरात	1968-69	567
हरियाणा	1969-70	788

हिमाचल प्रदेश	1969-70	563
जम्मू और कश्मीर	1968-69	513
मध्य प्रदेश	1969-70	569
महाराष्ट्र	1969-70	731
मैसूर	1969-70	515
पंजाब	1969-70	945
राजस्थान	1969-70	480
तमिलनाडू	1969-70	616
उत्तर प्रदेश	1969-70	506
प० बंगाल	1969-70	562
दिल्ली	1968-69	1239

टिप्पणी :—प्रति व्यक्ति राज्य आय के ये अनुमान संबद्ध राज्य सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा तैयार किये गए हैं। संकल्पनाओं, स्रोत-सामग्रियों और रीतिविधान में विभिन्नताओं के कारण ये अनुमान राज्यों में परस्पर तुलना करने के लिए ठीक-ठीक अनुरूप नहीं हैं।

1971-72 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन

1003. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 में देश में कुल राष्ट्रीय उत्पादन कितना था ;

(ख) क्या 1971-72 में कुल राष्ट्रीय उत्पान का अनुमानित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वर्ष 1971-72 के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) अनुमानों के अभाव में, यह नहीं बताया जा सकता कि उपलब्धि कहां तक हुई है। ऐसे संकेत मिले हैं कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन, वार्षिक योजना में निर्धारित लक्ष्य से कम रहा।

(ग) वर्ष 1971-72 के दौरान अर्थ-व्यवस्था की धीमी प्रगति का कारण यह था कि औद्योगिक उत्पादन भी धीमी गति से हुआ। इसका तृतीय क्षेत्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सरकार ने कई उपाय अपनाये हैं, जिनमें से उल्लेखनीय हैं : मुख्य

उद्योगों की स्थापित क्षमता का भरपूर उपयोग, कच्चे माल के आयात का उदारीकरण और अतिरिक्त क्षमता के निर्माण को बढ़ावा।

पोटाशियम उर्वरकों के निर्माण के लिए प्रक्रिया का विकास

1004 : **श्री राजदेव सिंह** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भावनगर स्थित लवण तथा समुद्रीय रसायन अनुमापन संस्था ने मिश्रित लवण में 'पोटाशियम उर्वरकों, पोटाशियम क्लोराइड तथा पोटाशियम शोनाइड' के निर्माण के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पोटाशियम शोनाइट पहले ही पोटाशियम सल्फेट का स्थानापन्न सिद्ध हो चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार का विचार इस प्रक्रिया तथा तकनीक को प्रोत्साहन देने का है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी०सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न कृषि अनुसंधान केन्द्रों में की गई क्षेत्रीय खोजों के परिणामस्वरूप यह ज्ञात हुआ है कि पोटेशियम शोनाइट पोटेशियम सल्फेट के लिए प्रतिस्थापी हो सकता है।

(ग) भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन० आर० डी० सी०) नई दिल्ली द्वारा प्रक्रिया को व्यापारिक प्रयोग के लिए दे दिया गया है और वर्ष 1971 से तमिलनाडु की एक फर्म द्वारा प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है।

केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा किए गए दौरों पर व्यय किया गया धन

1005. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वित्तीय वर्ष 1971-72 में प्रत्येक मंत्री द्वारा किये गये दौरों का कितना धन व्यय किया है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में इसी प्रकार के व्यय की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) वांछित सूचना प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष 1971-72 अभी समाप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकार आयोग 1971-72 द्वारा कम्पनियों की जांच

1006. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) टाटा साहू जैन और बिड़ला बन्धुओं की उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी वर्ष 1971-72 में सरकार आयोग द्वारा जांच की गई थी ; और

(ख) जांच के क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) बड़े औद्योगिक गृहों के जांच आयोग (सरकार कमीशन) द्वारा की जाने वाली जांच चल रही है और इस स्थिति में जांच के परिणाम बताने संभव नहीं हैं। आयोग द्वारा सरकार को रिपोर्ट पेश करने के पश्चात् ही जांच के परिणाम उपलब्ध हो सकेंगे।

विस्फोटकों के अवैध अन्तर्राज्यीय सौदे

1007. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बड़े पैमाने पर विस्फोटकों के गैर-कानूनी अन्तर्राज्यीय सौदे हो रहे हैं और इन सौदों में कुछ प्रसिद्ध और बड़े व्यापारी अन्तर्ग्रस्त हैं ;

(ख) क्या अगस्त, 1971 में कलकत्ता गुप्तचर पुलिस ने अनेक दस्तावेज तथा 252 किलोग्राम पोटाशियम क्लोरेट जो कि हजारों बम बनाने के लिये पर्याप्त है पकड़ा था ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार पकड़ी गयी वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में बन्दी बनाये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इस मामले में क्या प्रगति हुई है और इस प्रकार के गैर-कानूनी सौदों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायगी।

Employment for Engineers

1008. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether there is likely to be a great demand for Engineers in 1977-78 according to the reports appearing in the press ;

(b) if so, the concrete steps being taken to meet the situation ; and

(c) the manner in which employment would be provided to the presently unemployed Engineers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The Government are not aware of any press reports about the great demand for Engineers in 1977-78. The position regarding likely demand and supply of Engineers is, however, being reviewed.

(b) The question does not arise.

(c) The information pertaining to this part has already been furnished in reply to Unstarred Question No. 229 answered on 15-3-1972.

विदेशों से लौटने वाले भारतीय इंजीनियरों को रोजगार

1009. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रहने वाले अर्हता प्राप्त भारतीय इंजीनियरों ने भारत में नौकरियों के लिए आवेदन-पत्र दिये हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन इंजीनियरों को भारत में रोजगार देने के कोई प्रबन्ध किये हैं; और

(ग) 1971 में लौटने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी है और क्या विदेशों में रहने वाले उन युवा भारतीय इंजीनियरों की कुल संख्या के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है जो भारत आने को उत्सुक हैं ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) विदेशों में रहने वाले अनेकों भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने भारत वापिस आने की इच्छा व्यक्त की है ।

(ख) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कर्मचारियों की भारत में वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए जो कुछ उपाय किए गए हैं उनका विवरण साथ में संलग्न है । ये प्रयास जारी रहेंगे ।

(ग) विदेशों में रहने वाले कितने इंजीनियर भारत वापिस आने के इच्छुक हैं, इस सम्बंध में कुल संख्या का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है । फिर भी, राष्ट्रीय रजिस्टर में उपलब्ध सूचना के अनुसार जिसमें पंजीकरण स्वैच्छिक है, 1971 वर्ष में 74 इंजीनियर भारत वापिस आये थे ।

विवरण

वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) विदेशों से वापस लौटने पर, सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलोजिस्टों को अस्थाई नौकरी दिलाने की व्यवस्था करने के लिए एक वैज्ञानिक पुल का निर्माण;

(2) अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थाओं में अधिसंख्यक पदों का निर्माण जिनके लिए विदेशों में कार्य तथा अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की अस्थायी नियुक्ति तुरन्त की जा सकती है;

(3) संघ लोक सेवा आयोग तथा बहुत से राज्य लोक सेवा आयोग उन भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलोजिस्टों को, जिनके विवरण राष्ट्रीय रजिस्टर में अंकित होते हैं, उनके द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिए "वैयक्तिक सम्पर्क" के रूप में उम्मीदवार मानने के लिए सहमत हो गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने भारत में पदों के लिए भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलोजिस्टों का विदेशों में इन्टरव्यू लेने की व्यवस्थाएँ भी कर ली हैं।

(4) विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलोजिस्टों के नाम दर्ज करने के लिये तथा उनके नामों को सभी मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्व-विद्यालयों, लोक क्षेत्र उद्योगों तथा बृहत प्राइवेट क्षेत्र प्रतिष्ठानों में भेजने के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के एक विशिष्ट अनुभाग का अनुरक्षण। ऐसे कर्मचारियों के नाम मासिक तानी ी जन-शक्ति बुलेटिन (सी० एस० आई० आर०) में प्रकाशित किये जाते हैं, जो कि सारे भारत में लगभग 3,000 संस्थाओं को निःशुल्क बांटी जाती है।

(5) उन वैज्ञानिकों को यात्रा अनुदान देने की व्यवस्था जो कि भारत में अनुसंधान संस्थान में चुने जाने पर उन संस्थानों में कम-से-कम तीन वर्षों तक काम करने को तैयार होंगे।

टेनिस की गेंदों की अनुपलब्धता

1010 **श्री सी० जनार्दनन** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेनिस की गेंदों के उपलब्ध न होने के कारण लान टेनिस के खेल को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख) टूर्नामैन्ट क्वालिटी की टेनिस की गेंदों के न उपलब्ध होने के विषय में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं। उत्पादन करने वाले वर्तमान दो एककों में से एक के उत्पादन में पर्याप्त गिरावट आने के फलस्वरूप यह कमी आई है। वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए हाल ही में 600 दर्जन टेनिस की गेंदों के आयात की अनुमति दे दी गई है।

सीमेंट के धारण मूल्य में वृद्धि की मांग

1012. **श्री पी० के० देव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सीमेंट निर्माताओं ने सीमेंट के धारण मूल्य में वृद्धि करने की मांग की है और यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार सीमेंट उद्योग के मामले को सीमेंट की लागत का विस्तृत अध्ययन करने के लिए प्रशुल्क आयोग को सौंपने का है; और यदि हाँ, तो उसके निर्देश पद क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी हाँ । निर्देशपद अनुबन्ध में दिये गये हैं ।

विवरण

(1) सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि ऐसी नीतियों का पता लगाने के लिए उद्योग की कार्यकुशलता बढ़ाने तथा प्रगामी वृद्धि करने में सहायक हो उसकी व्यापक संवीक्षा करने की आवश्यकता है । बुनियादी लक्ष्य सीमेंट उद्योग का इस प्रकार से और इतना विकास सुनिश्चित करना है जिससे अर्थव्यवस्था में न्यूनतम लागत पर आवश्यकताएँ (निर्यात सहित) अच्छी तरह से पूरी हो सकें और निकट भविष्य में ऐसी सुविधाजनक परिस्थितियाँ हो जायें जिससे उद्योगों में नियन्त्रण की जरूरत ही न रहे । साथ ही, सरकारी निति के अनुरूप उद्योगों में स्वामित्व का विविधीकरण भी किया जा सके ।

(2) उद्योग ने उत्पादन में लागत वृद्धि के आधार पर कारखाने से चलते समय के मूल्यों में मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव किया है ।

(3) सीमेंट उद्योग की व्यापक रूप से संवीक्षा करने और उत्पादकों को देय कारखाने से चलते समय की उचित कीमतों के विषय में सिफारिश करते समय प्रशुल्क आयोग अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखे :

(क) मूल्य का ढांचा ऐसा हो जिससे मांग बढ़ने के अनुरूप उद्योग का विकास करने के लिए प्रोत्साहन मिले ।

(ख) साथ ही मूल्य ढांचा ऐसा हो जिससे कार्यकुशलता बढ़े और उत्पादन लागत में कमी आये;

(ग) मांग और संभरण के क्षेत्रीय असंतुलन व दृष्टिकोण से आवश्यक है कि कमी वाले क्षेत्रों अथवा उन क्षेत्रों में जिनमें कमी पड़ने की सम्भावना हो, अतिरिक्त क्षमता

बढ़े । इस प्रयोजन से यथावश्यक समुचित प्रेरणा अथवा मूल्य ढांचों, क्षेत्रीय या अन्यथा में परिवर्तन करना आवश्यक होगा इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए । फिर भी, ऐसी व्यवस्था करने का परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि एक ही स्थान पर स्थित एककों में भिन्न-भिन्न मूल्य हो जायें ।

(घ) फिलहाल स्लैग तथा पोजेलेनिक जैसी कच्ची सामग्री का पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा है । ऐसे अभ्युपायों पर विचार करना आवश्यक है जिससे ऐसी सामग्री का और अधिक उपयोग न हो सके ।

(4) वर्तमान भाड़ों के प्रबन्ध का सावधानी से पुनरीक्षण किया जाये जिससे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के साथ-साथ उपभोक्ताओं पर परिवहन लागत का भार कम पड़े । एक विचार यह भी व्यक्त किया गया है कि भाड़े की विद्यमान व्यवस्था जो कुछ समय से चली आ रही है उद्योग के विकास में प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय असन्तुलन उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है उससे औसत उपभोक्ता पर भाड़े का भार अधिक पड़ता है तथा रेल विभाग को उपलब्ध मालगाड़ी के सीमित डिब्बों की सुविधाओं पर भी अत्यधिक असर पड़ता है । दूसरी तरफ, इसके विपरीत यह विचार भी व्यक्त किया गया है कि देश में सर्वत्र उचित सीमेंट कीमत पर सीमेंट उपलब्ध कराने की दृष्टि से विद्यमान भाड़े की व्यवस्था कायम रखी जाये । चूंकि उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए भाड़े पर खर्च होने वाला खर्च भाड़ा है, इसलिए सुसंगत विचार यह है कि कुछ लागत में कमी होनी चाहिए जिससे उत्पादन लागत और भाड़े पर होने वाला खर्च सम्मिलित है ।

(5) कच्चे माल के प्राप्त होने के स्थानों, मांग-केन्द्रों और परिवहन संबन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग स्थानों के लाभ और ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली नीति पर विचार किया जाना चाहिए ।

(6) उत्पादकों से तत्काल कीमतें बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । प्रशुल्क आयोग भी सिफारिश करे कि उसके अपने अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक क्या उद्योगों को किसी प्रकार की अन्तरिम सहायता देना आवश्यक है ।

डाक तार विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यालय के टेलीफोनों का उपयोग किया जाना

1013. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग के अधिकारियों के घरों में लगे टेलीफोनों से उनके द्वारा स्थानीय टेलीफोन करने के बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं है;

(ख) क्या डाक-तार विभाग के मामले में खर्च केवल बही-खातों में चढ़ाया जाता है और नक़द अदायगी नहीं की जाती; और

(ग) इस बात को देखते हुए कि ज्यादा से ज्यादा नगरों में सीधे टेलीफोन सम्बन्ध तेजी से स्थापित किए जा रहे हैं, सरकार ने डाक-तार अधिकारियों द्वारा सरकारी टेलीफोनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) डाक-तार विभाग के अधिकारी अपने घरों पर लगे टेलीफोनों से हर तिमाही में 1500 तक स्थानीय काल कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक टेलीफोन से हर तिमाही में किए जा सकने वाले 250 मुफ्त काल शामिल नहीं हैं। यह व्यवस्था इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई और केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू हिदायतों के अनुरूप है।

(ख) यदि अधिकारियों के घरों में लगे टेलीफोनों से किए जाने वाले काल निर्धारित सीमा में हों तो उन्हें बिल नहीं भेजे जाते।

(ग) सीधी ट्रंक डायलिंग सुविधा का दुरुपयोग रोकने के लिए सामान्यतः नीचे दिए गए टेलीफोनों से यह सुविधा वापिस लेने के आदेश हाल ही में जारी कर दिए गए हैं।

(i) कार्यालयों में लगे ऐसे सभी सरकारी टेलीफोन कनेक्शन जो मंडल इंजीनियर, तार/डाकघर सीनियर अधीक्षक या उसके समकक्ष अधिकारी से कम के पदक्रम के अधिकारियों को दिए गए हों और ;

(ii) राजपत्रित से नीचे के पदक्रम के अधिकारियों के घरों पर लगे टेलीफोन कनेक्शन।

डाक-तार सेवा टेलीफोनों की कालों में कमी करने के लिए उपाय

1014. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय कठिनाई के कारण व्यय को कम करने के वर्तमान अभियान के संदर्भ में, सभी सर्किलों और टेलीफोन जिलों में डाक-तार विभाग के अधिकारियों के कार्यालयों और निवास-स्थानों में उपलब्ध किए गये टेलीफोनों स्थानीय और बाह्य तथा सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था वाले टेलीफोनों के प्रयोग में किफायत करने के लिए डाक-तार विभाग ने क्या उपाय किए हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (i) सर्किलों और टेलीफोन जिलों में डाक-तार विभाग के अधिकारियों के निवास-स्थानों पर सरकारी टेलीफोन कनेक्शन देने के बारे में 1968 में पुनर्विचार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे टेलीफोनों में काफी कमी कर दी गई थी। हाल ही में स्थिति का फिर पुनरीक्षण करने के बाद यह फैसला किया गया है कि इस समय अधिकारियों के निवास-स्थानों पर लगे टेलीफोनों में 10 प्रतिशत तदर्थ कमी कर दी जाए। सभी सर्किलों, टेलीफोन जिलों के अध्यक्षों को भी हिदायतें जारी की गई हैं कि अधिकारियों के निवास-स्थानों के लिए सरकारी टेलीफोन कनेक्शन की मंजूरी देते समय मौजूदा वित्तीय कठिनाई को ध्यान में रखें।

(ii) सभी सर्किलों, टेलीफोन जिलों को ऐसी हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं कि निम्नलिखित सरकारी टेलीफोन कनेक्शनों से सीधी ट्रंक डायलिंग की सुविधा वापिस ले ली जाए—

(क) कार्यालयों में लगे ऐसे सभी सरकारी टेलीफोन कनेक्शन जो मंडल इंजीनियर, तार-डाकघर सीनियर अधीक्षक या उसके समकक्ष अधिकारी से कम के पदक्रम के अधिकारियों को दिए गए हों; और

(ख) राजपत्रित से नीचे के पदक्रम के अधिकारियों के निवास-स्थानों पर लगे टेलीफोन कनेक्शन ।

विभिन्न जिलों के विकास के बारे में सूचना एकत्र करना

1015. **श्री दशरथ देव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विभिन्न जिलों के स्तर, प्रवृत्तियों और उनकी विकास क्षमता के बारे में सूचना एकत्र करने तथा उसका विश्लेषण करने के बारे में कार्यवाही आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) राज्य सरकारें जिला योजनाएं, बनाएं। इस सुझाव का अनुसरण करते हुए, योजना आयोग ने सितम्बर, 1969 में राज्य सरकारों के लिए मार्ग-दर्शक सिद्धान्त जारी किए, जिनमें अन्य बातों के अलावा, यह भी बताया गया था कि स्तर, प्रवृत्तियों तथा विभिन्न जिलों की विकास क्षमता के बारे में सूचना किस प्रकार एकत्रित तथा विश्लेषित की जाय ।

इस काम को पूरा करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। यह काम मुख्यतः राज्य सरकारों का है, जो इस सम्बन्ध में स्व-विवेकानुसार अपना काम करेंगी । फिर भी, योजना आयोग का यह प्रयत्न होगा कि यह काम शीघ्र पूरा हो जाय । राज्य योजनाएं तैयार करने और अपेक्षित सूचना प्रणाली स्थापित करने में, योजना आयोग हर संभव सहायता करने को तैयार है।

केरल में मध्यम श्रेणी के उद्योग

1017. **श्री वरके जार्ज** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मध्यम श्रेणी के उद्योगों की संख्या क्या है, उन उद्योगों के नाम क्या हैं, ये उद्योग किन-किन स्थानों पर हैं तथा उनमें किन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है;

(ख) राज्य के मध्यम श्रेणी के उद्योगों में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है; और

(ग) राज्य के इन मध्यम श्रेणी के उद्योगों में कितने व्यक्ति रोजगार पर लगे हुए हैं और इन उद्योगों का मुनाफा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) ऐसा समझा जाता है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय मध्यम क्षेत्र के उन उद्योगों से है जिनमें एक करोड़ रुपये से कम का निवेश है । तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत उद्योगों की एक सूची, जिसके लिए फरवरी, 1970 में लाइसेंस नीति को उदार बनाया गया था और जो केरल में स्थित है, संलग्न है । मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के कुल निवेश, उनमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा लाभ के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

सरकार द्वारा लाइसेंस नीति को उदार बना देने से केरल राज्य में पंजीकृत उद्योगों की सूची—

औद्योगिक एकक का नाम	उपार्जित की जाने वाली वस्तु
मैसर्स	
1. ब्रीमियर ब्रुअरीज लिमिटेड, कांजीकोडे पश्चिमी डाकखाना, पालघाट-7, (केरल राज्य)	बीअर
2. पैरीयर कैमीकल्स लि०, एडयर डिवलप० एरनाकुलम् जिला (केरल)	1. फोरमिक एसिड, 2. सोडियम सल्फेट,
3. केरल स्टेट इन्डस्ट्रियल डिवलपमेंट कारपोरेशन लि०, वैलायाम्बालम, त्रिवेन्द्रम (केरल)।	स्कूटर
4. रूबी रबड़ वर्क्स लि०, रूबी नगर, चंगनाचेरी, (केरल)।	कैमिल बैक
5. हाई रेंज ब्रिअरीज लि०, वारानद (केरल)	बीअर
6. श्री हरीश अमीन, नई दिल्ली फै० एरनाकुलम् (केरल)	1. स्कूटर तथा ट्रैक्टरों के लिए आवश्यक पाइप, 2. गेलवेनाइज्ड, बेलक पाइप 3. शीतित रौल्ड शीटों से बनी ट्रांसफार्मर स्लेटें
7. यूनाइटेड इलैक्ट्रिकल इन्ड०, लि०, क्विलेन (केरल)।	यातायात और पैदलों के नियंत्रण के लिए मार्ग यातायात नियंत्रण उपकरण
8. आनन्द वाटर मैन्यू० कम्पनी, एरनाकुलम् (केरल)।	मच्छर नाशक
9. कुमार इन्डस्ट्रीज, एडथारा विया पालघाट, (केरल)।	1. कृषि उपकरण 2. औजार (हथौड़ा)

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव

1019. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के उस निर्णय के आशयों का अध्ययन किया है जिसमें उन उद्योगों में, जिनमें निर्मित वस्तुओं के मूल्य सरकार निर्धारित करती है लाभ को 12 प्रतिशत से बढ़ा कर 16 प्रतिशत करने और हर छः मास बाद मूल्य पुनरीक्षित करने की बात कही गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सीमा क्षेत्र में आयेंगे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 24 नवम्बर, 1972 को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की जाँच करती है और उसमें निर्धारित नियमों के अनुसरण में सवारी कारों का संशोधित मूल्य 24 जनवरी, 1972 को अधिसूचित कर दिया है।

15 मार्च, 1972 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 200 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है कि निर्णय के विवक्षाओं की जांच की जा रही है और सरकार तत्परता से विचार कर रही है।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय केवल सवारी कारों से सम्बन्धित है।

'रीपर बंडर' का आयात

1020. **श्री राजदेव सिंह** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के औद्योगिक निगम ने चैकोस्लोवाकिया से दस 'रीपर बंडर' जो फसलों की कटाई कर सकते हैं तथा उनकी गठरी बना सकते हैं, आयात किए हैं;

(ख) क्या मशीन का पूर्व परीक्षण किया गया था और क्या यह सफल सिद्ध हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में इनका निर्माण आरम्भ करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी नहीं, मशीन का परीक्षण आगामी फसल की कटाई के समय किया जायेगा।

(ग) इन मशीनों के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष ऐसा नहीं है।

पांचवीं योजना तैयार करना

1021. **श्री राजदेव सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की एक बैठक में यह कहा था कि पांचवीं योजना तैयार करने के लिये आवश्यक सब दस्तावेज सितम्बर, 1972 तक तैयार हो जायेंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या आर्थिक दृष्टि से सबसे पिछड़े, विशेषकर उत्तर प्रदेश के 15 पूर्वी जिलों के बारे में भी जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ से अधिक है, कुछ दस्तावेज तैयार किए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं। केवल पांचवीं योजना के व्यापक उपायों से सम्बन्धित मार्ग-निर्धारण सम्बन्धी दस्तावेज के बारे में कहा गया था कि वह 30 सितम्बर, 1972 तक तैयार हो जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर परिषद् के प्रावधानों में परिवर्तन

1022. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नागालैंड द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् में शामिल होने के लिए उठाई गई आपत्ति को दृष्टि में रखते हुए इस परिषद् के प्रावधानों में और अधिक परिवर्तन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तन क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। सरकार को आशा है कि नागालैंड की इस योजना में भाग लेने के लाभों को दृष्टि में रखते हुए इसमें सम्मिलित होने का निर्णय करेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिजोरम में एक स्वायत्तशासी चकमा जिला परिषद् की स्थापना

1023. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिजोरम में एक स्वायत्तशासी चकमा जिला परिषद् की स्थापना करने के लिए मिजोरम के चकमा लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक स्वायत्तशासी जिला परिषद् की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

आसाम और मेघालय के लोगों से स्वायत्तशासी लालुंग जिले का गठन करने के बारे में अभ्यावेदन

1024. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आसाम तथा मेघालय के लालुंग जाति के लोगों से स्वायत्तशासी लालुंग जिले का गठन करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) असम सरकार ने रिपोर्ट दी है कि इस सम्बन्ध में उनको एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है किन्तु एक अलग लालुंग स्वायत्तशासी जिला बनाना व्यवहार्य नहीं समझा गया, क्योंकि लालुंग निवासी क्षेत्र अन्य जातियों से बसे हुए क्षेत्रों के साथ बिखरे हुए हैं।

असम-नागालैंड सीमा-विवाद

1025. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गृह मन्त्रालय के सलाहकार, श्री के० वी० के० सुन्दरम से असम-नागालैंड सीमा-विवाद के विषय में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन दोनों पड़ौसी राज्यों के बीच समस्या को सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) सलाहकार द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही सरकार निर्णय करने की स्थिति में होगी।

डाक-तार विभाग की असम्बद्ध यूनियन तथा एसोसियेशनें

1026. **श्री वी० मायावन** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय की ऐसे छह यूनियनों/ऐसोसिएशनों ने, जो मन्त्रालय की मान्यता प्राप्त दोनों फेडरेशनों में से किसी के साथ भी सम्बद्ध नहीं है, किसी एक मान्यता प्राप्त फैडरेशन के साथ सम्बद्ध होने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो असम्बद्ध यूनियनों/एसोसिएशनों की संख्या कम करने की दृष्टि से मन्त्रालय ने उन्हें इस प्रकार सम्बद्ध होने के लिए क्या प्रोत्साहन दिया है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) जब तक सम्बन्धित यूनियन/एसोसिएशन इस मामले में पहल न करे, मन्त्रालय की तरफ से प्रोत्साहन देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक तथा तार विभागों में व्यापारिक प्रचार

1027. **श्री वी० मायावन** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापारिक प्रचार को आय का साधन बनाने के मन्त्रालय के प्रयासों का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) टेलीफोन विभाग ने व्यापारिक प्रचार के लिए स्थान की बिक्री के मामले में कहाँ तक प्रगति की है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) सभी सर्किलों/टेलीफोन जिलों द्वारा प्रकाशित टेलीफोन डाइरेक्टरियों के एक संस्करण में छपे व्यापारिक विज्ञापनों से प्राप्त आय की रकम अब लगभग 30 लाख रुपये तक पहुँच गई है। व्यापारिक विज्ञापन देने के अन्य साधनों, जैसे टेलीफोन के खम्भों पर लगी विज्ञापन पट्टिकाओं, पोस्टरों आदि से चालू वर्ष में लगभग 8 लाख 30 हजार रुपये की आय हुई है।

भारत में विदेशी धर्म प्रचारक

1028. **श्री वी० मायावन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1971 तक भारत में कितने पंजीकृत विदेशी धर्म प्रचारक थे;

(ख) क्या सरकार देश में उनकी कार्यवाहियों पर निगाह रखती है; और

(ग) यदि हाँ, तो वे किन क्षेत्रों में अधिक संख्या में हैं, और वे किन धर्मों के हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1 जनवरी, 1971 को भारत में पंजीकृत विदेशी धर्म-प्रचारकों की संख्या इस प्रकार थी :

विदेशी धर्म-प्रचारक (राष्ट्रमण्डल धर्म प्रचारकों को छोड़कर)	—	3,144
राष्ट्रमण्डल धर्म-प्रचारक	—	2,365

(ख) विदेशी धर्म-प्रचारकों समेत विदेशियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उपयुक्त प्रबन्ध मौजूद हैं।

(ग) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकृत विदेशी धर्म-प्रचारकों की संख्या का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

उन चर्चों के नामों के बारे में सूचना, जिनसे वे सम्बद्ध हैं उपलब्ध नहीं है। किन्तु भारत में मान्यता-प्राप्त विदेशी मिशनों की संख्या की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 1524/72]

टेलीप्रिंटर और टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

1029. **श्री मुख्यितार सिंह मलिक** :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश में टेलीप्रिंटर और टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) टेलीप्रिंटर्स तथा सहायक उपस्करों का उत्पादन पहले से ही हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास में हो रहा है, जो संचार मन्त्रालय में सरकारी क्षेत्र संस्थान के अन्तर्गत आता है।

प्रतिवर्ष 20,000 टेलीविजन सैटों के निर्माण का लाइसेंस हाल में ही इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया को जारी कर दिया गया है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के सरकारी क्षेत्र संस्थान के अन्तर्गत आता है। लघु उद्योग क्षेत्र में दि आंध्र स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद को भी प्रतिवर्ष 5,000 टेलीविजन सैटों के निर्माण करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है।

टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिए अन्य राज्य सरकारी संस्थानों तथा राज्य औद्योगिक विकास निगमों से प्राप्त प्रस्तावों को वर्तमान में प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

धौलपुर, राजस्थान से चुराई गई भगवान राम की मूर्ति बरामद होना

1030. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 12 जनवरी, 1972 को भगवान राम की वह मूर्ति बरामद की है जो कुछ समय पूर्व धौलपुर, राजस्थान से चुराई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) धौलपुर से चुराई गई राम की मूर्ति को बरामद करने के प्रयत्न में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राजस्थान राज्य पुलिस की सक्रिय रूप से सहायता की गई थी और दिल्ली में की गई तलाशियों के परिणामस्वरूप यह मूर्ति तथा कुछ अन्य मूर्तियां बरामद की गई; अभी जांच की जा रही है और जांच के पूरे हो जाने पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

विज्ञान और टैक्नोलोजी के विकास के लिए भारत और फ्रांस के बीच संधि

1031. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में विज्ञान और टैक्नोलोजी के विकास के लिए फ्रांस की सरकार से सन्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सन्धि की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगला देश से भारत आ रहे बिहार-मूलक पाकिस्तानी नागरिक

1032. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश से भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में आये बिहार-मूलक पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उन्हें वापिस बंगला देश भेज दिया गया है अथवा उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी गई है; और

(ग) क्या बंगला देश और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तानी स्थित बंगाली नागरिकों की बंगला देश स्थित पाकिस्तानी नागरिकों से अदला-बदली करने की कोई व्यवस्था की गई है अथवा की जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) यह मामला बंगला देश सरकार तथा पाकिस्तान का है।

गुजरात राज्य के लिए दस-वर्षीय योजना

1033. **श्री प्रभुदास पटेल** :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात ने राज्य के लिए कोई दस-वर्षीय विकास योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना केन्द्र द्वारा मंजूर कर ली गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस मामले में केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने 1974 से 1984 तक की दस वर्षों की अवधि के लिए राज्य का भावी आयोजन तैयार किया है। इसमें सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत 3000 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इसमें से 1000

करोड़ रुपये का परिव्यय पांचवीं योजना अवधि 1974-79 के लिए हैं और 2000 करोड़ रुपये छठी योजना अवधि 1979-84 के लिये हैं । मुख्य मदों के अन्तर्गत कुल परिव्यय का वितरण इस प्रकार है :—

मद	भावी योजना 1974-84 के लिए कुल परिव्यय (करोड़ रुपये)
1—कृषि, सहकार, सामुदायिक विकास तथा पंचायत	478
2—सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	447
3 —बिजली	860
4—उद्योग और खनन	233
5—परिवहन और संचार	440
6—सामाजिक सेवायें और अन्य कार्यक्रम	542
जोड़ :	3000

गुजरात की पांचवीं और छठी योजनायें बनाते समय, उनके द्वारा तैयार किए गए भावी आयोजन का उपयोग किया जायेगा । इस समय भावी अथवा किसी अन्य आयोजन को स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में उद्यमकर्त्ताओं को ऋण देने की योजना

1034. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात औद्योगिक निवेश निगम और गुजरात राज्य वित्त निगम जैसी राज्य की वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उद्यमकर्त्ताओं को ऋण देने के लिये कोई नई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस योजना से उद्यमकर्त्ताओं को नये उद्योग लगाने और विद्यमान उद्योगों के विस्तार के लिये अग्रेतर प्रोत्साहन मिलेंगे ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हाँ । इस योजना में बेचने के लिए किसी वस्तु का निर्माण करने के प्रयोजन से उन्हें जिन मशीनों, कच्चे माल, परिस्करण का सामान और पैकिंग के माल की आवश्यकता होती है उन्हें

खरीदने के लिए खरीद कर के नये एककों को छूट देने का विचार है। इस सुविधा को प्राप्त करने की यह शर्त है कि उन एककों को 1-4-71 के पश्चात् चालू किया गया हो और ये अहमदाबाद और बड़ौदा के नगरों से 24 कि० मी० और राजकोट, सूरत, जामनगर और भावनगर शहरों से 10 कि० मी० की दूरी पर स्थित होने चाहिए।

विकल्प में, जो एकक इस योजना से लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, वे ब्याजमुक्त ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी राशि उनके द्वारा विगत तीन वर्षों में भुगतान किये गये बिक्री कर के अनुसार लगाई जाएगी। यह योजना 1-1-1972 के पश्चात् चालू किए गए औद्योगिक एककों पर लागू होगी।

आशा है कि इन दोनों योजनाओं से भावी उद्यमियों को नये उद्योगों की स्थापना करने और विद्यमान उद्योगों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

लाइसेंस/आशय पत्रों के लिए उड़ीसा से प्राप्त अनिर्णीत आवेदन पत्र

1035. **श्री बख्शी नायक** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी कम्पनियों और उड़ीसा के सरकारी उपक्रमों से लाइसेंस/आशय पत्रों के लिये कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास निर्णय के लिये विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) ये आवेदन-पत्र किन-किन परियोजनाओं के लिये दिये गये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 31 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं।

(ख) ये आवेदन-पत्र मुख्यतया स्पंज, आइरन, ऊनी धागे, कागज एवं लुगदी, बीयर, साबुन, जूते, रेफ्रीजरेटर इत्यादि के उत्पादन के लिए हैं।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस आवेदन-पत्रों पर विचार करने के लिए प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता होती है और किसी विशेष आवेदन-पत्र के निपटान में देरी प्राप्त विभिन्न कारणों से होती है। इनमें से कुछ के बारे में सभी आवश्यक जानकारी नहीं प्राप्त होती और अतिरिक्त सूचना प्राप्त करनी पड़ती है। अन्य कुछ मामलों के बारे में समग्र उद्योग पर नीति निर्णय लेने होते हैं कि निलम्बित आवेदन-पत्रों के निपटान में कितना समय लगेगा यह बताना कठिन है। फिर भी, सभी लाइसेंस आवेदन-पत्रों के शीघ्रता से निपटान करने की आवश्यकता के बारे में सरकार सचेत है और यह सुनिश्चय किया जा रहा है कि जहाँ तक सम्भव हो सके, लाइसेंस आवेदन-पत्रों पर आवेदन-पत्र प्राप्ति की तिथि से अथवा पार्टी से पूर्ण सूचना प्राप्त होने की तिथि से, जो कोई भी बाद में हो, तीन महीने की अवधि में निर्णय लिये जायें।

बड़े औद्योगिक गृहों को अपने नियन्त्रण में लेना

1036. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जनवरी, 1972 के 'इकानामिक टाइम्स' में 'मार्किट्स

जोल्टिड' शीर्षक के अधीन छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है जो बड़े-बड़े गैर-सरकारी औद्योगिक गृहों का प्रबन्ध अपने नियन्त्रण में लेने से सम्बन्धित है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या सरकार की इस कार्यवाही से देश की शेयर-मार्किट पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 26 जनवरी, 1972 के इकानामिक टाइम्स में 'मार्किट्स जोल्टैड' शीर्षक के अधीन छपी रिपोर्ट को देख लिया है जो बड़े गैर-सरकारी औद्योगिक गृहों का प्रबन्ध अपने नियंत्रण में लेने से सम्बन्धित है।

(ख) बड़े औद्योगिक गृहों के प्रबन्ध के अधीन जो कम्पनियाँ हैं उनके शेयरों को खरीदने के लिए सरकार इस समय किसी भी आम प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत की पर्यटक एटलस

1037. **श्री बेकारिया :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत की पर्यटक एटलस प्रकाशित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके कब तक प्रकाशित किये जाने की सम्भावना है ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एटलस संगठन की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारतवर्ष की पर्यटक एटलस तैयार करने की योजना शामिल कर ली गई है। यह एटलस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

जालंधर में टेलीविजन केन्द्र

1038. **श्री बेकारिया :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या 1972 में जालंधर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य में भी टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं। तथापि, 1972 के दौरान अमृतसर में एक टेलीविजन ट्रांसमिशन स्टेशन स्थापित किया जा रहा है।

(ख) गुजरात में टेलीविजन स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। इस पर देश में टेलीविजन विकास के उत्तरवर्ती चरण में विचार किया जायेगा।

दिल्ली में वनस्पति उद्यान

1039. **श्री बेकारिया :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वनस्पति उद्यान लगाने का निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में देरी के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) दिल्ली में वनस्पति उद्यान स्थापित करने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है किन्तु चूंकि इस समय हर बात में किफायत की बहुत जरूरत है इसलिए इस प्रश्न को अभी स्थगित कर दिया गया है।

पेटेन्टों और डिजाइनों के लिए आवेदन-पत्र

1040. **डा० कर्णी सिंह :**
श्रीमती कृष्णा कुमारी :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान से, पृथक्-पृथक्, वर्ष 1970 में पेटेंट कार्यालय में पेटेंटों के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और राजस्थान से 1970 में पेटेंट कार्यालय में डिजाइन रजिस्टर कराने के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जा रही है :

(क)

राज्य	1970 में पेटेन्ट के लिए दिये गए आवेदन-पत्रों की संख्या
महाराष्ट्र	444
दिल्ली	232
पश्चिम बंगाल	196
तमिलनाडु	90
राजस्थान	19

(ख)

राज्य	1970 में डिजाइनों के पंजीकरण के लिए दिए गए कुल आवेदन-पत्रों की संख्या
महाराष्ट्र	634
मध्यप्रदेश	133
पश्चिम बंगाल	158
दिल्ली	95
राजस्थान	2

आकाशवाणी के कलाकारों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

1043. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कलाकारों के वेतनमानों में पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप उनकी कुछ श्रेणियों को कोई लाभ नहीं पहुँचा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके वेतनमानों में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख) यह सही है कि फीस स्केलों में संशोधन के बारे में सरकार द्वारा 7 फरवरी, 1972 को जारी किए गए आदेशों से निम्नलिखित श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों, जिनकी संख्या लगभग 350 है, को कुछ भी नहीं या थोड़ा ही लाभ हुआ है :—

(1) सहायक/कापिस्ट
(2) (क) सामान्य सहायक
(ख) टेप लाइब्रेरियन
(3) केयरटेकर (वाद्य यन्त्र)

उल्लिखित वेतन संशोधन का उद्देश्य इतना फीस-स्केलों में सुधार करना नहीं था, जितना कि उनको तर्कसंगत बनाना तथा उनको समान कार्य पर लगे सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के अनुरूप करना था । इन मामलों में फीस स्केल समान कार्य पर लगे सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियों अर्थात् अवर श्रेणी लिपिक तथा उच्च श्रेणी लिपिक के वेतनमानों के समान थे । अतएव कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करना सम्भव नहीं था, क्योंकि इससे न केवल संगठन के अन्दर ही, बल्कि स्टाफ आर्टिस्टों तथा सरकारी कर्मचारियों के बीच भी असंतुलन पैदा हो जाता । उनके फीस-स्केलों की ऊपरी सीमा में संशोधन के प्रश्न पर बाद में उन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा जो समान कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियों के वेतनमानों के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए जायेंगे ।

आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए पाँच सदस्यीय निकाय

1044. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए पांच सदस्यीय निकाय का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह चौथी योजना के विभिन्न पहलुओं का पुर्नविलोकन भी करेगा ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृहमन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) और (ख) देश की आर्थिक नीति की निरन्तर समीक्षा करने के लिए आर्थिक नीति विषयक एक मन्त्रिमण्डलीय समिति का गठन कर दिया गया है।

टायर कारखानों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना

1045. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1970 से अब तक टायर बनाने वाले नए कारखाने स्थापित करने के लिए कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जनवरी 1970 से अब तक नई टायर फैक्टरियों के लिए तीन औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं।

राज्य स्तर पर योजना बोर्ड बनाना

1046. **डा० सरदीश राय** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहाँ राज्य स्तर पर योजना बोर्ड बनाए गए हैं;

(ख) क्या अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) पंचवर्षीय योजनाएँ बनाने के सम्बन्ध में योजना आयोग के विचार में उनका योगदान कैसा रहा है ?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें उन राज्यों के नाम दर्शाए गये हैं जहाँ योजना बोर्ड अथवा इसी प्रकार के योजना अभिकरणों की स्थापना की गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—1525/72]

(ग) योजना बोर्ड की स्थापना से जिला तथा राज्य योजनाओं को ठीक तरीके से बनाने में और उनके समुचित कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी। योजना आयोग का विचार है कि समेकित

आयोजन प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न चरणों का काम विधिपूर्वक प्रभावी रूप से केवल समुचित रूप से गठित योजना अभिकरणों द्वारा ही आरम्भ किया जा सकता है । समेकित आयोजन प्रक्रिया से सम्बद्ध विभिन्न चरण इस प्रकार हैं—अन्य बातों के साथ (क) विकास के वर्तमान स्तरों का निर्धारण करने के लिए सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का मूल्यांकन, (ख) माल, मानव तथा वित्तीय संसाधनों का निर्धारण, (ग) चालू परियोजनाओं का मूल्यांकन, (घ) नीति-निर्धारण और नियत-कालिक कार्यचालन योजना तैयार करना, (ङ) योजना कार्यान्वियन, (च) योजना-कार्यान्वियन का मार्गदर्शन करना तथा (छ) योजना-मूल्यांकन । योजना आयोग का यह विचार भी है कि नियोजित विकास के आधार पर राष्ट्रीय विकास अधिक गति से हो सकता है बशर्ते केन्द्र और राज्य स्तरों पर योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने का प्रयास समेकित रीति से किया जाय । योजना अभिकरणों की स्थापना से विभिन्न निर्णायक स्तरों पर समेकित आयोजना की कथित प्रक्रिया में सुविधा रहेगी ।

स्कूटरों और मोटर-साइकिलों का निर्माण

1047. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री के० वी० नायक :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेस्पा और राजदूत स्कूटरों तथा राजदूत, जावा और रायल एनफील्ड मोटर-साइकिलों का वार्षिक उत्पादन कितना-कितना है; और

(ख) क्या इनके निर्माण में वृद्धि की अनुमति देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) प्रश्न में उल्लिखित नामों के स्कूटरों और मोटर साइकिलों का गत तीन वर्षों में वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार रहा है—

स्कूटर	**1969**	**1970**	**1971**
वेस्पा (नया नाम बजाज)	26,431	32,091	39,798
लम्ब्रेटा	22,372	25,335	24,504
राजदूत	99	767	2860
मोटर-साइकिलें			
राजदूत (175 सी सी)	12001	16500	12806
जावा (250 सी सी)	12091	16253	15283
(60 सी सी)	613	1665	737
रायल एनफील्ड			
(350 सी सी)	7502	7890	8789
(175 सी सी)	2270	2315	2115

(ख) उपर्युक्त नामों के स्कूटरों एवं मोटर साइकिलों का निर्माण करने वाली सभी फर्मों ने अपने विद्यमान उपक्रमों का पर्याप्त विस्तार करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन दिये हैं। इनमें से मैसर्स एनफील्ड इण्डिया लिमिटेड, मद्रास (रायल एनफील्ड मोटर साइकिल निर्माता) और मैसर्स आइडियल जावा (इण्डिया) लिमिटेड, मैसूर (जावा मोटर साइकिल निर्माता) की अपनी-अपनी विस्तार योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पहले ही आशय-पत्र दिये जा चुके हैं। अन्य निर्माताओं के विस्तार सम्बन्धी आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं।

केरल में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंसों का जारी किया जाना

1048. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री एम० के० कृष्णन :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में नवम्बर, 1971 से आज तक दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्रों की कुल संख्या क्या है;

(ख) भावी निवेशकर्त्ताओं का किन-किन उद्योगों की स्थापना करने का विचार है;

(ग) उनके मन्त्रालय द्वारा आज तक कितने आवेदन-पत्रों पर निर्णय किया गया है; और

(घ) क्या इस राज्य में उद्योगों के लिए लाइसेंस देने की प्रगति धीमी है और यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं !

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : नवम्बर, 1971 से अब तक केरल में नये उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु 6 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

(ख) ये आवेदन-पत्र प्रमुखतया ऑक्सीजन और एसेटिलीन ऐसो पी० वी० सी० कन्टेनरों, कन्वेयरों और अन्य औद्योगिक बांटों, गेहूँ उत्पादों (व्हीट प्रोडक्ट्स) और एच० डी० पालीथिलीन बोरों के उत्पादन के लिये है।

(ग) इन 6 आवेदन-पत्रों में से 1 पर निर्णय ले लिया गया है और शेष 5 पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं। किन्तु व्यावहारिक रूप में औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन-पत्र पर विचार करने में प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जाँच करनी पड़ती है। आवेदन-पत्र पर अन्तिम निर्णय लेने में विभिन्न कारणों से विलम्ब हो जाता है। इनमें से कुछ मामलों में आवेदन-पत्रों में पूरी जानकारी नहीं दी गई होती और अतिरिक्त जानकारी मांगनी पड़ती है। कुछ अन्य मामलों में समग्र उद्योग के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी निर्णय लेना पड़ता है। इस प्रकार संक्षेप में एक अवधि जिसमें इन आवेदनों पर अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा निर्धारित करना कठिन है। किन्तु सरकार लाइसेंस सम्बन्धी सभी आवेदन-पत्रों का शीघ्रता से निपटारा करने की आवश्यकता और महत्त्व से अवगत है और यथासम्भव इस बात का सुनिश्चय करने की कोशिश की जा रही है कि जहां

तक सम्भव हो लाइसेंस आवेदनों पर आवेदन/पूरी जानकारी प्राप्त होने की अवधि के 3 माह के भीतर अन्तिम निर्णय ले लिया जाय ।

डाक प्रशिक्षण कक्षा, मैसूर से प्रशिक्षणार्थियों का गायब हो जाना

1049. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक प्रशिक्षण कक्षा, मैसूर से 10 अगस्त, 1971 से कुछ प्रशिक्षणार्थियों के गायब हो जाने की घटना की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में जांच करने का कोई प्रस्ताव रखा है, और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां । एक प्रशिक्षणार्थी श्री जी० वर्गीज़ के बारे में ऐसी सूचना मिली थी ।

(ख) से (घ) इस केन्द्र के प्राधिकारियों के पूछताछ से यह पता चला कि उक्त प्रशिक्षणार्थी को अन्तिम बार 10-8-1971 को शाम के करीब 6 बजे प्रशिक्षण केन्द्र के अहाते से बाहर जाते हुए देखा गया था और उसके बाद वह नहीं लौटा । उसका पता लगाने के सभी प्रयत्न किये गये । जब कोई सुराग नहीं मिला तो 11-8-1971 को स्थानीय पुलिस के पास इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई । पुलिस के अनुसार उन्होंने 13-8-1971 को एक चलती माल गाड़ी के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली ।

केरल में क्रास-बार स्विच-गियर फीडिंग व्यवस्था

1050. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में एक क्रासबार स्विच-गियर फीडिंग व्यवस्था चालू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) टेलीफोन स्विचिंग उपकरणों के निर्माण के लिए एक नये कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग) केरल सरकार ने इस कारखाने को अपने राज्य में स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है । कारखाने के लिए स्थान निर्धारित करने का प्रश्न, इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

कार उत्पादक एककों का विस्तार

1051 श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार उत्पादक एककों का विस्तार किये जाने की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी नहीं। किन्तु एक कार निर्माता से विस्तार करने के औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति हेतु हाल ही में आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है। इस समय इसकी जांच की जा रही है।

केरल में भारी उद्योग

1052. **श्री वरके जार्ज** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में भारी उद्योगों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं, वे उद्योग किन-किन स्थानों पर हैं तथा उन उद्योगों द्वारा किन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है;

(ख) राज्य के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के भारी उद्योगों में अलग-अलग कुल कितनी पूंजी लगी हुई है; और

(ग) राज्य के इन भारी उद्योगों में रोजगार पर लगे हुए व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) ऐसा समझा जाता है कि भारी उद्योगों में माननीय सदस्य का आशय एक करोड़ से अधिक विनियोजन वाले उद्योगों से है। सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उद्योगों की एक सूची जिनमें एक करोड़ या अधिक का विनियोजन है, संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1526/72**] गैर-सरकारी क्षेत्र की इस प्रकार सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। किन्तु 1966 से 1971 तक केरल में उद्योग स्थापित करने के लिए जारी किये गये लाइसेंसों की एक सूची संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1526/72**] इनमें किये गये विनियोजन और काम में लगे व्यक्तियों की ठीक-ठीक सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

हैदराबाद में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी जासूस

1053. श्री सी० टी० दण्डपाणि :
श्री पी० गंगादेव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जनवरी, 1972 को हैदराबाद में कुछ पाकिस्तानी एजेन्ट गिरफ्तार किये गए थे और उनमें से कुछ अभिशंसी दस्तावेज बरामद हुए थे;

(ख) क्या आसनसोल पुलिस ने भी 27 दिसम्बर, 1971 को चार पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया था; और

(ग) क्या भारत में पाकिस्तानी जासूसों की बहुत अधिक संख्या को देखते हुए सरकार इस प्रकार के सभी गिरोहों को पकड़ने की बात सोच रही है और क्या ये जासूस देश में नियमित रूप से व्यापार कार्य करते पाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य-मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पाकिस्तानी जासूस होने के सन्देह में 29 जनवरी, 1972 को हैदराबाद में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। चूंकि मामले की जांच हो रही है अत: इस स्तर पर आगे का ब्यौरा प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। किन्तु 22 दिसम्बर, 1971 को आसनसोल में 14 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किए गये थे परन्तु उनसे सुरक्षा के लिये कोई खतरा नहीं पाया गया।

(ग) जासूसी का पता लगाने तथा उससे निपटने के लिए उपयुक्त प्रबन्ध विद्यमान हैं। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अत्यधिक सतर्कता बर्ती जा रही है।

अन्तरिक्ष-तकनीकी ज्ञान पर भारत और फ्रांस के बीच करार

1054. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस के बीच अन्तरिक्ष तकनीकी ज्ञान पर किसी करार पर हस्ताक्षर हो जाने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक फ्रैंच प्रतिनिधिमंडल इस सम्बन्ध में सहयोग कार्यक्रम बनाने के लिए हाल ही में भारत आया था;

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिनिधि-मण्डल की यह यात्रा कहां तक सफल रही; और

(घ) क्या भारत का कोई प्रतिनिधि मंडल भी फ्रांस जा रहा है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृहमंत्री, तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने फ्रांस के साथ सहयोगात्मक करार किये हैं तथा फ्रेंच डिजाइन पर आधारित सैन्चोर राकेटों का निर्माण भारत में ही करने पर भी करार किया गया है। यद्यपि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संस्थान तथा फ्रेंच अन्तरिक्ष अभिकरण के प्रतिनिधियों के मध्य अनेक बार विचार-विनिमय एवं यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ किन्तु भारत और फ्रांस के बीच सहयोगात्मक आधार पर अन्तरिक्ष तकनीकी ज्ञान से सम्बन्धित किसी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में घड़ी बनाने के कारखाने की स्थापना

1055. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विट्जरलैंड की सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में घड़ी बनाने का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए किस स्थान का चयन किया गया है और इस पर कितना व्यय होगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) एक प्राइवेट पार्टी को स्विस निर्माताओं के साथ सहयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद नामक स्थान में घड़ी बनाने का कारखाना स्थापित करने की स्वीकृति दे दी गई है। अचल आस्तियों के रूप में प्रस्तावित विनियोजन लगभग 1·6 करोड़ रु० का है।

भारतीय इंजीनियरों का विदेशों में जाना

1056. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इंजीनियर अभी भी रोजगार के लिए विदेशों में जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए अथवा प्राप्त होने की आशा है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) कोई ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। विदेशों में जाने वाले सभी भारतीय इन्जीनियरों का रोजगार के लिए जाना आवश्यक नहीं। बहुत से विशेष अध्ययन, प्रशिक्षण अथवा विशद् अनुभव प्राप्त करने के लिए जाते हैं।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के सभी उपलब्ध बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने के लिए एक पैनल स्थापित किया है। आशा है वह योजना आयोग के साथ परामर्श कर इस सम्बन्ध में ठोस सुझाव तैयार करेगा। भारत सरकार का भी यह प्रस्ताव है कि विशिष्ट इन्जीनियरों, वैज्ञानिकों आदि को भारत में ही रखने के लिए अधिसंख्यक पद बनाये जायें ताकि उनको रोजगार के अभाव में विदेशों में न जाना पड़े। विदेशों से रोजगार का आश्वासन प्राप्त किए बिना लौटने वालों तथा भारत में उपलब्ध विशिष्ट योग्यता प्राप्त बेरोजगार इन्जीनियरों को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वैज्ञानिक मूल अस्थायी नियुक्ति प्रदान करता है।

रोजगार के अवसरों को उन्नत करने के लिए कुछ उपाय पहले ही किए गए हैं जिनका विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1527/72]**

(ग) कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, 31 दिसम्बर 1971 के आंकड़ों के अनुसार 55 इन्जीनियरों को, जो भारत से कभी बाहर नहीं गए थे, वैज्ञानिक पूल में नियुक्त किया गया था।

Alleged Jana Sangh Propaganda over Delhi A. I. R. and T. V.

1057. Shri Ramavatar Shastri :
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether some Political Parties and Members of Parliament have complained to Government that unnecessary propaganda of Jana Sangh is being broadcast over the Main Delhi Station of All India Radio and T. V.;

(b) whether Government have enquired into it; and

(c) if so, the result thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Telephone Connections In Patna

1058. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Telephone subscribers in Patna have been facing difficulties in getting telephone connections for the last few months;

(b) the number of applications of the Telephone subscribers with the Director of Telegraphs; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government to solve the problem ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) In Patna there are 3 exchanges and telephone connections are current except in the main exchange. Connections have been given upto 14-12-71 from all the exchanges and from 15-12-71 non-OYT connections are not being released from the main exchange only.

(b) Main Exchange – 97

Other Exchanges—There is no waiting lists.

(c) Re-arrangement of Areas is under consideration of District Manager to wipe out the above waiting list. Expansion of the Patna Main Exchange by 1800 lines has already been approved.

डाक-घरों में गर्भ-निरोधकों के वितरण सम्बन्धी डिपो होल्डर योजना

1059. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने डाकघरों में गर्भ-निरोधकों के वितरण सम्बन्धी 'डिपो होल्डर योजना' का मूल्यांकन किया है जो मार्च, 1970 से एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना को स्थायी योजना बना दिया जायेगा अथवा यह योजना अस्थायी ही रहेगी और इसका कार्यकाल प्रतिवर्ष बढ़ाया जाता रहेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं । इस मामले का स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय से सम्बन्ध है ।

(ख) इस योजना को स्थायी बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय ने अभी संचार मंत्रालय से नहीं कहा है । उक्त मंत्रालय से इस बारे में प्रार्थना प्राप्त होने पर इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

डाक तथा तार खेल-कूद नियंत्रण बोर्ड का भारतीय हाकी और फुटबाल फैडरेशनों से सम्बद्ध किया जाना

1060. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार खेल-कूद नियंत्रण बोर्ड भारत की हाकी और फुटबाल फैडरेशनों से सम्बद्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त बोर्ड ने भी डाक तथा तार खेल-कूद नियंत्रण बोर्ड को उक्त फैडरेशनों से सम्बद्ध कराने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) डाक-तार खेल-कूद नियंत्रण बोर्ड को भारतीय हाकी फैडरेशन और अखिल भारतीय फुटबाल फैडरेशन दोनों से सम्बद्ध करने के लिए 1964-65 से ही लिखा-पढ़ी चल रही है । इस मामले की विभिन्न स्तरों पर पैरवी की गई है । डाक-तार खेल-कूद नियन्त्रण बोर्ड की प्रार्थना पर इन दोनों फैडरेशनों की बैठकों में विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया है, लेकिन अब तक इसे सम्बद्ध नहीं किया गया है । इसके लिए कोई खास कारण भी नहीं दिए गए हैं ।

संचार मंत्रालय के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

1061. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में नियुक्त ऐसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के

कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके आश्रितों को गत तीन वर्षों के दौरान तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां मिलीं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के डाक तथा तार कर्मचारियों के आश्रितों को पुस्तकें खरीदने के लिये कितने नकद पुरस्कार दिये गये ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) :

		1968-69	1969-70	1970-71
(क)	अनुसूचित जाति के कर्मचारी	15	13	11
	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी	—	—	2
(ख)	अनुसूचित जाति के कर्मचारी	5	4	7
	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी	—	—	—

ये छात्रवृत्तियां/पुरस्कार, संचार मंत्रालय (डाक-तार विभाग) ने अपने कर्मचारियों को दिये ।

कार्य अध्ययन एकक की सिफारिशें

1062. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार बोर्ड ने गत तीन वर्षों में कार्य अध्ययन एकक की कितनी सिफारिशों को स्वीकृत तथा क्रियान्वित किया, और

(ख) विभाग की कार्य-प्रक्रिया में सुधार के परिणामस्वरूप विभाग को कितनी आवर्ती वार्षिक बचत हुई ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) :

(क) डाक-तार महानिदेशालय के अनुभागों से सम्बन्धित पूर्णत: क्रियान्वित सिफारिशें—90

फील्ड यूनिटों से सम्बन्धित पूर्णत: क्रियान्वित सिफारिशें— 7

फील्ड यूनिटों से संबन्धित अंशत: क्रियान्वित की गई सिफारिशें— 3

कुल 100

(ख) इससे वित्तीय दृष्टि से विभाग को हुई बचत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अब तक किए गए अध्ययन कार्य-प्रक्रिया में सुधार के बारे में नहीं थे बल्कि मुख्यत: कार्य-माप और नए पद बनाने के मापदंड तैयार करने के बारे में थे ।

बड़े व्यापार-गृहों को लाइसेंसों का दिया जाना

1063. **श्री सी० चित्तिबाबू :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1970 में लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) उन 113 बड़े औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1971 में लाइसेंस जारी किये गये थे;

(ग) उपरोक्त विभिन्न वर्षों में बड़े औद्योगिक गृहों को जारी किये गये लाइसेंसों का कुल मूल्य कितना था; और

(घ) क्या यह पता लगाने का कोई प्रयास किया गया है कि जिन बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस दिये गये थे क्या उनके द्वारा उद्योगों की स्थापना की जा चुकी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) वर्ष 1970 में 20 बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित हैं अथवा नियमित उद्योगों को 20 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये थे। इसी तरह 1971 में 20 बड़े गृहों से सम्बन्धित अथवा नियमित होने वाले उद्योगों को 114 लाइसेंस दिये गये थे। इन लाइसेंसों के वितरण का गृह-वार तथा किस्मवार ब्यौरा संलग्न दो विवरणों में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०**—1528/72]

(ग) औद्योगिक लाइसेंस सामान्य रूप से निर्मय स्वीकृत वस्तुओं के विशिष्ट क्षमताओं में दिये जाते हैं न कि विशिष्ट मूल्यों में।

(घ) नए औद्योगिक उपक्रम का उत्पादन शुरू करने में सामान्य रूप से दो से तीन वर्ष का समय लगता है। जारी किये गये लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। प्रशासनिक मंत्रालयों तथा सम्बन्धित तकनीकी प्राधिकारियों को पार्टियों द्वारा प्रस्तुत की गई सर्वाधिक विवरणियों की जांच के माध्यम से लाइसेंसों के कार्यान्वयन की प्रगति पर देख-रेख रखी जाती है। महत्वपूर्ण उद्योगों के मामले में तेजी से कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से लाइसेंसों/आशयपत्रों के धारकों की संवीक्षा करने के लिये बैठक की जाती है।

बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये समेकित कार्यक्रम

1064. **श्री पम्पन गौंडा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् ने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए 106 करोड़ रुपये की लागत के समेकित कार्यक्रम का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने रोजगार के अतिरिक्त अवसर सुलभ करने के लिए एक समेकित कार्यक्रम का सुझाव दिया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम तथा शिक्षित एवं प्रशिक्षित लोगों के रोजगार के लिए ऐसे कार्यक्रम प्रारम्भ करने का सुझाव है जिससे प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम सुदृढ़ हो सके तथा सामान्यतया ग्रामीण जनता की उत्पादनशील क्षमता बढ़े। प्रस्ताव में सुनियोजित स्कीमों के माध्यम से बेरोजगार क्षिक्षितों को रोजगार दिए जाने की परिकल्पना की गई है ताकि समुचित सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं के माध्यम से देश का नियोजन किया जा सके। इस स्कीम के अन्तर्गत स्नातक इन्जीनियरों तथा डिप्लोमाधारियों को रोजगार मिलेगा। ये लोग सड़क निर्माण कार्यों, सिंचाई कार्यों, भूमि-संरक्षण आदि के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण आदि करेंगे। इस प्रस्ताव में स्नातक, इन्टरमीडियेट एवं मैट्रिकुलेट जैसे सामान्य शिक्षा प्राप्त लगभग एक लाख लोगों को रोजगार दिए जाने की परिकल्पना की गई है। इन्हें सामान्यतया गांवों के स्कूलों में अध्यापक लगाया जायेगा। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने सम्बन्धी परियोजना के लिए कुल 31 करोड़ रुपये की तथा ग्रामीण निर्माण परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

अन्य सुझाव इस प्रकार हैं : कि इन कार्यक्रमों को योजना में अंगीभूत किया जाय तथा इनके व्यय की पूर्ति आंशिक रूप से व्यय में कमी करके तथा आंशिक रूप से नए संसाधन जुटाकर की जाय। उत्पादन में व्यवधान उपस्थित करने वाली नियंत्रण-प्रणालियों को समाप्त किया जाय। कच्चे माल के पर्याप्त सम्भरण को सुनिश्चित किया जाय।

साधारणतया सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखा है तथा योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम बनाए हैं। इस प्रकार जो विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं उनमें ये सम्मिलित हैं—लघु कृषक विकास अभिकरण (67.5 करोड़ रु०), सीमान्त कृषक तथा खेतीहर मजदूरों के अभिकरण (47 5 करोड़ रुपये), ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम (100 करोड़ रुपये), बारानी खेती कार्यक्रम (20 करोड़ रुपये), तथा क्षेत्र विकास स्कीमें (15 करोड़ रुपये)। इसके अतिरिक्त इस वर्ष ग्रामीण रोजगार के लिए जो जोरदार (क्रैश) स्कीम कार्यान्वित की गई है उसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में औसतन 1000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है। इस कार्यक्रम के लिए 1971-72 और 1972-73 के बजटों में से प्रत्येक में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

शिक्षित बेरोजगारों, जिनमें इन्जीनियर तथा तकनीशियन भी शामिल हैं, के लिए विशेष रूप से बनाई गई स्कीमों के लिए भी 1971-72 के केन्द्रीय बजट में व्यवस्था की गई है। इन स्कीमों की जांच करते हुए, योजना आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 1972-73 और 1973-74 के वर्षों का कार्यक्रम तदर्थ किस्म का न होकर जारी रहने वाली किस्म का होना चाहिए। तदनुसार, योजना आयोग ने जिन विभिन्न स्कीमों की अनुशंसा की उनको जारी रखने पर 1971-72 में 13 करोड़ रुपये और 1972-73 तथा 1973-74 में से प्रत्येक वर्ष 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कई स्कीमें ऐसी हैं जिनका खर्चा केन्द्रीय सरकार उठायेगी परन्तु उन्हें राज्य सरकारें कार्यान्वित करेंगी जबकि कई अन्य स्कीमें ऐसी हैं जिनका संचालन केन्द्रीय मन्त्रालय करेंगे। मुख्य स्वीकृत कार्यक्रम इस प्रकार है : प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, ग्रामीण इन्जीनियरी सर्वेक्षण, कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना, छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को सहायता, पांचवीं योजना में हाथ में लिए जाने वाले सड़क निर्माण कार्यों से सम्बन्धित जांच, ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए डिजाइन एककों का निर्माण तथा पेट्रोल

वितरण व्यवस्था (पेट्रोल डीलरशिप) के लिए उद्यमियों को सहायता। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अर्द्ध-कुशल तथा अकुशल मजदूरों के अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में शिक्षकों, इन्जीनियरों, डिप्लोमा-धारियों, नक्शानवीशों, स्नातकों एवं मैट्रिक पास व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है।

वर्ष 1972-73 के केन्द्रीय बजट में, ग्रामीण जल पूर्ति, ग्रामीण गृह भूमिखण्ड, गंदी बस्तियों की सफाई व सुधार, प्राथमिक शिक्षा और शिक्षित बेरोजगारों की स्कीमों के लिए 125 करोड़ रुपये की एकमुश्त व्यवस्था की गई है।

अगली पंचवर्षीय योजना में टेलीविजन स्टेशन

1065. **श्री पम्पन गौंडा :**
श्री सरजू पांडे :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने टेलीविजन स्टेशन स्थापित किए जायेंगे ?

(ख) ये टेलीविजन स्टेशन, राज्यवार, किस-किस स्थान पर स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) एक टेलीविजन स्टेशन पर आवर्ती और अनावर्ती वार्षिक व्यय का अनुमान क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) तथा (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) चौथी योजना के दौरान जिस आकार के टेलीविजन केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं, उसी आकार के एक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना का पूंजीगत व्यय लगभग 2 करोड़ रुपये होगा। तत्पश्चात् वार्षिक व्यय, सेवा की अवधि, चैनलों की संख्या तथा मूलरूप से तैयार किए जाने वाले तथा पहले से रिकार्ड किए गए कार्यक्रमों के बीच अनुपात पर निर्भर करेगा। इस धारणा पर कि यदि एक टेलीविजन केन्द्र एक चैनल पर कार्य करे और लगभग 8 घण्टे की अवधि के कार्यक्रम (स्कूल कार्यक्रमों सहित) प्रसारित करे तथा सारे स्कूल कार्यक्रम और लगभग 50 प्रतिशत सामान्य कार्यक्रम स्थानीय रूप से ही तैयार हों, तो उस केन्द्र का वार्षिक आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय लगभग 80 लाख रुपये होगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी आयोग

1056. **श्री पम्पन गौंडा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी एक आयोग गठित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं और निर्देश-पद क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए कोई आयोग गठित नहीं किया गया है। फिर भी, सरकार ने 25 अक्तूबर, 1971 से 3 वर्ष की कार्यावधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति गठित की है। समिति के कार्य और सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—1529/72]

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

1067. **श्री झारखण्ड राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलीचेरी, केरल में दंगे होने के तत्काल बाद विभिन्न वर्गों ने राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य-मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) समय-समय पर ऐसी मांगें की गई हैं।

(ख) साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार को अधिकार देने वाला कोई कानून नहीं है। दण्ड विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1970 को, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों से निपटने के उपबन्ध विहित थे, चतुर्थ लोक सभा में विरोधी दलों की आपत्तियों को दृष्टि में रखते हुए सितम्बर, 1970 में पुनःस्थापन की अवस्था पर वापस लेना पड़ा था। उस समय की गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसी रूपरेखा पर विचार कर रही है जिससे उक्त विषय पर विधान तैयार किया जा सके।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए योजना

1068. **श्री एन० ई० हीरो** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्यो-गिकी के सम्बन्ध में योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए योजना को अभी तक अंतिम स्वरूप प्रदान नहीं किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने कार्य अपने हाथ में ले लिया है, जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक साधनों का निर्धारण और विकास आयात प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की बेरोजगारी को कम करने की समस्याओं की कई कार्यकारी दल जांच कर रहे हैं।

Issue of Commemorative Stamps

1069. Shri Jharkhande Rai : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether Government propose to issue commemorative stamps in honour of Chander Shekhar Azad, Bhagat Singh and Yateender Nath Das great martyrs and revolutionary freedom fighters; and

(b) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b) A Commemorative stamp in honour of Bhagat Singh (Revolutionary) has already been issued on 19-10-1968. The proposal for the issue of stamps in honour of Sarvashri Chander Shekhar Azad and Yateender Nath Das were considered earlier by the Philatelic Advisory Committee, attached to the P & T Department, but the Committee, did not recommend the acceptance of the proposal. These proposals will, however, be again placed before the Philatelic Advisory Committee for their consideration.

पटना रेडियो स्टेशन

1070. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन के प्रचार के जवाब देने के लिये पटना रेडियो स्टेशन में एक अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं। वर्तमान केन्द्रों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए पर्याप्त रूप से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड को अनुदान देना

1071. **श्री पी० ए० सामिनाथन् :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के दौरान नागरिक सुरक्षा पर व्यय हेतु केन्द्रीय सरकार के भाग के रूप में राज्यों को अनुदान के रूप में दी गई 44,49,884 36 रुपये की राशि में प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि वितरित की गई है; और

(ख) होम गार्ड पर व्यय की गई राशि में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार के भाग के रूप में दी गई 1204·79 लाख रुपये की राशि में से राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि दी गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) नागरिक सुरक्षा 1970-71 वर्ष में दिये गये अनुदान :

	रुपये
आन्ध्र प्रदेश	64,050.58
असम	3,50,000,00
हरियाणा	76, 728.00
मध्य प्रदेश	19,756.83
महाराष्ट्र	2,02,620.00
मैसूर	08,418 18
उड़ीसा	24,351.60
पंजाब	8,07,887·66
राजस्थान	2,59,026 20
पश्चिम बंगाल	25,47,045.31
जोड़	44,49,884.36

(ख) होम गार्ड—1970-71 तक उत्तरोत्तर दिए गए कुल अनुदान :

आन्ध्र प्रदेश	37,91,400.50
असम	57,41,849.54
बिहार	158,46,755.00
गुजरात	30,50,740.41
केरल	23,87,845.37
मध्य प्रदेश	13,12,632.00
तमिलनाडु (मद्रास)	23,40,671.87
महाराष्ट्र	92,80,969.68
मैसूर	38,27,066.84
उड़ीसा	18,13,007.28
पंजाब	135,20,480.33
राजस्थान	73,49,294.39
उत्तर प्रदेश	269,03,141.00
पश्चिम बंगाल	63,55,634.55
जम्मू व कश्मीर	149,9 ',125.00
हरियाणा	19,64,323.12
जोड़ :	1204,79,936.88

पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो द्वारा राज्यों को दी गई सहायता

1072. **श्री पी० ए० सामिनाथन्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस दलों के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित मामलों पर पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो द्वारा राज्य सरकारों को क्या सहायता दी गई; और

(ख) वे कौन से राज्य हैं तथा उनकी संख्या कितनी है जहां इस ब्यूरो ने पुलिस द्वारा अपनाये जाने वाले तौर-तरीकों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता को सम्भव बनाया ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) गृह मंत्रालय में स्थापित पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो पुलिस और उसकी समस्याओं से निपटने वाली अनेक अनुसंधान परियोजनाओं में संलग्न है और विकासात्मक पक्ष में इसका सम्बन्ध पुलिस में प्रशासन, जन-प्रबन्ध, विधि और व्यवस्था अनुरक्षण, आदि में नये तौर-तरीकों के विकास से है। ब्यूरो राज्य सरकारों तथा उनके पुलिस महानिरीक्षकों के साथ निरंतर सम्पर्क बनाये हुए हैं ताकि ब्यूरो द्वारा किये गये अध्ययनों के परिणाम राज्य पुलिस वालों को यथाशीघ्र उपलब्ध हो। इस उद्देश्य से परियोजना को दो भागों में विभाजित किया गया है, वे जिनका तुरन्त उपयोग होता है और वे जिनका स्वभाव लम्बी अवधि का है। प्राथमिकता प्रथम वर्ग की परियोजनाओं को दी गई है।

(ख) ब्यूरो द्वारा किए गये अनुसंधान तथा विकास कार्यों के परिणामों से सभी राज्य सहमत हैं। ब्यूरो द्वारा देश में पुलिस बलों को आधुनिक बनाने में मदद करने तथा विभिन्न परियोजना अध्ययन करने के सुझाव कार्यान्वित किये गये, राज्य सरकारों को एक ऋण और अनुदान सहायता भी दी जा रही है ताकि पुलिस बल आधुनिक रहे, अपने उत्तरदायित्व को कारगर ढंग से निभाने के लिए दक्ष व सक्षम बनें।

दिल्ली टेलीविजन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के लिए मापदण्ड

1073. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1972 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में प्राकृतिक उत्पादों के रसायन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी को दिल्ली टेलीविजन पर प्रसारित नहीं किया गया जिसमें मनोबल पुरस्कार विजेता दो विख्यात वैज्ञानिकों ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली टेलीविजन द्वारा विभिन्न घटनाओं के प्रसारण के लिये क्या मापदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ग) उक्त गोष्ठी को अपने कार्यक्रम में शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) आकाशवाणी ने उक्त गोष्ठी को अपने रेडियो प्रसारण में स्थान दिया था, परन्तु टेलीविजन पर टेलीकास्ट नहीं किया।

(ख) तथा (ग) टेलीविजन कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने के लिए मुख्य मापदण्ड किसी विशिष्ट घटना का सापेक्ष सामाचारिक महत्व तथा उपलब्ध समय के अन्दर उसको टेलीकास्ट करने की उपयुक्तता है।

लाइसेंसों और आशय-पत्रों का जारी किया जाना

1074. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1971 में लाइसेंस और आशय-पत्र अधिक जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के मदवार, तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन जारी किये गये लाइसेंसों और आशयपत्रों की संख्या बताने वाले दो विवरण संलग्न हैं [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** — 1530/72]

अवैध सट्टा

1075. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 फरवरी, 1971 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "कानूनों की ढील अवैध सट्टेबाजों की सहायता करती है" नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) सट्टेबाजी के लिए तत्काल माल देने के संविदाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने अक्तूबर 1971 में एक अध्यादेश द्वारा अगाऊ सौदे (विनियमन) अधिनियम में संशोधन किया था। उसके स्थान पर बाद में एक संशोधनकारी अधिनियम रख दिया गया है। कानून को और अधिक कठोर बनाने के और आगे के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। इसी बीच सभी सम्बन्धित सरकारी अभिकरणों को अवैध अगाऊ व्यापार की बुराई को रोकने के लिए सावधान कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के वायदा बाजार आयोग की तकनीकी सहायता से दिल्ली राज्य पुलिस ने कई छापे मारे और अनेक मामलों में मुकदमे चलाये हैं।

टेलीफोन कालों में कदाचार

1076. **श्री अमरनाथ चावला** :
श्री रामसहाय पांडे :

क्या **संचार** मंत्री टेलीफोन मीटर के बारे में 1 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित **प्रश्न संख्या** 2430 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राहकों से टेलीफोन कालों का शुल्क प्राप्त करने में कदाचार के मामले की जांच ब्यूरो द्वारा इस बीच पूरी कर ली गई है;

(ख) इसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) यदि नहीं, तो यह जांच कब तक पूरी कर लिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) दिल्ली प्रशासन के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने इस मामले की जांच अंशत: पूरी कर ली है।

(ख) एक कर्मचारी पर अदालत में मुकदमा चल रहा है, जबकि दो आकस्मिक मजदूरों के विरुद्ध मामलों की जांच की जा रही है।

(ग) अभी जांच में कुछ और समय लगने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय बचत पत्र

1077. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या संचार मंत्री दिल्ली में राष्ट्रीय बचत पत्रों में कथित गोलमाल करने के बारे में 24 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1484 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पुलिस-जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और जिम्मेदार ठहराये गये व्यक्तियों को क्या सजा दी गई; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और पुलिस जांच के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पुलिस इसकी जांच के काम में काफी आगे पहुंच चुकी है और इसे पूरा करने के लिए उसके साथ निकट सम्पर्क रखा जा रहा है।

बिड़ला बंधुओं द्वारा ओपेल कार का निर्माण

1078. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मोटर्ज द्वारा इस समय निर्मित की जा रही एम्बेसडर कारों की बजाय ओपेल कारों के निर्माण की अनुमति देने के लिए बिड़ला बंधुओं ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

बिहार में ग्राम्य डाकघरों के लिए अनिर्णीत प्रार्थना-पत्र

1079. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ग्रामवार डाकघर खोलने के सम्बन्ध में सरकार के पास कितने प्रार्थना पत्र तथा कितने समय से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय न लेने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) पिछले 6 महीने से 3 वर्ष तक के अर्से से 952 आवेदन-पत्र बकाया पड़े हैं।

(ख) इस तरह के प्रस्तावों की जांच पर समय लगता है, खास तौर पर जबकि प्रत्याशित यातायात की जांच करनी हो। फिर भी, पोस्टमास्टर जनरल को हिदायत की गई है कि इन मामलों को वर्ष 1972-73 के दौरान निपटा दिया जाए।

कलकत्ता में ऐसोशिएटिड चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री में योजना मंत्री का भाषण

1080. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में ऐसोसिएटिड चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री की बैठक में भाषण देते हुए उन्होंने उद्योगों को अधिक गतिमान बनाने के लिए सरकार द्वारा उपचारात्मक उपाय किए जाने का उल्लेख किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस वक्तव्य को और स्पष्ट करेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) कलकत्ता में ऐसोसिएटिड चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री की बैठक में भाषण देते हुए, मंत्री महोदय ने उद्योग के धीमे विकास के कतिपय कारणों की ओर ध्यान दिलाते हुए बताया था कि औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इनमें ये शामिल हैं—प्रत्येक उद्योग की स्थिति का अलग-अलग विस्तृत विश्लेषण ताकि उद्योग को प्रभावित करने वाली विशेष समस्याओं का पता लगाया जा सके, बिजली, संचार और कच्चे माल की कमी के कारण उठने वाली अड़चनों को हटाया जा सके, इस्पात के लिए विशेष कच्चे माल बैंक का गठन, चयनात्मक सरकारी विनियोजन द्वारा मांग को प्रोत्साहित करना, विद्यमान क्षमता का अच्छा उपयोग तथा जहां तक सम्भव हो प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्बों का निराकरण करना। चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन, जोकि सभा-पटल पर पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, में इन पहलुओं पर कुछ विस्तार से विचार किया गया है।

Uniform Policy for the Industrial Development of the entire country

1081. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of Industrial Development be pleased to state whether Government have laid down any uniform policy for the industrial development of the entire country and if so, the broad outline thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : The Industrial Police Resolution of 1956 and the modified licensing policy annou-

nced in February, 1970 and thereafter lay down the policy for the industrial development of the entire country. Government have raised the exemption limit for the purpose of industrial licensing to Rs. 1 crore subject to certain conditions. This would widen the industrial base and give encouragement to new and small entrepreneurs. The Larger Industrial Houses and foreign majority concerns will normally confine their activities to the 'core' and 'heavy investment' sectors. However, their requests for entry into the middle sector in the interest of cost efficiency and export promotion will be considered. With a view to encouraging the small scale sector, certain industries have been reserved for development exclusively in that sector. In so far as the question of regional imbalances is concerned, two districts in each of the backward States and one district in each of the other States including Union Territories have been selected for the purpose of giving subsidy of 10% for investment upto Rs. 50 lakhs. Certain areas have also been selected in each State for the purpose of giving financial assistance at concessional rates. Besides, Government allow a transport subsidy on the transportation of raw materials and finished products in certain remote areas. These measures will help in reducing the regional imbalances.

बिहार में एक्सप्रेस पत्रों और तारों का वितरण

1082. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में पटना, धनबाद, सहरसा, हजारीबाग के जिलों में डाक सेवाओं की विशेष रूप से एक्सप्रेस पत्रों और तारों के वितरण की स्थिति बहुत खराब हो गयी है, और

(ख) सेवा में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) डाक तार सेवा के बारे में जितनी शिकायतें मिली हैं, उनकी संख्या के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि इधर कुछ वर्षों में इन जिलों में डाक-तार की सेवाओं के स्तर में कोई गिरावट आई है। फिर भी इसमें सुधार की गुंजाइश है।

(ख) जहां भी जरूरी हुआ वहां पोस्टमास्टर जनरल ने पर्याप्त स्टाफ की मंजूरी देने और अतिरिक्त डाकघर खोलने की कार्रवाई की है। एक ऐसी कार्यविधि भी अपनाई गई जिसके अनुसार पर्यवेक्षण-अधिकारी डाक-तार कार्यालयों के काम की जांच करने के लिए अचानक दौरे करते हैं। तार यातायात जल्दी से निपटाया जा सके इसके लिए धनबाद-रांची और सहरसा-कटिहार के बीच एक-एक टेलीप्रिंटर सर्किट की भी व्यवस्था की गई है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नया टेलीफोन कारखाना

1083. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन उपकरण बनाने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक टेलीफोन कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित नये कारखाने में टेलीफोन के स्विचिंग उपकरणों का निर्माण होगा। इसकी उत्पादन क्षमता, पूंजीगत लागत आदि के ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिए गए औद्योगिक कारखानों पर व्यय

1084 **श्री एन० शिवप्पा :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अधिग्रहण किये गये संकटग्रस्त औद्योगिक कारखानों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है और उनसे कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1531/72]

देश में नक्सलवादी आन्दोलन का अध्ययन

1085. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समस्त देश में नक्सलवादी आन्दोलन का गत वर्ष के दौरान क्या कोई अध्ययन किया गया था और यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : नक्सलवादियों तथा समवर्गीय उग्रवादियों की गतिविधियों पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ लगातार पुनर्विचार होता रहा। किन्तु देशव्यापी नक्सलवादी आन्दोलन का जैसा कि प्रश्न में उल्लेख है 1971 के दौरान विशिष्ट अध्ययन आरम्भ अथवा प्रस्तुत नहीं किया गया।

Anti-National Activities of some Individuals and Organisations During Indo-Pak War

1086. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether during the last Indo-Pak War. Government have come to know about some individuals and organisations which were indulging in anti-national activities;

(b) if so, the names of the States in particular where such incidents took place; and

(c) whether Government propose to take some more stringent measures to check the recurrence of such incidents in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) During the recent war no action was taken against any organisation for indulging in any anti-national activities. However, some persons were arrested in the border States in the eastern and the western sectors on suspicion of their involvement in sabotage and espionage activities and are being proceeded against under the law. Some individuals were also detained with a view to preventing them from acting in any manner prejudicial to the Defence of India, the security of India and the maintenance of public order.

(c) The Central and the State Governments are fully vigilant and take suitable action under law to deal with all activities prejudicial to our defence and security.

औद्योगिक एककों के बन्द होने से उत्पन्न होने वाली मजदूरों की स्थिति

1087. **श्री पी० वेंकटसुब्बया** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल फरवरी में उनसे मिला था तथा उसने देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक एककों के बन्द होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली मजदूरों की स्थिति के विषय में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां (तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। चर्चा में देश के उद्योगों की सामान्य स्थिति सम्बन्धी बातों पर भी विचार हुआ।

(ख) सरकार ने तकनीकी विकास का महानिदेशालय कम्पनी मामलों का विभाग व बैंकिंग के परामर्श से औद्योगिक एककों की सामान्य स्थिति की निरन्तर समीक्षा करने हेतु बंद पड़े/संकटग्रस्त एकक प्रकोष्ठ की स्थापना औद्योगिक विकास मंत्रालय में अलग से कर दी है। इस विषय में और भी कदम उठाये जाने की बात विचाराधीन है।

दूसरा भू-उपग्रह संचार केन्द्र

1088. **श्री पी० वेंकटसुब्बया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून के निकट डोईवाला में भारत का दूसरा भू-उपग्रह संचार केन्द्र स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके चालू होने तक इस पर कितनी लागत आयेगी तथा कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) दूसरे भू-उपग्रह केन्द्र प्रायोजना की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

भू-केन्द्र कम्पलेक्स में देहरादून के निकट प्रस्तावित मुख्य केन्द्र; नई दिल्ली में अन्त्य भवन, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन और टैलेक्स केन्द्र होंगे, और मुख्य केन्द्र तथा अन्त्य भवन के बीच सूक्ष्म तरंग की व्यवस्था। यह केन्द्र अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन, तार, तथ्यात्मक जानकारी, प्रतिकृति और दूरदर्शन पारेषणों के कार्य निपटाने में समर्थ होगा।

(ग) लगभग 218 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा सहित इस प्रायोजना की अनुमानित लागत लगभग 781 लाख रुपये होगी। प्रस्तावित दूसरा भू-उपग्रह केन्द्र 1974-75 में चालू हो जायेगा।

टरेस्सा वाच कम्पनी के सहयोग से स्विस घड़ियों का निर्माण

1089. **श्री पी० वेंकटसुब्बया** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टरेस्सा वाच कम्पनी के सहयोग से स्विस घड़ियां बनाने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) एच० एम० टी० घड़ियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) गत दिसम्बर में सरकार ने एक भारतीय पार्टी को स्विट्जरलैण्ड की मे० ट्रेसा वाच कम्पनी लि० के साथ 5 वर्ष तक रायल्टी के अदायगी और तकनीकी जानकारी के लिए एकमुश्त अदायगी के आधार पर प्रति वर्ष 3.6 लाख कलाई घड़ियां बनाने सम्बन्धी विदेशी सहयोग की शर्तों को स्वीकृति दी है। ये दोनों प्रकार की अदायगियां भारतीय कराधान से प्रभावित होंगी।

(ग) देश में कलाई घड़ियों की मांग और पूर्ति स्थिति को देखते हुए देश में कलाई घड़ियों की अतिरिक्त क्षमता के निर्माण की गुंजाइश है। इसका एच० एम० टी० द्वारा किए जा रहे कलाई घड़ियों के उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत-पाकिस्तान युद्ध में मारे गये/घायल हुए सीमा सुरक्षा दल के जवानों को दी गई सहायता

1090. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा दल के जवानों के, जो हाल ही में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में मारे गये थे अथवा घायल हो गये थे, आश्रितों को सरकार द्वारा धन तथा अन्य प्रकार की अब तक कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) उनके परिवारों के कल्याण के लिए सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सीमा सुरक्षा बल के जवानों के, जो हाल में युद्ध में मारे गये अथवा घायल हुए थे, परिवारों को दी गई सहायता इस प्रकार थी :—

(i) मृतक द्वारा अन्त में लिये गए वेतन के दो तिहाई की दर से 7 वर्ष तक पेंशन, उसके बाद वर्तमान हक के अनुसार डेढ़ गुने की दर से पेंशन, बशर्ते कि वह मृतक द्वारा अन्त में लिए गये मूल वेतन का अधिकतम दो तिहाई हो। मातृहीन बच्चों के मामले में वर्तमान हक का डेढ़ गुना पेंशन देने की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि वह अन्त में लिए गए मूल वेतन का अधिकतम दो तिहाई हो। सीमा सुरक्षा बल के अपंग जवानों के सम्बन्ध में वर्तमान हक के ऊपर 50 प्रतिशत पेंशन स्वीकार्य है (अर्थात् 50 प्रतिशत घायलों को पेंशन तथा अपंगों को पेंशन यदि कोई हो), बशर्ते कि वह अन्त में लिये गये वेतन का अधिकतम दो तिहाई हो।

(ii) सीमा सुरक्षा बल के मारे गये जवानों के परिवार, जैसा कि सामान्य नियमों के अधीन ग्राह्य है, मृत्यु और सेवा निवृत्त ग्रेचुयटी के अतिरिक्त 3 महीने के वेतन के बराबर ग्रेचुयटी भी पाने के हकदार हैं।

(iii) सरकार व बल के सदस्यों के अंशदान से बनायी गयी सीमा सुरक्षा बल हितकारी निधि, जो बल के सदस्यों द्वारा स्वयं शासित की जाती है, से अनुदान के अतिरिक्त

युद्ध में मारे गये सीमा सुरक्षा बल के जवानों के परिवारों को एक मुस्त 5000 रुपये का अनुदान तथा 10 वर्ष की अवधि के लिए 150 रुपये माहवार की दर से पेंशन की अनुमति दी है।

(iv) सीमा सुरक्षा बल के घायल जवानों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाती है और चिकित्सा का समय सेवा में तैनात समझा जाता है जिससे उस अवधि का पूरा वेतन और भत्ता देय है।

(ख) युद्ध के कारण हुई विधवाओं तथा युद्ध में अपंग हुए सर्विसमैनों को उदारता से पेंशन देने के सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय द्वारा दिये गये अनुदेशों के समनुरूपता पर सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों समेत असैनिक सरकारी कर्मचारियों, जो शत्रु की कार्रवाई द्वारा मारे अथवा अपंग हुए थे, के मामलों में समान पेंशन देने के प्रश्न पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि युद्ध में मारे गये सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों के प्रत्येक परिवार के दो सदस्यों को सरकार द्वारा सीधे भरे जाने वाले श्रेणी III/IV के पदों में बिना रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण कराये नियुक्त किया जा सकता है। इस युद्ध के प्रयोजन के लिये ऐसे मृतक सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों में उसकी विधवा के अतिरिक्त उसके पुत्र/पुत्रियां/निकट संबंधी, जो उसके (मृतक के) परिवार की सहायता के लिए सहमत हों, सम्मिलित हैं।

मारे गये अथवा अपंग/घायल सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों की शिक्षा की सुविधा के संबंध में हाल के युद्ध में मारे गये विकलांग सशस्त्र सेना कर्मचारियों तथा अर्ध सैनिक बलों के कर्मचारियों के बच्चों को निम्नलिखित छूट प्रदान करने के लिए सरकार ने पहले ही एक योजना तैयार की है :—

(i) संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाली शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्क से पूरी छूट।

(ii) छात्रावास वाले स्कूलों तथा कालेजों में अध्ययन करने वालों को होस्टल व्यय के लिए अनुदान।

(iii) पुस्तक तथा लेखन सामग्री का पूरा व्यय, और

(iv) यूनिफार्म का पूरा व्यय, जहां वह आवश्यक है।

उपरोक्त छूट प्रथम स्नातक पाठ्यक्रम समेत स्नातक पाठ्यक्रम तक उपलब्ध होगा। किन्तु यदि कोई पात्र बच्चे पहले से ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हों, तो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में छूट देय होगी।

सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों को सुविधायें

1091. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों और अन्य सुविधाओं में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सीमा सुरक्षा दल द्वारा गत भारत-पाक युद्ध में किये गये महत्वपूर्ण कार्य की दृष्टि से उनकी सेवा-शर्तों और अन्य सुविधाओं को बढ़ा कर सैनिकों जितना कर दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) यद्यपि सरकार के समक्ष इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना तथा सेवा की शर्तों का सारा प्रश्न इस समय तृतीय वेतन आयोग के विचाराधीन है; और सीमा सुरक्षा बल की परिलब्धियों, वेतन संरचना इत्यादि पर भी आयोग यथोचित ध्यान देगा ।

कार के मूल्य में वृद्धि

1092. **श्री बी०वी० नायक** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कारों का स्वदेशी उत्पादन प्रारम्भ होने के समय से भारत में कारों के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई और तब से कारों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले विदेशी उपकरणों को किस सीमा तक समाप्त किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : कारों के उत्पादन प्रारंभ होने के समय की कीमतों की जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है । फिर भी, तुलना की दृष्टि से दिनांक 1 जनवरी, 1957 को कारखाने से निकलते समय की कीमतें और वर्तमान कीमतें नीचे दी जाती हैं :—

	दिनांक 1 जनवरी, 1957 को	वर्तमान कीमत
अम्बैसेडर	10,424 रुपये	16,946 रुपये
फिएट	8,934 ,,	15,946 ,,
स्टैंडर्ड हैरल्ड	8,702 ,,	16,529 ,,

प्रत्येक कार में आजकल लगने वाले विदेशी उपकरण इस प्रकार हैं :—

अम्बैसेडर = 0.51 प्रतिशत

फिएट = 0.75 प्रतिशत

स्टैंडर्ड हैरल्ड = 1.39 प्रतिशत

भद्रक डाकघर के लिए स्थायी भवन

1093. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के बालासन जिले में स्थित भद्रक डाकघर के लिए एक स्थायी और विस्तृत भवन का निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे काम-काज दक्षतापूर्वक हो सके ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : भद्रक प्रधान डाकघर के लिए आवश्यक स्थान की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने मौजूदा इमारत का समुचित विस्तार करने का फैसला किया है । इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति और खर्च की मंजूरी दी जा चुकी है ।

वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना बंगला देश से आए गैर बंगाली मुसलमानों के विरुद्ध कार्यवाही

1095. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और अन्य संस्थानों में बंगला देश से बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के

आये हुए गैर-बंगाली मुसलमानों को, जहां वे इस समय ठहरे हुए हैं, फिलहाल नजरबन्द करने और उनको शरण देने वाले लोगों से प्रतिभूतियां प्राप्त करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) तथा (ख) संबंधित राज्य सरकारों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

दिल्ली को राज्य का दर्जा

1096. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) समय-समय पर सरकार को सुझाव दिया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राज्य बनाया जाय। देश की राजधानी के रूप में आस-पास के प्रान्तों को काट कर सीधे केन्द्रीय प्रशासन के अधीन एक अलग प्रशासन एकक बनाया गया था। सरकार समझती है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्ण राज्य की मांग उपयुक्त नहीं है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कुछ नियंत्रण लागू किये जाने के कारण गुजरात तथा कुछ अन्य राज्यों में कपास की कम बिक्री से उत्पन्न स्थिति

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : मैं विदेश व्यापार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"कुछ नियंत्रण लागू किए जाने के कारण गुजरात तथा कुछ अन्य राज्यों में कपास की कम बिक्री से उत्पन्न स्थिति।"

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : 53 लाख गांठों की कम फसल होने के परिणामस्वरूप जनवरी 1971 मे रुई की कीमतें सबसे ऊँचे स्तरों पर पहुंच गई। रुई की अत्यधिक कमी के कारण कपड़े तथा सूत दोनों का उत्पादन 20 वर्षों में सबसे कम हुआ। हमारे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कीमतें बढ़ने की प्रवृत्ति रोकने के लिए सरकार ने कुछ उपाय किए। कीमतों का उच्च स्तर सितम्बर 1971 तक बनाये रखा गया। माननीय सदस्य इस बात का अनुभव करेंगे कि इस स्थिति को जारी नहीं रखा जा सकता था। चालू वर्ष 1971-72 की फसल

का हमारा प्रारम्भिक अनुमान 55 लाख गांठों का था। महाराष्ट्र को छोड़कर अधिकांश रुई उगाने वाले क्षेत्रों में मौसम की परिस्थितियों के अनुकूल हो जाने के फलस्वरूप उत्पादन 59 लाख गांठों के आसपास होगा। अतः ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि कीमतों के जो अभूतपूर्व स्तर गत मौसम में प्रचलित रहे, वे चालू मौसम में बनाये रखे जा सकते हैं। गुजरात, मैसूर तथा पंजाब से अधिक मात्रा में रुई आ जाने से गत दो महीनों से कीमतें घट रही हैं। वर्तमान कीमतें 1969/1970 की कीमतों से, जोकि एक सामान्य वर्ष था, अच्छी तरह मेल खाती हैं।

नई फसल के विपुल मात्रा में आने के पूर्व ऋण अंकुशों में कुछ समायोजन किए गए थे। बाजार में अधिक मात्रा में रुई आने के कारण ये समायोजन अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं। परिणामस्वरूप खरीद की मात्रा उन स्तरों तक नहीं बढ़ाई जा सकी, जिनसे कीमतों को स्थिर करने वाला प्रभाव पड़ सके।

सरकार इस स्थिति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करती रही है। विदेशी रुई के आयात कार्यक्रम में लगभग 2.5 लाख गांठों की कटौती कर दी गयी है।

इस संदर्भ में, मुझे यह घोषणा करने में प्रसन्नता हो रही है कि देश के सभी एककों के सम्बन्ध में वर्तमान स्टाक सम्बन्धी सीमाओं को समान आधार पर एक माह तक बढ़ा दिया गया है। इससे सामान्यतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इससे लगभग 5 लाख अतिरिक्त गांठें क्रय करने की संभाव्यताएं बढ़ जाएंगी। मुझे विश्वास है, कि सदन इससे सहमत होगा कि इससे कीमतें स्थिर करने में बड़ी सहायता मिलेगी।

रुई निगम ने विभिन्न राज्यों में पहले ही एक बड़ी संख्या में क्रय केन्द्र खोल दिए हैं और 40,000 से अधिक गांठें खरीदी जा चुकी हैं। और अधिक मात्रा में खरीदारी जारी है।

उपजकर्ताओं को अधिक ऊंची कीमतें देने के उद्देश्य से ताकि उन्हें अगले वर्ष रुई उपजाने के लिए प्रोत्साहन मिले, सरकार के विचाराधीन और भी अनेक उपाय हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

(क) ऋण प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में उपयुक्त ढील देना;

(ख) अहस्तांतरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी संविदाओं के सम्बन्ध में सुपुर्दगी की अवधि बढ़ाना।

मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए है और उपजकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु शीघ्र ही उचित उपचारात्मक कदम उठाये जाएंगे।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : देश में विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में हजारों कपास उत्पादकों के समक्ष आये गम्भीर आर्थिक संकट पर काबू पाने के लिए सरकार ने कोई पर्याप्त उपाय नहीं किये हैं। हमारे किसान अनाज और नकदी वाली फसलों की उपज के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु सरकार द्वारा समय पर कार्यवाही न किये जाने के कारण उन्हें गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। गत वर्ष कपास का उत्पादन 53 लाख गांठें था, जो इस वर्ष 66 लाख गांठें हो गया है। बड़ी हैरानगी की बात है कि कपास का मूल्य बहुत कम हो गया है। इसके परिणामस्वरूप कपास उत्पादकों के पास कपास का काफी भंडार जमा हो गया है। सरकार को इस स्थिति पर विचार करना चाहिए। गुजरात में 24 लाख

गांठों का उत्पादन हुआ है जिसमें से 15 लाख गांठें अनबिकी पड़ी हैं। कपास के भण्डार और ऋण सम्बन्धी सुविधाओं पर कठोर पाबन्दियां लगाये जाने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। सरकार को ये सभी पाबन्दियां हटा लेनी चाहियें। यदि देश में कपास की कमी हो, तो इस प्रकार की पाबन्दियों को न्यायोचित बताया जा सकता है। परन्तु यदि उत्पादन काफ़ी है और बाजार में काफी भण्डार जमा है तो इन पाबन्दियों को हटा दिया जाना चाहिये। भारतीय रुई निगम का गठन बहुत उचित समय पर किया गया है परन्तु उन्होंने गुजरात राज्य में केवल 1000 गांठें ही खरीदी हैं। यदि रक्षित भण्डार को खरीदा नहीं गया तो कपास उत्पादक अन्य किस्म की फसलें उगाने लगेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि आगामी वर्ष में उत्पादन कम हो जायेगा। कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार कब तक कोई ठोस कार्यवाही करेगी? सरकार समर्थन मूल्यों की घोषणा कब करेगी और क्या कपास के मूल्यों और कपड़े के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए कोई दीर्घावधि अथवा अल्पावधि योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं?

श्री ए० सी० जार्ज : माननीय सदस्य का कहना है कि भारतीय रुई निगम ने, जिसे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिये स्थापित किया गया था, समय पर एवं तत्परता से कार्यवाही नहीं की। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि निगम ने कल तक गुजरात में 3900 गांठें खरीद ली थीं और हम केवल गुजरात से 20,000 गांठें तुरन्त खरीदने वाले हैं। निगम ने अब तक देशी कपास को खरीदा है और अब तक 4.82 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। एक वाणिज्यिक निगम के लिए इतना बड़ा जोखिम लेना एक साधारण बात नहीं है क्योंकि मूल्य गिरने की स्थिति में उन्हें काफी घाटा भी उठाना पड़ सकता है। अतः यह कहना ठीक नहीं कि निगम ने तत्परता से कार्यवाही नहीं की। भण्डार सम्बन्धी पाबन्दियों में भी ढील दी जा रही है और इससे स्थिति में और भी सुधार हो जायेगा। इसके साथ ही हम वाणिज्यिक बैंकों से ऋण सुविधाएं देने के लिये भी अनुरोध कर रहे हैं।

यह ठीक है कि गत वर्ष की तुलना में मूल्य गिरे हैं। गत वर्ष असाधारण वर्ष था और किसानों को कुछ अधिक मूल्य मिला था। परन्तु सामान्य वर्ष में मूल्यों की जो स्थिति होती है वही इस वर्ष है। माननीय सदस्य ने कहा है कि इस वर्ष कपास का उत्पादन 66 लाख गांठें था परन्तु मेरे विचार में पहले का स्टाक मिलाकर कुल उत्पादन 60 लाख गांठों के लगभग होगा। मैं किसानों के कार्य की सराहना करता हूं कि उन्होंने देश की चुनौती को स्वीकार किया है। और इसीलिए वह आत्मनिर्भरता के लक्ष्य तक पहुंच सके हैं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि रुई निगम ने 6 दिसम्बर से लेकर 40,000 गांठें खरीदी हैं। मेरे विचार में यह कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है। यदि कोई व्यापारी ऋण सुविधाओं की बात करता है तो सरकार उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देती। परन्तु अब सरकार स्वयं महसूस करती है कि ऋण सुविधाओं के बिना वे कपास नहीं खरीद सकते।

मंत्री महोदय का कहना है कि उन्होंने निगम को 4 करोड़ रुपये की राशि दी है। परन्तु यदि इतनी राशि व्यापारियों को दी गई होती तो वे इससे 12 लाख रुपये की कपास खरीद सकते थे। जनवरी, 1971 के मूल्यों से प्रभावित होकर किसानों ने इतना अधिक उत्पादन किया था।

परन्तु अब उन्हें प्रस्तुत आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सरकार कम उत्पादन की आदी है। उत्पादन की प्रचुरता उसकी समस्या बन जाती है।

उत्पादक और अन्ततोगत्वा उपभोक्ता की सहायता करने के लिए सरकार को अपनी नीति स्थिर मूल्यों के आधार पर बनानी चाहिये। रुई निगम को बड़े पैमाने पर कपास खरीदनी चाहिए। वास्तव में रुई निगम के पास विशेषज्ञों की कमी है। अतः सरकार को कपास के सुप्रसिद्ध व्यापारियों को अपना एजेन्ट नियुक्त करना चाहिये ताकि वे उपभोक्ताओं को भी कपास सप्लाई कर सकें। क्या सरकार मेरे इस सुझाव को स्वीकार करेगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : रुई निगम सरकारी क्षेत्र का वाणिज्यिक निगम है और उसने मूल्यों में स्थिरता लाने के विचार से कपास खरीदी है। यह ठीक है कि 60 लाख गांठों के उत्पादन में से एक वाणिज्यिक निगम द्वारा केवल 40,000 गांठें खरीदा जाना पर्याप्त नहीं है। परन्तु माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि इस निगम के अतिरिक्त सामान्य व्यापार चल रहा है। सरकारी क्षेत्र का उद्देश्य मूल्यों में स्थिरता लाना है। वर्ष के आरम्भ में फसल का अनुमान लगाया गया था परन्तु बाद में जलवायु, वर्षा आदि कई कारणों से उत्पादन की स्थिति में सुधार हो गया था।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : वह भूल गये हैं कि उत्पादन लागत में भी वृद्धि हुई है।

श्री ए० सी० जार्ज : सरकार को इस स्थिति का पता है। हमने भण्डार सम्बन्धी सीमाओं में ढील दे दी है। हम ऋण सुविधाओं को भी बढ़ायेंगे। कपास खरीदने के लिए अधिक केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। किसानों की कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए हम हर सम्भव उपाय करेंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय जांच आयोग (प्रक्रिया) संशोधन नियम और अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : मैं, श्री रामनिवास मिर्धा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय जांच आयोग (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 198 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया. देखिए संख्या** एल० टी० 1512/72]

(2) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का वर्ष 1971 का 15वां संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1688 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) 15वां संशोधन विनियम,

1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक, 13 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1689 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 का वर्ष 1971 का छठा संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1792 में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद में संख्या निर्धारण) 5वां संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1793 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ) दूसरा संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1905 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) 18वां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1944 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) (17वां संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1945 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) 16वां संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1946 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) 16वां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1947 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1956 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) अखिल भारतीय सेवायें (संयुक्त संवर्ग) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 22 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 26 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) जी० एस० आर० 36 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा असम और मेघालय राज्यों के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक संयुक्त संवर्ग गठित किया गया है ।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) 19वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 37 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 37 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा असम और मेघालय राज्यों के लिए भारतीय पुलिस सेवा का एक संयुक्त संवर्ग गठित किया गया है।

(सोलह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 38 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) जी० एस० आर० 38 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक, 20 जनवरी 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक संयुक्य संवर्ग गठित किया गया है।

(अट्ठारह) जी० एस० आर० 39 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिए भारतीय पुलिस सेवा का एक संयुक्य संवर्ग गठित किया गया है।

(उन्नीस) जी० एस० आर० 40 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक संयुक्त संवर्ग गठित किया गया है।

(बीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 41 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 42 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 43 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 44 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 116 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 1513/72]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : मैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा 3 के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 444 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1514/72]

समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) भारत में समाचार पत्रों के सम्बन्ध में भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 1), 1971 की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 1515/72]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनर्हता, सेवा-निवृत्ति और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सदस्यों की (अनर्हता, सेवा-निवृत्ति और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 597 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 1516/72]

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र

RESIGNATION OF MEMBER

(श्री पी० सी० सेठी)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री पी० सी० सेठी ने, जो मध्य प्रदेश के इन्दौर निर्वाचन क्षेत्र से लोक-सभा के निर्वाचित सदस्य हैं, 22 मार्च, 1972 से लोक-सभा में अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

दसवां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

दूसरा प्रतिवेदन

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मैं याचिका समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

अध्ययन दल I का प्रतिवेदन

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : मैं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन दल I के फरवरी, 1972 के भोपाल, नागपुर, भिलाई, राउरकेला और कलकत्ता के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं।

सामान्य बजट, 1972-73 – सामान्य चर्चा–जारी
GENERAL BUDGET, 1972-73—GENERAL DISCUSSION—CONTD.

श्रीमती शीला कौल (लखनऊ) : सभा के लगभग सभी वर्गों द्वारा बजट का स्वागत किया गया है। देश की परिस्थितियों को देखते हुए मेरे विचार में इससे अधिक संतुलित बजट पेश नहीं किया जा सकता।

बजट पेश करते समय माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि मेरे विचार में मूल्यों में अधिक वृद्धि नहीं होगी। उनके विचार में प्रस्तावित करों से सामान्य मूल्य सूचकांक पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जहां तक इस्पात और अल्युमिनियम का सम्बन्ध है, यह देश के विकास में कच्चे माल के तौर पर प्रयोग होते हैं। अतः इस्पात के मूल्यों में मामूली वृद्धि का भी उद्योग के सभी पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। रेलवे बजट में मामूली मुनाफा दिखाया गया है परन्तु मेरे विचार में इस्पात पर कर लगाने से यह मुनाफा नहीं हो सकेगा क्योंकि रेलवे में इस्पात की सबसे अधिक खपत होती है।

अब मकान आदि बनाने में भी इस्पात का प्रयोग होने लगा है। अत: इससे साधारण व्यक्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा। अत: मैं चाहती हूँ कि इस प्रकार के साधारण व्यक्तियों के लिए इस बारे में कुछ सुरक्षोपाय किये जायें। मकान के किराये का सम्बन्ध सीधे मकान की लागत से होता है। अत: मकानों के किराये में भी वृद्धि होगी। अत: इससे सरकारी कर्मचारियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अत: सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते में वृद्धि की जानी चाहिए।

इस्पात पर कर लगने से बिजली की सभी वस्तुओं तथा इस्पात से बने कल-पुर्जों के मूल्यों में भी वृद्धि होगी। अत: मोटरगाड़ियों के मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी। छोटी कार साधारण व्यक्ति की पहुँच से बाहर हो जायेगी।

हमारे घरों में तांबे के बर्तनों के स्थान पर पहले ही अल्युमिनियम के बर्तन प्रयोग होने आरम्भ हो गये हैं : अत: अल्युमिनियम पर लगे कर से साधारण व्यक्ति पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। इस प्रकार औषधियों के मूल्य भी बढ़ जायेंगे क्योंकि औषधियाँ अल्युमिनियम के डिब्बों में पैक की जाती हैं।

वान्चू समिति ने लाटरी के इनामों पर कर लगाने की सिफारिश की थी। अत: मैं इस सुझाव का स्वागत करती हूं। परन्तु मेरा सुझाव है कि इसको कम करके 15 प्रतिशत कर दिया जाये।

मिट्टी के तेल पर जो कर लगाया गया है उससे गरीब व्यक्ति पर बहुत बोझ पड़ेगा। परन्तु इसके बावजूद हरिजनों तथा गरीबों की भलाई के लिए कुछ धन रखा गया है। इन सभी बातों को देखते हुए इसको संतुलित बजट ही कहा जा सकता है और इसके लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : इस बजट में पहले दिये गये आश्वासनों को भंग किया गया है। इसमें 'गरीबी हटाओ' तथा समाजवाद लाने वाली कोई बात नहीं है। यह स्थिरता का बजट है। यह ठीक है कि हमने बंगला देश में जो कार्य किया, उससे हमारे सम्मान में वृद्धि हुई है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम दिन-प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में वार्षिक आय में प्रति वर्ष 5.6 प्रतिशत की वृद्धि की आशा की गई थी। परन्तु 1969-70 में यह केवल 5.3 प्रतिशत थी और 1970-71 में 4.8 प्रतिशत। और मुझे आशा है कि 1971-72 में यह और भी कम होगी। अत: यह बात सिद्ध हो जाती है कि देश गरीब हो रहा है और विकास की गति धीमी हो रही है। यह ठीक है कि इस वर्ष के बजट में 332 करोड़ रुपये विकास के लिए रखे गये हैं परन्तु मेरे विचार में ऐसा करके पुरानी त्रुटियों को ही सुधारा गया है। अत: इसको एक बहुत बड़ी कार्यवाही नहीं समझा जाना चाहिए। यदि मूल्यों को बढ़ने से नहीं रोका जाता है तो यह सब बेकार होकर रह जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय मूल्यों को बढ़ने से रोकने में सफल हुए हैं ? 1969-70 में औसतन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1970-71 में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों के मूल्यों में 1969-70 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रश्न यह है कि मूल्यों में वृद्धि क्यों हो रही है। मेरे विचार में घाटे की अर्थ-व्यवस्था इसका एक बड़ा कारण है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से धन की सप्लाई में वृद्धि हुई है। अत: राष्ट्रीय विकास की अपेक्षा धन की सप्लाई बहुत अधिक थी। अत: मूल्यों में वृद्धि का एक यह भी कारण है। सरकार की गलत नीतियों के कारण हम दोनों में संतुलन उत्पन्न नहीं कर सके।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आश्वासन दिया है कि चालू वर्ष में मूल्यों को आम तौर पर स्थिर रखा जायेगा। परन्तु इसके लिए हमें चार बातों को ध्यान में रखना होगा। अवांछित व्यापारियों द्वारा बाजार में जोड़-तोड़, इस्पात तथा उर्वरक के कारखानों में बेकार पड़ी क्षमता, व्यापारिक क्षेत्र के पक्ष में ऋण नीति और अन्तिम बात है—घाटे की अर्थ-व्यवस्था। क्या मंत्री महोदय इन चारों बातों पर नियन्त्रण कर सकेंगे। जब तक इन चारों बातों पर नियन्त्रण नहीं किया जाता तब तक मूल्यों को स्थिर नहीं रखा सकता।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है उनको कुछ छूट दी गई है और इसलिए उन्होंने कुछ सुख की सांस ली है परन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि मिट्टी के तेल तथा उर्वरक पर शुल्क लगाने का क्या औचित्य है। पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र से 683 करोड़ रुपये वसूल किये गये थे। मुझे आशा थी कि इस बार वित्त मन्त्री मिट्टी के तेल तथा उर्वरक जैसी वस्तुओं पर कर नहीं लगायेंगे।

गत वर्ष ग्रामीण रोजगार के लिए 50 करोड़ रुपये रखे गये थे। परन्तु अब केवल 3 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को ही क्रियान्वित किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या कारण है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से ही लघु किसान विकास एजेन्सी सीमान्त किसान और कृषि मजदूर कार्य-क्रम के लिए 11 करोड़ रुपये रखे गये थे। परन्तु अब तक कुल 2 5 करोड़

रुपये ही खर्च किये गये हैं। 1971-72 में ग्रामीण निर्माण कार्य-क्रम के लिए 23 करोड़ रुपये रखे गये थे परन्तु अब तक कुल 9 करोड़ रुपये ही व्यय किये हैं। हमारे सामाजिक न्याय की ये उपलब्धियां हैं। सरकार मूल्यों को स्थिर करने तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति में बिल्कुल असफल रही है।

केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता की ओर भी मैं वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैंने सदा इस बात पर जोर दिया है कि सरकार को इस बारे में कोई नया फार्मूला बनाना चाहिए। प्रत्येक राज्य द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि ली जा रही है। वित्त मंत्री द्वारा यह कहना कि भविष्य में ऐसा नहीं होने दिया जायेगा, एक असम्भव-सी बात है। महाराष्ट्र जैसे राज्य ने भी ओवरड्राफ्ट सुविधा का अत्यधिक लाभ उठाया है। यह स्थिति उत्तर प्रदेश की है परन्तु आसाम और आंध्र की स्थिति में ऐसा नहीं है। अत: मेरा निवेदन अब यह है कि इस राशि को अब बट्टेखाते में डाल दिया जावे क्योंकि ये राज्य इसका भुगतान नहीं कर सकेंगे। परन्तु गैर-परियोजना व्यय की राशि को ही बट्टेखाते में डाला जाना चाहिए, समूची राशि को नहीं। अत: मेरा निवेदन यह है कि ओवर ड्राफ्ट के बारे में कोई दृढ़ नीति अपनाई जानी चाहिए।

श्री के० गोपाल (करूर) : इस बजट को पेश करने के लिए मैं सर्वप्रथम वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ।

लोग भारी कराधान की आशा कर रहे थे। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने केवल 185 करोड़ रुपये के कर ही लगाये हैं। फिर भी मेरे कुछ मित्र इसकी आलोचना कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यदि हमें देश का विकास करना है और प्रगति करनी है तो योजनाएं बनानी होंगी और योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है।

पिछली बार माननीय मंत्री ने मैंदा पर से कर वापस ले लिया था और मुझे विश्वास है कि वह अब भी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के तेल पर कर के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

समाजवाद लाने के लिए बजट में कोई प्रगतिशील उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे मुझे निराशा हुई है। हमारा देश कृषि पर निर्भर करता है और कृषकों की जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंक उनकी सहायता नहीं कर सके हैं। प्रत्येक गांव में बैंक की सेवा उपलब्ध नहीं है। अत: वहां पर बड़े पैमाने पर अब भी साहूकारी चल रही है। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूँगा कि इस बारे में कुछ उपाय किये जाएं।

अध्यक्ष महोदय : आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर चार मिनट पर म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० गोपाल अपना भाषण जारी रखेंगे।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में पूछताछ
RE CALL ATTENTION NOTICE (QUERY)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : इस सभा के पांच सदस्यों ने श्री नागरवाला की जेल में मृत्यु तथा पुलिस अधिकारी की दुर्घटना में मृत्यु के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना दी है । हमने इस बारे में कल सूचना दी थी परन्तु हमें इस बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह बात अध्यक्ष महोदय के साथ उनके चैम्बर में उठानी चाहिए।

सामान्य बजट, 1972-73, सामान्य चर्चा—जारी
GENERAL BUDGET, 1972-73, GENERAL DISCUSSION—Contd.

श्री के० गोपाल : मैं गांवों में साहूकारी के बारे में निवेदन कर रहा था । मेरा सुझाव है कि एक हजार रुपये के ऊपर के लेनदेन को रजिस्टर किया जाये । इससे सरकार को आयकर भी प्राप्त होगा ।

ऐसा अनुमान है कि देश में लगभग 1400 करोड़ रुपये का काला धन है । अत: मेरा सुझाव है कि ग्रामीण तथा शहरी सम्पत्ति और व्यक्तिगत आय की अत्यधिक सीमा निर्धारित कर दी जाये । आय में एक और दस से अधिक का अनुपात नहीं होना चाहिए ।

वाणिज्यिक संस्थानों की परिलब्धियों के निर्धारण के लिए प्रभावशाली व्यवस्था की जानी चाहिए ।

मैं अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों को दी जाने वाली शिक्षा सम्बन्धी रियायतों के विरोध में नही हूँ । वे उन्हें मिलती रहनी चाहियें । अन्य जातियों तथा अन्य व्यक्तियों को भी यह सुविधाएं मिलनी चाहियें । मेरा सुझाव है कि जो भी व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो उसे यह सुविधा मिलनी चाहिये ।

इसके अतिरिक्त अत्यावश्यक वस्तुओं, विशेषकर खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये ।

धान उगाने वालों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है । इसके साथ-साथ उपभोक्ता को भी इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है । सारा लाभ बिचौलिये ले रहे हैं । अतः मेरा सुझाव है कि सभी उपभोक्ता वस्तुओं तथा अनाज के वितरण का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ।

यह कहा जाता रहा है कि एकाधिकार को दुरुत्साहित किया जाना चाहिए । परन्तु हम देख रहे हैं कि एकाधिकारपतियों की गतिविधियों को कम नहीं किया गया है।

तम्बाकू का व्यापार विदेशियों के हाथों में है । तम्बाकू को पांच वर्गों में बांटा गया है। कोई निर्माता उपभोक्ता को उचित मूल्य पर सिग्रेट नहीं बेच रहा है । वित्तमंत्री को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि सिग्रेट निर्माता सिग्रेट का जितना उत्पादन करें उसका 50 प्रतिशत भाग 25 और 20 पैसे वाली सिग्रेट का होना चाहिए ।

तमिलनाडु में माचिस उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस उद्योग में एक लाख से अधिक लोग काम करते हैं। 1968 से बैंड रोलिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। परन्तु अब भी कर अपवंचन हो रहा है। मेरा सुझाव है कि इस प्रणाली को पुनः चालू कर दिया जाये अथवा पत्ती और तीलियों पर उत्पादन शुल्क लगाया जाना चाहिए। क्लोराइड पर भी कर लगाया जा सकता है। लघु उद्योग भी तमिलनाडु में बन्द होते जा रहे हैं। इस बारे में मंत्री महोदय को कोई ठोस प्रस्ताव रखने चाहिए अन्यथा एक लाख से अधिक व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे।

श्री मनोहरन ने अपने भाषण में बंगला देश का उल्लेख किया था। हालांकि उनको अपने भाषण को बजट तक ही सीमित रखना चाहिए था। राजामन्नार समिति में अभी विधान सभा में भी चर्चा नहीं हुई है। एक अन्य समिति इस समिति के प्रतिवेदन के ब्यौरे के अध्ययन के लिए नियुक्त की गई है। अतः मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य ने उक्त समिति के प्रतिवेदन का यहां पर उल्लेख किन कारणों से किया है। जहां तक राज्यों को अधिक शक्तियां देने का प्रश्न है, सभी राज्यों के मुख्य मंत्री बैठ कर इसपर चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : युद्ध और चुनावों के पश्चात् यह ऐसा प्रथम बजट है जिसके बारे में शंका की गई थी कि इसमें या तो बहुत अधिक कर लगाये जायेंगे या बहुत घाटे की अर्थ-व्यवस्था होगी। परन्तु इस बजट से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस बजट में अर्थ-व्यवस्था बहुत अधिक घाटे की नहीं है। लेकिन घाटे की जो यह अर्थ-व्यवस्था बहुत सीमा तक कम की गई है, यह सब लेखों की हेराफेरी करके की गई है। आगे आने वाले समय में यह घाटे की अर्थ-व्यवस्था बढ़ जायेगी जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी तथा मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी। लोगों का जीवन स्तर भी नीचे गिरता जायेगा। ऐसी स्थिति में सरकार के विकासेतर खर्च में वृद्धि होगी क्योंकि इस खर्च में 1950-51 से लगातार वृद्धि हो रही है।

इस बजट से अधिक आय जुटाने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। गत वर्षों के दौरान वृद्धि दर की प्रवृत्ति बहुत आश्चर्यजनक है। देश में वर्ष 1969-70 में उत्पादन दर 6·8 प्रतिशत थी और यह 1970-71 में घटकर 3·7 प्रतिशत रह गई, जो वर्ष 1970 के आरम्भिक महीनों में तो 3 प्रतिशत ही थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक आय और सम्पदा जुटाने की प्रक्रिया में कोई तेजी नहीं आयेगी।

बेरोजगारों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। अतः आय में वृद्धि न होने और उत्पादन की दर कम होने का कारण उत्पादन में कम प्रयुक्त और अप्रयुक्त क्षमता है, जो अत्यन्त अधिक है। इस कारण का उल्लेख आर्थिक समीक्षा में भी किया गया है। कारखाने और सूती कपड़ा मिलें बन्द होती जा रही हैं। एक ओर तो गरीबी हटाओ और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर पैदा करने की बात की जाती है जबकि दूसरी ओर रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है यहां तक कि औद्योगिक क्षमता भी अप्रयुक्त पड़ी हुई है। इस समस्या का भी समाधान किया जाना चाहिए।

सूती कपड़ा मिलों के बन्द होने के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि वित्त मंत्रालय तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय में कोई समन्वय नहीं है और न ही राज्य स्तर पर विभागों में कोई समन्वय है। मिल अथवा कारखाना बन्द हो जाता है और सरकार उसे अपने अधिकार में लेने के लिए सक्षम

होते हुए भी उसे अपने अधिकार में नहीं ले सकती, जिसके परिणाम-स्वरूप अनेक श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सूती कपड़ा उद्योग में 81 सूती कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं जिसके परिणामस्वरूप 81,000 सूती कपड़ा मिल कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं। हमें इस समस्या के मूल कारणों का पता लगाना चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपाय करने चाहिएं ताकि इस समस्या का पूर्णरूप से समाधान हो सके जिससे मिल मालिकों को होने वाला मुनाफा अधिक न होने पाये। परन्तु सरकार ऐसी मिलों को अपने हाथ में लेकर उन पर रुपया व्यय करती है, उनमें सुव्यवस्था उत्पन्न करती है और फिर उनके मालिकों को लौटा देती है। जब तक मिल मालिकों का यह षड्यन्त्र चलता रहेगा, सरकार बेरोजगारी की समस्या को पूरी तरह से सम्भाल नहीं सकती।

करों सम्बन्धी समूची योजना पर दृष्टि डाली जाये तो पता लगेगा कि जैसे पहले होता आया है, हमारे समाज के धनी वर्गों—शहरी एवं ग्रामीण धनी लोगों को पूर्णतया करों के बोझ से छोड़ दिया गया है। सरकार सदा धनिकों के हितों की रक्षा करती आई है। इसी कारणवश सरकार कृषकों पर कर नहीं लगाती।

निस्सन्देह कृषि के क्षेत्र में कुछ कर लगाये गये हैं। परन्तु ये कर गलत वस्तुओं पर लगाये गये हैं। उर्वरकों पर शुल्क बढ़ाकर लगाया गया है। शक्ति-चालित पम्पों पर भी शुल्क में वृद्धि की गई है। किन्तु इन करों का भार पड़ेगा किस पर? उर्वरकों पर शुल्क में वृद्धि करने से छोटे किसानों पर भार पड़ेगा। शक्ति-चालित पम्पों पर शुल्क बढ़ाने से भी छोटे किसानों पर भार पड़ेगा और हानि होगी। इससे धनी किसानों और छोटे किसानों के बीच खाई चौड़ी होगी। अतः भूमिविहीन मजदूरों और छोटे किसानों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

आत्मनिर्भरता के बारे में भी बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बातें हुई हैं। देश में आत्मनिर्भर अर्थ-व्यवस्था होनी चाहिए। बाहर से सहायता नहीं लेनी चाहिए। इस तथ्य का अनुभव हमें हाल के भारत-पाक युद्ध के दौरान हुआ है कि हमारी अपनी अर्थ-व्यवस्था आत्मनिर्भर होनी चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार केवल अपने आप को ही धोखा दे रही है। वर्ष 1968 से 1971 तक के आंकड़ों को देखा जाये तो पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमरीका और रूस से जो सहायता प्राप्त होती है वह लगभग एक समान ही है। हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था को नया रूप देना चाहिए जिससे हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। हम इसके लिए विदेशी शक्तियों पर निर्भर नहीं रह सकते। देश में वामपंथी परिस्थितियों के बढ़ने से निजी पूंजी का ह्रास हो रहा है। अतः हमें विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने पर जोर देना चाहिए। इसका अर्थ सरकारी क्षेत्र में न केवल स्थिरता लाना होगा, अपितु सरकारी क्षेत्र का वास्तविक विस्तार करना भी होगा। परन्तु जहां सरकारी क्षेत्र का विस्तार करने की तुरन्त आवश्यकता है वहां इस क्षेत्र में इतना लाभ नहीं होता जितना गैर-सरकारी क्षेत्र में होता है। इसका मुख्य कारण है कम उत्पादन और क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं करना, जिसका मुख्य कारण है कच्ची सामग्री का समान रूप से वितरण न किया जाना।

जहां तक कर अपवंचन और काले धन का सम्बन्ध है, वांचू समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रतिवेदन में काले धन और कर अपवंचन की समस्या की गहराइयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन में बताया गया है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था के मुकाबले में काले धन की अर्थव्यवस्था भी साथ-साथ चल रही है और इस अर्थव्यवस्था को जब तक पूर्णतया

समाप्त नहीं किया जायेगा, तब तक हमारे लिए अपनी अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाले खतरे से छुटकारा मिलना कठिन है।

सरकार सदा ठोस उपायों के बारे में बातें करती है, किन्तु क्या सरकार ने शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने, भूमि की अधिकतम सीमा कम करने, और एक नये युक्तिसंगत आधार पर भूमि के पुनर्वितरण करने के लिए कोई कारगर उपाय किए हैं ? जब तक इन समस्याओं को नहीं सुलझाया जायेगा तब तक वास्तविक संसाधन नहीं जुटाये जा सकते।

जब कभी भी बड़े-बड़े किसानों पर लगाये जाने वाले आयकर के प्रश्न को उठाया गया, तब हमें बताया गया कि यह मामला तो राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। अतः सरकार से अनुरोध है कि राज्य केन्द्र सम्बन्धों का ढांचा पुनः तैयार किया जाना चाहिए और कराधान केन्द्र के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए तथा किसानों पर लगाये गये आयकर सहित आयकर वसूल करने के बाद केन्द्र द्वारा वसूल किए गए करों का एक निश्चित भाग राज्यों को विकास-कार्यों के लिए दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो हमारी आर्थिक नीतियों में विद्यमान अनेक प्रकार की त्रुटियां दूर की जा सकती हैं।

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : चुनावों में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करने के पश्चात् पश्चिम बंगाल और भारत की जनता उज्ज्वल भविष्य की आशा करती है, किन्तु 1971-72 के आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसा प्रतीत नहीं होता। आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित सुविधाएं देशभर में विशेषकर पिछड़े हुए क्षेत्रों में समानरूप से नहीं दी गई हैं।

पश्चिम बंगाल में श्रमिक विवादों और वित्तीय संकट के अतिरिक्त कच्चे माल और बिजली की सप्लाई में कमी होने के फलस्वरूप सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन को क्षति पहुंची है। पश्चिम बंगाल के संकटग्रस्त और बन्द पड़े उद्योगों को दुबारा चालू करने के लिए सरकार ने एक वित्तीय संस्थान की स्थापना की है किन्तु यह सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रहा है। यह संस्थान संकटग्रस्त और बन्द पड़े उद्योगों की अपेक्षा मध्यम और बड़े उद्योगों की सहायता कर रहा है। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों को वित्तीय संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर वहां बिजली की सप्लाई की बहुत कमी है और ग्राम विद्युतीकरण योजना की प्रगति बहुत धीमी है। इसका सीधा प्रभाव कृषि उत्पादनों, ग्राम एवं पिछड़े क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों पर पड़ता है। अतः पश्चिम बंगाल में गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए और अधिक धन नियत किया जाना चाहिए।

सरकार ने समस्त देश में कुछ क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित किए हैं और इस प्रयोजन के लिए सरकार ने पिछले बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी, किन्तु पश्चिम बंगाल के जिलों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों में कोई उद्योग भी स्थापित नहीं हुआ है। अतः सरकार को पिछड़े हुए जिलों में लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित करने चाहिएं। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनानी चाहिए कि सरकारी क्षेत्र में सभी उद्योग अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करते हैं।

देश में उर्वरकों की बहुत मांग है। किन्तु कृषकों को, विशेषकर, पश्चिम बंगाल में, यह उपलब्ध नहीं होता। बाजार में बहुत अधिक मूल्य पर उपलब्ध होता है। इससे किसानों की उत्पादन

लागत बढ़ जाती है। इसलिए कृषकों को उर्वरक नियंत्रित मूल्य पर मिलना चाहिए जिससे कृषि उत्पादनों में वृद्धि हो सके। बाजार में प्रत्येक आवश्यक वस्तु के मूल्य बढ़ रहे हैं और सरकार इस बारे में असफल रही है। परन्तु भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्नों के मूल्यों को गिराया है और उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न उपलब्ध हैं।

गत वर्ष के बजट में ग्रामीण रोजगार के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर एक द्रुत कार्यक्रम का आयोजन किया था। परन्तु समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार केवल 3 या 4 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस दोष के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दण्ड दिया जाना चाहिए।

समाज कल्याण के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष नियत राशि बढ़ाकर 240 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए नियत की गई धन राशि इसी उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। परन्तु आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए निर्धारित की गई राशि का उपयोग कदाचित् उनके हितों के लिए नहीं किया जाता है। आदिवासियों के अनेक गांवों में पीने के पानी की भी ठीक व्यवस्था नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में संचार के साधन भी नहीं हैं। यहां तक कि प्रारम्भिक स्कूलों और अस्पतालों तक में भी यह व्यवस्था नहीं है। शिक्षित आदिवासियों को छूतछात के कारण नौकरियां भी नहीं दी जाती हैं। इन सभी बातों के कारण पश्चिम बंगाल के लोगों में बहुत असन्तोष और कुण्ठा है, जिसके फलस्वरूप वहां नक्सलवादी आन्दोलन को सम्बल मिला है। यह नक्सलवादी आन्दोलन केवल आदिवासियों तक में ही सीमित है। अब चाहे इस आन्दोलन को कुछ समय के लिए दबा दिया गया है, परन्तु यह फिर उभरेगा। इसलिए इन सब समस्याओं पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। अतः सरकार को समस्त देश में आदिवासी लोगों की समस्याओं का अध्ययन करने तथा इनका समाधान करने का सुझाव देने के लिए एक आयोग की स्थापना करनी चाहिए।

वस्तुओं में मिलावट को रोकने के लिए यदि सरकार निस्सहाय है, तो इसे वर्तमान कानूनों में संशोधन करना चाहिए ताकि देश में इस बुराई को रोका जा सके।

मिट्टी के तेल पर जो शुल्क लगाया गया है वह अत्यन्त अनुचित है। इससे साधारण जनता पर भार पड़ा है। अतः मिट्टी के तेल पर से शुल्क हटाया जाना चाहिए।

उर्वरकों और पम्पिंग सेटों पर कर लगाने के सम्बन्ध में यह बात तो ठीक है कि बड़े किसान भी हैं जो इस भार को उठा सकते हैं। परन्तु छोटे और मध्यम श्रेणी के किसान तो इस भार से पूर्ण रूप से दब जायेंगे क्योंकि इससे इन्हें कृषि के लिए अच्छे तकनीक अथवा आधुनिक तकनीक उपयोग करने का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अतः इन करों को हटाया जाना चाहिए। यदि कृषि सम्बन्धी कोई कर लगाया जाए तो यह बड़े किसानों पर लगाया जाना चाहिए।

गत बजट में, जब बंगला देश की समस्या उत्पन्न हुई थी, अनेक प्रकार के नये कर लगाये गये थे। इन नये करों को लगाते समय यह आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही शरणार्थी अपने देश वापस चले जायेंगे, तभी ये कर वापस ले लिए जायेंगे। अब सब शरणार्थी बंगला देश वापस चले गये हैं। अब ये कर हटा लेने चाहिएं।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट पहले बजटों जैसा ही है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट सम्बन्धी भाषण में बंगला देश का उल्लेख किया है। और वस्तुतः

इस बजट पर बंगला देश की छाया है क्योंकि बंगला देश के अस्तित्व ने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, और लोकतन्त्र में हमारी निष्ठा को नई दिशा प्रदान की है।

जहां तक केन्द्रीय निधि का सम्बन्ध है, मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे राज्य को पर्याप्त धन नहीं मिल रहा है। अपितु हमें इतना अधिक धन मिल रहा है कि हम उसका पूर्णरूपेण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

हम कश्मीर में लोकतन्त्र के लिए 1947 से ही वचनबद्ध हैं। परन्तु खेद का विषय है कि गत 25 वर्षों में समाजवाद और लोकतन्त्र के प्रति निष्ठा होने के कारण कश्मीर को कोई लाभ नहीं हुआ है। मुख्य मंत्री महोदय ने अभी हाल ही में एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार कश्मीर में चुनाव बहुत निष्पक्ष रूप से हुए हैं। मेरे मतानुसार इसका यह तात्पर्य है कि इससे पूर्व जो चुनाव हुए हैं, वे बिल्कुल निष्पक्ष नहीं होते थे। लोकतन्त्र के प्रति हमारी निष्ठा इतनी घनिष्ठ है कि हमारी सेना पाकिस्तान के साथ हर प्रकार का खतरा लेने के लिए तैयार है। परन्तु यहां कश्मीर के चुनावों में हमेशा गड़बड़ी होती रही है। अब इस बार भी यही बात दोहराई गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : चुनावों का बजट के साथ क्या सम्बन्ध है? हो सकता है आपके विचारों में चुनाव बजट से अधिक महत्त्वपूर्ण हो, परन्तु इनका बजट से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपसे सहमत हूँ कि इस भाषण का बजट से संबंध होना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य से यहां ऐसा नहीं माना जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक यह मामला मेरे अधिकारों के अन्तर्गत आता है, मैं इस बात की सहमति नहीं दे सकता।

श्री एस० ए० शमीम : कश्मीर के लिए बजट में जितने धन की जो व्यवस्था की गई है वह पूर्णरूप से उपयोग में नहीं लाया जाता। इससे पहले भी कश्मीर के लिए नियत धन पूरा खर्च नहीं किया गया है। मैं भारत सरकार और प्रधान मन्त्री से पूरी तरह से सहमत हूं कि किसी भी विदेशी शक्ति को कश्मीर में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। परन्तु जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, वह राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं है।

राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करने के सम्बन्ध में मैं कश्मीर के लोगों की स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि इस बारे में यह कहा गया है कि वहां पृथक्तावादी मनोवृत्ति उभर रही है। कश्मीर की जनता के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। मैं अकेले शेख अब्दुल्ला के लिए प्रजातन्त्र की मांग नहीं करता हूँ, यद्यपि भारतीय संविधान के अनुसार उन्हें भी चुनाव लड़ने का अधिकार है।

आपने बंगला देश को मुक्त कराया। मेरा दावा है कि कश्मीर में मेरे देश के हितों के विरुद्ध करदाताओं के पैसे का उपयोग किया जा रहा है। यह कहा गया है कि वहां चुनाव कराये गये हैं और वहां 60 प्रतिशत मतदान हुआ है। पहले कश्मीर में ही चुनावों में अनियमिततायें होती थीं। अब पश्चिम बंगाल और बिहार में भी ऐसा हो रहा है।

शेख अब्दुल्ला ने स्पष्ट कहा है कि वह कश्मीर को भारत में लाये हैं। जब सरकार नागा तथा नक्सलवादियों के साथ बातचीत करने को तैयार है, तो वह अब्दुल्ला के साथ बातचीत करने को तैयार क्यों नहीं है?

मेरा विरोध यह है कि उन्होंने समूचे धन को पहले जाया कर दिया क्योंकि हमने कश्मीर में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के लिए वादा किया था। एक ही देश में दोहरी बातें क्यों की जा रही हैं। वे लोग कौन हैं जो कश्मीर को अभिन्न अंग नहीं मानते हैं ? कश्मीर के युवा वर्ग के लिए यह गौरव की बात है कि भारत प्रजातान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। परन्तु देश के इस भाग में प्रजातंत्र कहां है ?

जब तक कश्मीर में प्रजातंत्र की स्थापना नहीं की जाती तब तक सरकार को बंगला देश के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।

Shri B. P. Maurya (Hapur) : A strong centre is inevitable.

An hon. Member of DMK has said that States should also be strong for a strong centre. This is a contradictory plea.

History shows that whenever centre has been weakened, the country has been enslaved. This history should not be repeated.

Tanation worth Rs. 183 crores have been imposed in such a way that inspite of a burden, it is not felt as a burden.

However. our plans have contributed much in villages and we have achieved self-reliance in foodgrains, but villages are still not electrified and Kerosene is the only source of light in villages. The duty on Kerosene does not seem justifiable.

Imposition of taxes on kerosene, fertilizers and pumping-sets is a very heavy burden on small peasants. If agricultural industry is left undeveloped, the whole country cannot develop. To-day landlords in villages commit atrocities on agricultural labour. This disparity in villages must be removed.

A sum of Rs. 125 crores has been kept for social service. Stringent measures should be taken to spend this money itemwise so that help can be extended to the agricultural labour in remote villages.

Famous artists and big industrialists have started converting their black-money into white money in the name of agriculture. If restriction is imposed on big farmers, the black money cannot be made white money.

The amount earmarked for compulsory and free primary education should be increased.

There has been a decrease from 28 to 30 per cent in the rate of the children's education of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If education is imparted to them, I believe, the country will develop in all respects.

Levy on Kerosene, fertilizer and pumping-set should be withdrawn. We want to bring about controlled economy in the country for achieving socialism. For this ceiling cn property will have to be imposed.

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : वित्त मन्त्री ने बजट में व्यक्तिगत आय कर की

दर नहीं बढ़ाई है। वर्ष 1972-73 के बजट में घाटे को सीमित करते हुए केवल 375 करोड़ रुपये दिखाया है।

वित्त मंत्री ने विकास और समाज कल्याण की दर को बढ़ाने के लिए बजट के प्रस्तावों में केन्द्रीय योजनाओं के लिए वर्ष 1971-72 की तुलना में 1972-73 के लिए 332 करोड़ रुपये की अधिक राशि की व्यवस्था की है।

अगले वर्ष योजना के लिए केन्द्र राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 3973 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। निवेश में इस भारी वृद्धि से औद्योगिक मंदी निश्चय ही दूर होगी तथा आर्थिक विकास दर को प्रोत्साहन मिलेगा।

1969 में निवेश दर 7.1 प्रतिशत थी जो पिछले वर्षों में कम होती रही परन्तु इस दर की उस दर से तुलना नहीं की जा सकती जो चौथी योजना में प्रतिवर्ष 8-9 प्रतिशत रही।

गत कई वर्षों का हमारा अनुभव है कि सरकारी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि से गैर-सरकारी क्षेत्र में भी सुधार होता है। योजना परिव्यय में सरकारी क्षेत्र में 710 करोड़ रुपये की वृद्धि से गैर-सरकारी क्षेत्र में निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो योजनायें आरम्भ की गई हैं वे फलदायक सिद्ध नहीं होंगी। वित्त मंत्री जानते हैं कि परियोजनाओं का उचित ढंग से चयन किया जाना चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त गति से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

विकास दर में वृद्धि करने के लिए तीन बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। सर्व-प्रथम, कच्चा माल काफी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। हमने इस्पात उद्योग में लघु इस्पात संयंत्रों को लाइसेंस दिए हैं तथा लाइसेंस नीति को उदार बनाया है। उनके लिए इस्पात संयंत्रों को कच्चे माल की सप्लाई की जानी चाहिए। दूसरे लाइसेंस-नीति को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए जिससे औद्योगिक प्रयास का विस्तार किया जा सके।

तीसरा पहलू यह है कि निवेश व्यय योजना के अनुसार होना चाहिए। वर्ष 1171-72 में भी कुल व्यय योजना के अनुसार नहीं होगा। परन्तु वित्त मंत्री को इस आवश्यकता का पता है। जिन मंत्रालयों के अधीन परियोजनायें हैं उन्हें निवेश दर को राष्ट्रीय आय के 11 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए।

गांवों में पेय जल की सप्लाई के लिए 112 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का कल्याण होगा।

बजट का तीसरा पहलू आर्थिक आत्मनिर्भरता है। वित्त मंत्री को सभी कठिनाइयों का पता है और उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि आयात कम करके और निर्यात बढ़ा कर आत्म-निर्भरता बढ़ाने के लिए प्रयास किये जायेंगे।

कुल ऋण में संचयी वृत्ति के बावजूद इस वर्ष हमारी निर्भरता 328 करोड़ रुपये है जबकि वर्ष 1967-68 में यह निर्भरता 863 करोड़ रुपये थी।

मूल्य स्तर के बारे में संदेह व्यक्त किए गए हैं। विकट परिस्थितियों के बावजूद गत वर्ष मूल्य 3.9 प्रतिशत बढ़े। हम स्थिर मूल्य स्तर चाहते हैं। मूल्य पर नियंत्रण करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। यदि उत्पादन बढ़ेगा तो कोई कारण नहीं कि मूल्य स्तर दो-तीन प्रतिशत तक रहें।

उर्वरकों तथा मिट्टी के तेल पर कर लगाया गया है। बहुधा बड़े किसान उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। छोटे किसान सरकारी समितियों से उर्वरक उधार लेकर बड़े किसानों को कम कीमत पर बेच देते हैं। इससे छोटे किसान ऐसा नहीं कर पायेंगे।

गांवों में विशेष कर जो पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, वहां लोग रोशनी तथा ईंधन के लिए मिट्टी के तेल को काम में लाते हैं। वित्त मन्त्री को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

श्री एम० एम० जोजफ (पीरमाडे) : वित्त मन्त्री कहते हैं कि इस बजट से विकास तथा सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा परन्तु वास्तव में हमें क्या मिलता है ?

सर्वसाधारण की आवश्यक वस्तुएं-मिट्टी का तेल, जो रोशनी तथा ईंधन के काम आता है पर कर लगा दिया गया है। इसी प्रकार उर्वरक तथा पम्पों पर कर लगाया गया है जो कृषि-क्रांति में बाधक होगा। इन मदों पर लगाये गये करों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए।

पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए जो छूट दी गई है, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ, परन्तु मेरी मांग है कि सरकार को उन करोड़ों लोगों के बारे में विचार करना है जो आर्थिक दृष्टि से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों से कहीं बदतर हैं। तथाकथित ब्राह्मण, नायर और महाराज दिन-प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि किसी धर्म अथवा समुदाय के आधार पर नहीं परन्तु आर्थिक आधार पर आरक्षण रखे जाने चाहिए।

गत वर्ष मैंने नारियल बोर्ड की स्थापना के लिए अनुरोध किया था। केरल में नारियल की फसल कम होती जा रही है। इलायची तथा काली मिर्च जैसी नकद फसलों की भी ऐसी ही हालत है। केन्द्र को विदेशी मुद्रा का 30 प्रतिशत से अधिक भाग केरल की इन नकद फसलों के निर्यात से मिलता है। हमारे राज्य में बागान-उद्योग का विकास किया जाना चाहिए।

केरल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि समुद्री कटाव के कारण प्रत्येक मानसून में वहां हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। केरल सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है। केन्द्रीय सरकार को तट पर स्थायी बांध बनाकर इस समस्या को हल करना चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए केन्द्र रुचि ले रहा है। केरल राज्य में सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगार हैं, अत: उस राज्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : अतिरिक्त निवेश के माध्यम से विकास को बनाये रखने के लिए जो कर लगाये गए हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ।

बजट की कई विशेषताएं हैं जैसे—ग्रामीण जल सप्लाई के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था, शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजनायें, छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए बजट सम्बन्धी व्यवस्था में वृद्धि, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए लगभग 72 करोड़ रुपये की व्यवस्था आदि ।

बिहार में दो-तरफा अर्थ-व्यवस्था है । एक तरफ उद्योग धन्धे हैं तो दूसरी तरफ आंसू । दुगडा में हिन्दुस्तान स्टील की वाशरी है । बिहार में और भी कई उद्योग हैं । परन्तु दुगडा में जिन लोगों की जमीन अधिगृहीत की गई थी, उन्हें रोजगार नहीं दिया गया है । वहां 750 झोंपड़ियां बिना मरम्मत के पड़ी हुई हैं । वहां 350 मछुए हैं । प्रत्येक झोंपड़ी में 150 व्यक्तियों के पीछे एक व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रस्त है । क्या हमने इन 20 वर्षों तक जो योजना बनाई वह गलत थी ? यदि हां, तो किन-किन बातों में ?

राष्ट्रीय नमू ा सर्वेक्षण द्वारा दिये गए आंकड़े सही नहीं हैं । कई मदों के बारे में हमें मूल आंकड़े नहीं मिले हैं ।

छोटा नागपुर में बहुत लोग बेरोजगार हैं । लेकिन श्रीभगवती के अधीन स्थापित समिति का क्या बना ? इस समिति ने अगले २ वर्ष में 2000 करोड़ रुपये लगाने की सिफारिश की थी । इस हेतु बजट में जो प्रावधान किया गया है, वह इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बहुत कम है ।

अभी हाल में 17 जिले अतिरिक्त कपास के उत्पादन हेतु चुने गये । अभी हम इसके आयात के लिए 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं । छोटा नागपुर को, जो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्यों इस हेतु नहीं चुना गया ? छोटा नागपुर में साल में एक ही फसल बीजी जाती है और प्रति एकड़ आय 50 रुपये से अधिक नहीं होती । वहां गरीबी का अन्त नहीं है । इन क्षेत्रों की प्रति एकड़ आय को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किये जाने चाहिए ताकि वहां के लोगों की आर्थिक दशा में सुधार हो सके ।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari in the Chair]

Shri Bhogendra Jha (Jainagas) : We are disappointed after going through the budget thorougly. Much importance is being attached to industril growth for the last few years. The industrialists have been demanding exemption from income tax for speeding up the industrial production. The fact is that the purchasing capacity of the public is diminishing. We observed plan holiday for four years at the instance of world bank and the capitalists wree fully encouraged to speed up the industrial production. Our capitalists adopted anti-national policy. They produced less and sold the same on higher profits. They have been set free for looting the common man. The entire industrial credit, instead of helping the common man and small industrialists, has also become the monopoly of capitalists,

This Government cannot bring socialism. It can at least restrict the financial help by the banking institutions to the big capitalists. They should run the business with their owu money. The Government should take back the money advanced to the capitalists by various banks. This step of the Government will certainly bring down the prices.

This budget is an indicator of heavy taxation. This budget has diminished the purchasing capacity of the people which is hampering the industrialisation of the country. This budget may block the development of the country.

The term 'social justice' is being misused. Forth Five Year Plan provided Rs. 106 crores for small farmers, marginal farmers and agricultural labourers. Ten per cent of this plan provision has not been utilised even after half the period of plan is over. This shows as to how the Government is rendering the social service. Similarly the funds earmarked for educated and uneducated unemployed were not utilised.

This budget is not in the interest of the masses. There is hardly any difference between the budget of Shri Chavan and Morarji Desai.

It will be in the interest of the nation if the foreign banks, general insurance, oil industry and whole-sale trade in nationalised.

श्री राजाराम शास्त्री (वाराणसी) : सामाजिक सिद्धान्तों पर मैं बजट का स्वागत करता हूँ । एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा है कि सामाजिक सुधार विकास योजनाओं का एक अभिन्न अंग होना चाहिए तथा उत्पादन और विकास की गति को तेज करने के लिए अधिकाधिक समानता इसकी पहली शर्त है । यह एक महत्त्वपूर्ण सलाह है । वित्त मंत्री के बजट भाषण में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है । वित्त मंत्री ने कहा है कि "जिन योजनाओं में समाज कल्याण के साथ-साथ भविष्य में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का उद्देश्य होता है उनके लिए अधिकाधिक धन की व्यवस्था की जा रही है ।" यह पहला अवसर है जब हमें अपने आर्थिक इतिहास में यह बात देखने को मिली है कि सामाजिक मूल्यों को भी बजट में शामिल किया गया है तथा उन्हें आर्थिक प्रगति का एक अभिन्न अंग समझा गया है ।

श्रम शक्ति ही हमारी सम्पत्ति है । यही कारण है कि अपनी विकासशील अर्थव्यवस्था में हमें अपनी श्रम शक्ति को प्रोत्साहित करना है । इसी कारण निहित स्वार्थ वाले लोग इस बजट से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि उन्हें वे चीजें प्राप्त नहीं हो रही हैं, जिनकी उन्हें आवश्यकता है । वास्तविक समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए पहली बात यह है कि बच्चों की ओर ध्यान दिया जाये । इस बजट में बच्चों के लिए बहुत कुछ व्यवस्था की गई है । लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है । बच्चों के कल्याणार्थ थोड़ा बहुत और भी करना है ।

अर्थ-व्यवस्था का ढांचा सामाजिक उद्देश्यों से परिपूर्ण होना चाहिए । केवल इसी प्रक्रिया द्वारा ही विकास किया जा सकता है । उदाहरण के लिए जब कोई बांध बनाया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वहां काम कर रहे लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा या यदि उनके साथ भेदभाव होता भी है, तो यह गरीब लोगों तथा स्थानीय लोगों के पक्ष में हो । इन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि केवल तभी हम कह सकते हैं कि हमने सामाजिक मूल्यों को वास्तविक रूप से आर्थिक ढांचे में या आर्थिक प्रगति में स्थान दिया है । यद्यपि ये सभी बातें बजट में मौजूद हैं, तथापि वे स्पष्ट नहीं हैं । उन्हें और अधिक स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

वाराणसी में धातु तार उद्योग जो एक लघु पैमाने का उद्योग है, पनप रहा है । इस पर पहले ही भारी कर लगाये हुए हैं । धातु धागे पर और अधिक उत्पादन शुल्क लगाने से यह उद्योग

बंद हो जाएगा जिससे भारी नुकसान होगा। बहुत से लोग बेरोजगार हो जायेंगे तथा तस्करी को प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त मंत्री वाराणसी गए और उन्होंने इस लघु पैमाने के उद्योग में कार्य कर रहे लोगों की दशा को देखा है। इन लोगों के भार को कम करने तथा उन्हें कुछ राहत देने के लिए वित्त मंत्री को कुछ करना चाहिए।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई—मध्य-दक्षिण) : वित्त मंत्री, प्रधान मंत्री तथा मन्त्री परिषद् ने जो बजट पेश किया है वह हमारे इतिहास में एक अन्य महत्त्वपूर्ण विजय है। पिछले बजट के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थी हमारे देश में आए, हमने एक युद्ध भी लड़ा और सारे देश में चुनाव भी कराए। यद्यपि वित्त मंत्री महोदय ने कुछ अतिरिक्त कर लगाए हैं, फिर भी समूचे बजट को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि बजट संतोषजनक है तथा देश भर में इसका स्वागत किया गया है।

नगरों में गन्दी बस्तियां हैं। इन गन्दी बस्तियों का कारण यह है कि लोग रोजगार के लिए बड़ी संख्या में ग्रामों से नगरों में आते रहते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए हमें इसके मूल कारण को जानना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि गांवों तथा छोटे कस्बों से लोगों का आना बन्द हो जाये।

बम्बई में जो गन्दी बस्तियां हैं, वहां लोग बहुत दयनीय दशा में रहते हैं। यदि हम गन्दी बस्तियों को साफ नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करके तथा उन्हें न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करके उन बस्तियों को रहने लायक तो बना सकते हैं। उन बस्तियों में पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा सफाई का उचित प्रबन्ध होना चाहिए। जब गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए योजनायें आरम्भ की जायें तो नगरों तथा उचित स्थानों के लिए राशि नियत की जानी चाहिए ताकि वह राशि अन्यत्र न खर्च करके बम्बई, कलकत्ता अथवा दिल्ली की गन्दी बस्तियों के उन्हीं स्थानों पर खर्च की जाए, जिनके लिए नियत की गई है।

लाटरियों पर कर लगाकर आय का एक नया साधन निकाला गया है। इसके अतिरिक्त घुड़-दौड़ों पर भी कर लगाया जाना चाहिए जिससे सरकार को काफी आय हो सकती है। लेकिन मिट्टी-तेल पर से कर वापिस ले लेना चाहिए।

समाजवादी ढंग से प्रगति के लिए हमारे पास अधिक धन होना चाहिए तथा हमें नये संसाधन ढूंढने चाहिएं। कृषि क्षेत्र से अत्यधिक संसाधन जुटाये जा सकते हैं। हमें कृषि क्षेत्र के अपने मित्रों से अनुरोध करना होगा कि राष्ट्रीय संसाधनों में वे अधिक राशि दें।

श्री शमीम ने प्रश्न उठाया है कि कश्मीर एक धोखा है। वहां हुए चुनाव भी धोखा है। श्री शमीम और उनके सहयोगी यह जानते हैं कि वे जीत नहीं पायेंगे, इसलिए वे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। जो चुनाव जीत न पाये, वे कहते हैं कि चुनाव एक धोखा ही था। पिछली बार रूसी स्याही की बात थी और इस बार धोखे वाली बात सामने आयी है। आज देश एकता के सूत्र में बंध गया है जिसकी रक्षा करने के लिए जरूरत पड़ने पर हम लड़ेंगे।

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : संतुलित बजट पेश करने के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देती हूं। आम व्यक्ति के मनोबल में इस बजट के कारण वृद्धि होगी। अभी हाल में युद्ध-

प्रयासों और बंगला देश की सहायता करने के लिए अनुपूरक बजट के भार को आम जनता ने वहन किया।

शेयर बाजार में उत्साह से बजट की अच्छाई का पता चलता है। अब सुदृढ़ सरकार की स्थिरता के कारण पूंजी विनियोजन में वृद्धि होगी और आम जनता को भी विश्वास है कि उसके प्रति न्याय किया जायेगा।

बजट के आलोचकों को इस तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिए कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में केन्द्र और राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 700 करोड़ रुपये की अधिक राशि की व्यवस्था की गई है। इस राशि में से 150 करोड़ रुपये से अधिक राशि समाज के निर्बल वर्गों की सहायतार्थ रखी गई है। ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोजगार पर इस बजट में अधिक जोर दिया गया है। शहरी क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्राइमरी शिक्षा के तीव्र प्रसार और स्कूल की इमारतों में सुधार पर भी इस बजट में जोर दिया गया है।

गांवों में पेय जल की गम्भीर समस्या पर भी इस बजट में ध्यान दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में जल सप्लाई के तीव्र विस्तार का एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

गन्दी बस्ती उन्मूलन, गन्दी बस्ती सुधार और निम्न आय वर्ग के लिए आवास कार्यक्रमों के लिए काफी धनराशि की व्यवस्था की गई है। अब नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र की तरह पुरानी दिल्ली क्षेत्र में भी गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता आयेगी।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषक आहार कार्यक्रमों में द्रुत गति लाने के लिए बजट में विशेष जोर दिया गया है।

इस बजट से स्पष्टतः पता चलता है कि सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों सहित अल्पसंख्यकों और समाज के निर्बल एवं अविकसित वर्ग के प्रति सामाजिक और आर्थिक न्याय किया जाय।

मैं इस बात पर बल देना चाहती हूँ कि उक्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। मेरा विश्वास है कि प्रशासनिक स्तर पर एक ऐसा कर्मचारी-संवर्ग तैयार किया जाय, जो समाजवाद में आस्था रखता हो।

यह स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक बजट से बंधी हुई आय वाले व्यक्तियों पर अतिरिक्त भार पड़ता है। यह वर्ग स्वभावतः करापवंचन नहीं करता। साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि काले धन और करापवंचन का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इससे पूंजी विनियोजन के लिए बचत को बढ़ावा नहीं मिलता और मुद्रा स्फीति तथा घाटे की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि वह इस पुरानी बीमारी का क्या हल ढूंढ़ रहे हैं?

इस बजट में कृषि सम्पत्ति पर कर लगाने का श्रीगणेश नहीं किया गया है। 50 एकड़ से अधिक भूमि के मालिकों पर लगाने की शुरुआत इस बजट में होनी चाहिए थी। सहकारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार अन्य उपाय कर सकती है।

स्थानीय करों को यथासंभव स्थानीय कार्यक्रमों पर ही खर्च किया जाना चाहिए। ऐसा करने से स्थानीय जनता में असन्तोष नहीं होगा।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। उद्योगों को इन क्षेत्रों में आकर्षित करने के लिए संचार, रेल, सड़क, विद्युतीकरण आदि की सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए।

खाद्यान्न, चीनी, दालें, नमक, मिट्टी का तेल, कपड़ा इत्यादि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार को प्रभावी व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो सरकार को आवश्यक उपभोक्ता सामग्री का व्यापार अपने हाथ में ले लेना चाहिए। मूल्य नियन्त्रण के कार्यक्रम में सभी संसद् सदस्यों को राजनैतिक मतभेद भुलाकर सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।

मिट्टी के तेल पर शुल्क में वृद्धि से निर्धन जनता और ग्रामीण जनता पर भारी बोझ पड़ेगा। अतः इस शुल्क को वापस लिया जाना चाहिए। जब तक सभी ग्रामीण जनता को विद्युत् की सुविधा उपलब्ध न हो जाय, मिट्टी के तेल पर शुल्क बढ़ाने की बजाय रेयन पर शुल्क में वृद्धि कर दी जाय।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार को मजदूरों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। सरकारी उपक्रमों में प्रबन्धकों और मजदूरों की एक संयुक्त परिषद् होनी चाहिए। इसका उचित क्रियान्वयन होना चाहिए।

मैं इस बजट का समर्थन करती हूं, क्योंकि इससे उचित सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहयोग मिलेगा।

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : Neither the monopoly houses, not rural rich-class has been touched in this budget. We are not going to bring in a new social order in this way.

I appreciate the increased allocation of funds for social reforms and the welfare of Harizans. The increased levy on kerosene oil, fertilizers and tube-wells would hit the poor, specially the small farmers.

The country and the people want rapid change but bureaucracy is standing in the way of progress.

Though the budget is going to bring about a revolution, yet it could give a direction. The decisions regarding ceiling on urban property and land-ceiling should be implemented very soon, otherwise there would be frustration among the people.

Then, there is the problem of unemployment. Millions of teachers and engineers are unemployed. Crores of people are still illiterate.

Last year foodgrains worth 200 crores of rupees was destroyed, as there was no

storage facility. The foodgrain storage facilities should be provided in Punjab, Haryana and U. P. The report of Joint Committee of Ministry of Railways and Ministry of Food should be immediately implemented.

If we want to develop the country rapidly, we should have to do away with the present bureaucratic system. The I. C. S. and I. A. S. officers are representative of capitalists. The Government wants to give incentive to the small entrepreneurs, but the bureaucrats create confusion by giving wrong advice to the people. They always show favour to the monopolists and big capitalists.

Government are expert in formulating a budget that did not irritate certain sections of the society. But they are not serious in taking concrete steps by which basic promises and commitments made by them are fulfilled. I demand that the directors of the banks and the Life Insurance Corporation should be substituted by public men. The tax imposed on Kerosene oil, fertilizers and tube-wells should be withdrawn.

श्री के० बालकृष्णन (अम्बलपुजा) : सत्तारूढ़ दल को शायद पहले कभी इतना भारी बहुमत नहीं मिला था जितना उसे इस बार मिला है। इस स्थिति में सरकार उन सभी वायदों को पूरा करने में पूर्णतः समर्थ है जो उसने जनता के समक्ष किए हैं। किन्तु बजट तथा वित्तीय उपायों की भाषा चुनाव प्रचार में प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। मैं इस बजट पर निष्पक्ष रूप से जनता की प्रतिक्रिया बताना चाहता हूं।

मुझसे पहले भाषण देने वाले माननीय सदस्यों ने समाचारपत्रों के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों की बजट प्रस्तावों के प्रति प्रतिक्रिया का उल्लेख किया है। मैं किसी विशिष्ट वस्तु पर लगाए गये कर की बात न कह कर सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जनता ने 'गरीबी हटाओ' के वायदे पर मुग्ध होकर तथा प्रधान मंत्री के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए सत्तारूढ़ दल को भारी बहुमत प्रदान किया है। चुनाव के समय गरीब जनता के समक्ष बड़े-बड़े वायदे किये गये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके लिए कुछ किया गया है।

मिट्टी के तेल पर कर लगाये जाने के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। एक तर्क यह भी दिया गया है कि केवल 5 पैसे प्रति बोतल या 6 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से ही कर लगाया गया है और यह राशि बहुत मामूली है। यह राशि मंत्रियों, संसद-सदस्यों तथा बड़े व्यापारियों के लिए अवश्य छोटी हो सकती है, किन्तु ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके लिए 5 पैसों का भी बहुत महत्त्व है। इसके अतिरिक्त इसका एक दूसरा पहलू भी है। आपको याद होगा कि जब पंडित नेहरू वाइसराय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल में अंतरिम मंत्रिमंडल के उप-प्रधान की हैसियत से आए जिसमें मुस्लिम लीग के श्री लियाकत अली खां वित्तमंत्री थे तो मुस्लिम लीग से यह विशेषरूप से कहा गया था कि नमक पर कर न लगाया जाये यद्यपि उससे काफी राजस्व मिल सकता था। इसके पीछे यही दृष्टिकोण था कि गरीब जनता पर कर न लगाया जाये। आज गांधी जी के सिद्धान्त का उल्लंघन किया जा रहा है। यह सच है कि मिट्टी के तेल पर कर लगाने से 28 करोड़ रुपये मिल सकते हैं किन्तु यह राशि गरीब जनता को भारी कष्ट देकर ही प्राप्त होगी। यह राशि उनके रक्त से वसूल की जायेगी। 'गरीबी हटाओ' के नाम पर गरीब जनता का रक्त चूसना अन्याय है।

उर्वरक के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि गरीब किसानों ने अभी उर्वरक का महत्व समझा ही था कि सरकार ने उस पर कर लगाकर उसे इतना महंगा कर दिया। गरीबों की सरकार ने इस पर भी नया कर लगा दिया है।

स्वयं राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भूमि सुधार के बारे में हमारे राज्य की सराहना की है। गरीब जनता को राहत देने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हमने इस कार्य के लिये यथासम्भव धन जुटाने का प्रयत्न भी किया। हमने केन्द्र से भी इस कार्य के लिए सहायता मांगी किन्तु गरीबी हटाने के लिए कोई राशि नहीं दी गई।

भारत सरकार ने भूमिहीन और मकानहीन व्यक्तियों के लिये मकान देने की घोषणा की तथा केन्द्रीय मंत्रियों ने हमारी राज्य सरकार को इस मामले में सहायता देने का वचन भी दिया। राज्य सरकार ने एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया तथा उसे केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। राज्य सरकार के मंत्रियों ने केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय से बार-बार इस बारे में निवेदन किया। किन्तु खेद है कि 'गरीबी हटाओ' की क्रियान्विति हमारे लिये अभी तक नहीं की गई।

यह कहना सही है कि जब भारत पर आक्रमण हुआ तो सम्पूर्ण देश एक हो गया तथा सभी देशवासियों ने उसे अपनी मातृभूमि पर आक्रमण माना। हमारे ऊपर प्रकृति का प्रत्येक वर्ष कोप होता है तथा अरब सागर की लहरों की चपेट में हर वर्ष गरीब मछेरे आते रहते हैं। उनकी झोंपड़ियां बह जाती हैं और वे बेघर हो जाते हैं। सम्बद्ध मंत्री वहां गये और उन्होंने उनकी स्थिति देखकर कहा कि वास्तव में यह राष्ट्रीय समस्या है। यह समस्या केवल केरल की ही नहीं वरन् सारे राष्ट्र की है। अरब सागर जल से केरल की प्रतिवर्ष भारी भूमि का कटाव हो जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि इस समस्या का तुरन्त समाधान खोजा जाना चाहिए। केवल एक उद्धरण के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। तुलसीदास ने रामचरित मानस में कहा है कि 'उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासौ जाय।' अतः अगले वर्ष ऐसा बजट आना चाहिए जिसे प्रस्तुत करते समय हम अनुभव कर सकें कि सरकार ने गरीबी हटाई है।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहाट) : मैं वित्त मंत्री के सभी बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। मुझे इसके समर्थन में अधिक प्रसन्नता होती यदि इसमें रोजगार की समस्या पर और बल दिया जाता। देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत जटिल है। जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो यही समस्या हमारे समक्ष अधिक उग्र रूप में आती है। अतः इस समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे आशंका है कि यदि इस समस्या को न सुलझाया गया तो इसके भयानक परिणाम निकल सकते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सरकार गैर-सरकारी कम्पनियों में, विशेषकर जिनमें 200 से अधिक कर्मचारी हैं, रोजगार की अनिवार्य क्षमता निर्धारित करे। मेरा अनुमान है कि देश के शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 120 लाख से 150 लाख तक है। इसमें वे लोग सम्मिलित नहीं हैं जो अशिक्षित हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। यदि सरकार यह कानून बना दे कि गैर-सरकारी कम्पनियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर्मचारी रखने होंगे तो बेरोजगारी की बहुत कुछ समस्या हल हो सकती है। सम्भव है वे इस पर आपत्ति करें किन्तु यदि सरकार दृढ़ता से काम ले तो वे यह प्रस्ताव मान लेंगे।

मेरा यह भी सुझाव है कि यदि मालिक बद पड़े उद्योगों को एक निश्चित अवधि तक नहीं

चलायें तो सरकार सभी संकटग्रस्त तथा बेकार पड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दे तथा उन्हें केवल एक रुपया मुआवजा दिया जाये।

सारे देश में, विशेषकर बंगाल में, बिजली की भारी कमी है। यदि सारे देश में बिजली की सप्लाई कर दी जाये तो बहुत-से बेरोजगार स्वयं अपना रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। इससे लघु उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिए। संचार की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्थान पर उद्योग स्थापित करने की अनुमति होनी चाहिये। इससे रोजगार क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ औद्योगिक शान्ति भी स्थापित होगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अभी शिक्षित बेरोजगारों को अपना धन्धा स्थापित करने के बारे में उचित प्रोत्साहन नहीं दिया है। बहुत-से नवयुवक अपने उद्योग चलाने के इच्छुक हैं किन्तु बैंकों ने उनके साथ सहयोग नहीं किया है।

मिट्टी के तेल तथा उर्वरकों पर कर लगाये जाने का लगभग सभी सदस्यों ने विरोध किया है। मुझे भी मिट्टी के तेल पर कर लगाने के प्रस्ताव से प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने इस सम्बन्ध में जो तर्क दिया है वह भी औचित्यपूर्ण नहीं है। अत: मेरा अनुरोध है कि मिट्टी के तेल तथा उर्वरक से कर हटा लिया जाये।

जहां तक उर्वरक का सम्बन्ध है, इस पर कर लगाये जाने से छोटे किसानों पर बुरा असर पड़ेगा। वे लोग कम उर्वरक खरीद पायेंगे जिससे उत्पादन में कमी होगी। देश में, विशेषकर बंगाल में छोटे किसानों की संख्या ही अधिक है। अत: उर्वरक से कर हटा लिया जाना चाहिए।

मैं वित्त मंत्री महोदय का इस बात के लिए अधिक आभारी हूं कि उन्होंने प्रत्यक्ष कर न लगाकर विपक्षी दलों को निराश किया है।

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki) : Sir, I rise to support the budget proposals. Listening to the hon. Members of the opposition parties attentively, I have come to the conclusion that they are annoyed with the massive majority of the ruling party in the centre as well as in the states. They are taking a one-sided view of the budget and not an overall view in order to subserve their political interests.

The people of the entire country have shown full faith in the leadership of the Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi in the mid term elections to the Lok Sabha. The electorate supported the ruling party with the mandate to remove poverty, employment and economic disparity from the society. It should be understood that extra burden has been imposed on the budget by the Military rulers of Pakistan and the atrocities inflicted upon the people of Bangla Desh thereby pushing above one crore of refugees in India. Besides, Pakistan thrust the war on us resulting in additional expenditute.

Recurring incidents of over-raining or drought in the various parts of the country have also caused extra economic burden on the budget.

But it is matter of pride that even in these discouraging circumstances the schemes pertaining to social welfare and development continued to be implemented as proposed in 1971-72 budget. I would like to congratulate the Prime Minister for her success in protecting the refugees and recognising Bangla Desh.

I also congratulate the Finance Minister for his constant vigil on all the activities of development, sociai justice, self-sufficiency etc. He is trying to get price-stability and increase in production.

In this context, I hope that the Central Government and the State Governments with Congress as the ruling party would provide adequate help to the families of the martyrs and try to get self-sufficiency in all respect. Several schemes to provide water to the rural areas and land to the landless persons have been envisaged in this budget. The Government have come forward with several other schemes to give employment opportunities both the educated and uneducated persons and to provide better amenities to the persons living in slum areas. Efforts to remove disparity in development are really praiseworthy. I congratulate the Government for making financial provision for the poor farmers and drought affected areas. I hope that with these efforts agricultural as well as the industrial production would certainly increase in the country. Government are interested in import-substitution. They are also trying to make indigenous goods available at low prices in order to increase our export and thereby increase our national income.

The Government have resolved firmly to unearth blackmoney, to check tax evasion and to recover arrears. I request that the hon. Minister should bring legislation in that regard as soon as possible.

The Government have not increased the tax-rates on items, like newsprint, motor spirit etc. I congratulate the hon. Minister for that. I would like to urge upon the Government that the sick sugar mills in Uttar Pradesh should be nationalised in order to ensure increased production of sugar.

I would like to suggest that Government should impose higher rates of taxes on the luxury goods and intoxicants.

The efforts of the Government to create a feeling among 70 crores of people to stand against exploitation and fight disease are most commendable. It is a fact that the country is facing a serious situation wherein rich have undergon more sacrifices. It is high time to try to achieve the results of our policies of democratic socialism, secularism and others. At this juncture there is no use crying over the spilt milk. I hope our country would prosper day by day.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : Sir, in spite of so many disastrous floods and droughts in various parts of the country, our agricultural production has increased to 120 lakhs of tons. We had to spend considerable amount of money on procurement of foodgrains causing extra burden on our economy. A large portion of this expenditure have been borne by the Government and the remaining would be met by the banking institutions. We must stabilise this arrangement.

As has been observed just now, while the farmers are getting much less price for certain agricultural eommodities like coconut, jute, etc., the consumers have to pay high prices. Therefore, there is an urgent need for changing the present arrangements between the producer and the consumer. It is matter of pride for us that our agricultural production has surpassed even the fixed targets.

So far as the industrial production is concerned, we could not achieve the targets. It was estimated that the pace of annual increase in this sector would be 7 or 8 per cent while it was only 4 or 4.5 per cent.

According to the estimates submitted by the hon. Minister, the income of direct taxes on the Corporate Sector would be Rs. 16 crores. In the opinion of the hon. Members, this budget has not been drafted with the motive of removing poverty and bringing socialism in the country on the plea that the burden of direct tax on corporate sector is much less. It is their misunderstanding. In my opinion Government intend to invest Rs. 710 crores on the centre and the state schemes for giving pace to the development of the country. With this relief, the Corporate Sector would invest more money as a result of which more people would get employment opportunities in it. We do not intend to bring the economics of communism in the country and we do not believe in bloodshed. We want to bring economic revolution in the country by peaceful measures. We want to remove poverty and economic disparity.

The people of the country have shown their full faith in our policies and outlook. It has been proved in the last election that people like us and our approach towards changes.

A sum of Rs. 125 crores out of Rs. 710 crores has been provided for the supply of drinking water, employment to educated unemployed, etc. Due to the non-availability of drinking water in Rajasthan, people have to face many difficulties. I would, therefore, suggest that priority should be given to the arrangement of drinking water. The Government of Rajasthan have prepared many schemes of laying pipe lines for drinking water. They should be accepted by the Government. In view of the hardship faced by the people of all such States that face difficulties in regard to drinking water facilities, Government should give priority to this item.

Provision for the schemes of small and marginal farmers and that of landless labour has been doubled. But it has been observed from the past experience that schemes are not implemented fully. I request that the Government should entrust the implementation of these schemes to dedicated officers who could run the administration faithfully and efficiently. If the budget proposals are implemented seriously and efficiently, I hope, country would eertainly prosper.

श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे (अकोला) : मैं इस बजट को समाजवादी बजट नहीं मानता क्योंकि जिस बजट का आभार कर होता है वह पूंजीवादी होता है। किन्तु इसमें समाजवादी लक्ष्य और समाजवादी दृष्टिकोण अवश्य निहित हैं। माननीय वित्त मंत्री ने 710 करोड़ रुपयों के

योजना परिव्यय का प्रस्ताव किया है। जिसका मुख्य लक्ष्य गरीबी हटाना है। अतः यदि बजट प्रस्तावों को सही ढंग से क्रियान्वित किया जाये तो गरीबी हटाये जाने की पूरी आशा है।

उत्पादन का सम्बन्ध भूमि, श्रम और पूंजी से है। भूमि प्रकृति की देन है, श्रम हम सभी करते हैं तथा पूंजी इन दोनों के योग का परिणाम है। अतः कोई एक व्यक्ति, चाहे कितना ही बड़ा समर्थ अथवा प्रतिभावान क्यों न हो, पूंजी पर अपना एकमात्र अधिकार नहीं मान सकता। यह सिद्धान्त हमें स्वयं अपने ही ग्रन्थों से मिला है। ईशावस्य उपनिषद् में इसका उल्लेख है।

इस सिद्धान्त को क्रियान्वित करने के लिए हमें नया दृष्टिकोण अपनाना होगा जैसा कि प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण 24 तारीख को जारी रखें।

(इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 24 मार्च 1972/4 चैत्र, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई)

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 24, 1972/Chaitra 4, 1894 (Saka)

Shahdara Printing Press, Navin Shahdara, Delhi-22, 22-3-72